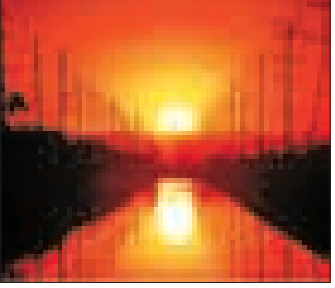

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2009–10

बिजली की नई संकल्पनाएं....

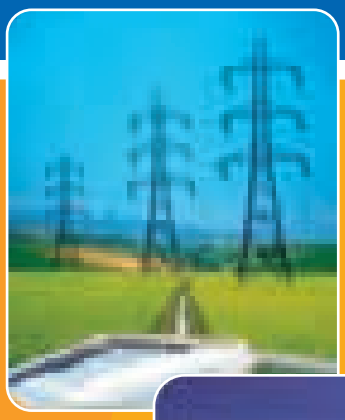

संवृद्धि

विकास

प्रगति

समृद्धि

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

विषय सूची

1. कंपनी के बारे में सूचना 2
2. निदेशक मंडल 3
3. कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें 4
4. मिशन एवं उद्देश्य 6
5. शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र 7
6. वार्षिक महासभा की सूचना 11
7. निदेशकों का विवरण 19
8. निदेशकों की रिपोर्ट 22
9. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 42
10. निगमित सुशासन पर रिपोर्ट 46
11. निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र 55
12. तुलन पत्र 56
13. लाभ एवं हानि लेखा 57
14. अनुसूचियां 58
15. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 77
16. नकदी प्रवाह विवरण 80
17. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 82
18. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 85
19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 86
20. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ड़) के अनुसरण में विवरण 87
21. समेकित वित्तीय विवरण 88
22. प्रबंधन दल 114
23. आरईसी कार्यालयों के पते 116

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

डॉ. ज.मो. फाटक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
निदेशक (तकनीकी)

श्री राजेश वर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(आईटी/सीसी/एस्टेट)

श्री कमल दयानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई/सीपी / विधि / प्रशा.)

श्री वी.के.अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

श्री पी.जे. ठक्कर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई/पा.एवं वि.)

श्री बी.आर. रघुनंदन
कार्यकारी निदेशक
एवं कंपनी सचिव

श्री सुबोध गर्ग
महाप्रबंधक
(डीडीजी/मा.सं.)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी/प्रशा.)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन.गायकवाड़
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री आर.के.मित्तल
महाप्रबंधक
(विधि)

श्री एस.के.गुप्ता
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण)

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री डी.एस.अहलूवालिया
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री एस.घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक

उत्तरी अंचल, पंचकुला
श्री जी.एस.भाटी
आंचलिक प्रबंधक

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री रमेश कोडे
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, पटना
श्री के.डी. चौधरी
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाषः 91 11 24365161,
फैक्स : 91 11 24360644, ई-मेल : reccorp@recl.nic.in, वेबसाइट : www. recindia.nic.in

कंपनी सचिव

श्री बी. आर. रघुनंदन

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081 (भारत), दूरभाषः 91 40 23420815-824
फैक्सः 91 40 23420814, ई-मेलः einward.ris@karvy.com, वेबसाइटः www. karvy.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

लेखापरीक्षक

के.जी.सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैंक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडस इंड बैंक
ऐक्सिस बैंक
यैस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सहायक कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(15.06.2010 तक)

डॉ. ज.मो.फाटक
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(15.06.2010 से)

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
निदेशक(तकनीकी)

श्री देवेन्द्र सिंह
सरकारी नामिती निदेशक

श्री वेणुगोपाल एन. धूत
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. एम.गोविन्द राव
स्वतंत्र निदेशक

श्री पी. आर. बालासुब्रामणियन
स्वतंत्र निदेशक

डॉ.देवी सिंह
स्वतंत्र निदेशक

बी.आर.रघुनंदन
कार्यकारी निदेशक एवं
कंपनी सचिव

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों के दौरान सतत् विकास

विवरण	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
संसाधन										
(वर्ष के अंत तक)										
इक्विटी पूंजी(लाख रुपए))	**98746**	85866	85866	78060	78060	78060	78060	78060	78060	73060
उधार (लाख रुपए)										
भारत सरकार से	**4942**	6474	8192	10048	11997	14017	118336	220341	480947	566779
बांड जारी करके	**4086101**	3263148	2408962	2248372	1675724	1360591	1197511	1049404	671927	372068
भारतीय जीवन बीमा निगम से	**320000**	335000	350000	350000	350000	350000	150000	-	-	-
विदेशी मुद्रा उधार	**207637**	149368	104845	87209	-	-	-	-	-	-
वाणिज्यिक दस्तावेजों से	**245000**	129500	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य बैंक	**644143**	610105	556280	332471	366200	213200	44000	20000	21000	-
आरक्षित एवं अधिशेष(निवल)	**1009288**	533142	450904	323211	341773	299830	248377	208105	168570	141769
आईआईएफसीएल से	**87000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**492**	506	881	748	661	1523	1322	1060	979	1301
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***4535736**	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689	1631636	1597791	1212534	676394	630809
संवितरण	**2712714**	2227786	1630370	1373299	800658	788509	601704	660664	472193	410922
उधारकर्ताओं द्वारा वापस-अदायगी	**580654**	511936	560024	403444	350646	468324	358732	471594	266998	216262
वर्ष के अंत में बकाया	**6597875**	5065281	3861483	3126218	2456368	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	**^53370**	^^48533	#38262	+40233	181	765	122	-	207	581
वर्ष के अंत तक	**496577**	443207	394674	•356412	306010	305829	305064	304942	304942	304735
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**240020**	188743	181244	174750	182239	175772	132914	134583	139917	206071
वर्ष के अंत तक	**9350250**	9110230	8921487	8740243	8565493	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)										
कुल आय	**670760**	493128	353766	285399	224506	230209	199671	205389	166466	141961
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**14467**	10924	11110	6416	5770	4434	4659	5866	4972	3141
उधारों पर ब्याज	**389607**	288735	206365	174089	133913	120475	114220	120274	109879	93216
मूल्यह्रास	**216**	136	139	113	110	115	103	104	151	621
कर-पूर्व लाभ	**264919**	192011	131242	100619	82983	103665	80154	76663	50120	44647
कर के लिए प्रावधान	**64778**	64803	45228	34593	19232	23590	18915	18811	11355	10958
कर-पश्चात लाभ	**200142**	127208	86014	66026	63751	80075	61239	57852	38765	33690
इक्विटी पर लाभांश	**60321**	38640	25760	17700	19126	23450	18300	17400	12000	6700
निवल मूल्य	**1108033**	619008	536771	401271	419833	377890	326437	286165	246630	214829

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर।

^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 34996 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल हैं।

^^ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 36477 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

\# उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 28961 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

\+ उन गांवों की संख्या, जहां पर आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया । इसमें 11,527 गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है।

• वर्ष 2005-06 के दौरान, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 10169 गांवों का कार्य (350 विद्युतीकृत गांव का गहन विद्युतीकरण सहित) पूरा किया गया, भी शामिल है।

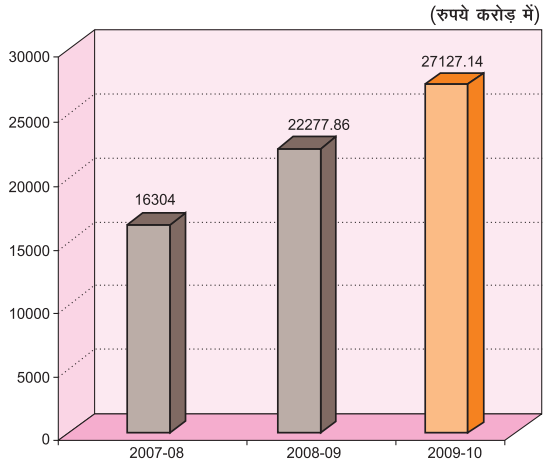

संवितरण (आरजीजीवीवाई सब्सिडी सहित)

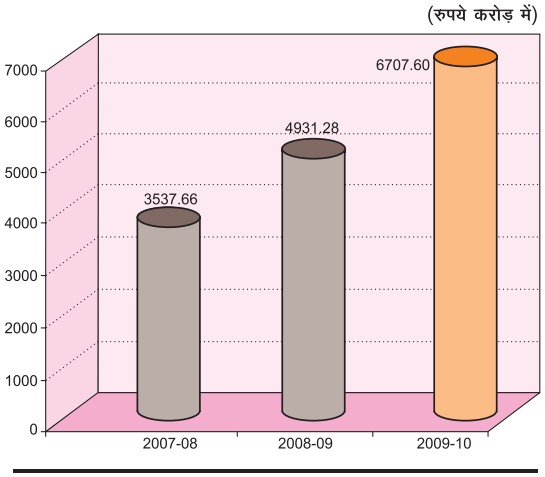

कुल आय

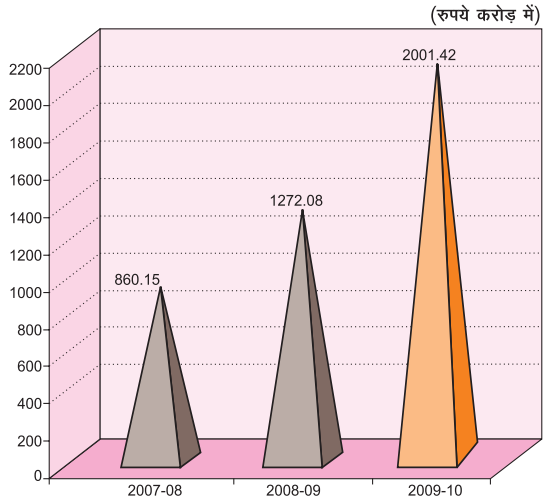

कर पश्चात लाभ

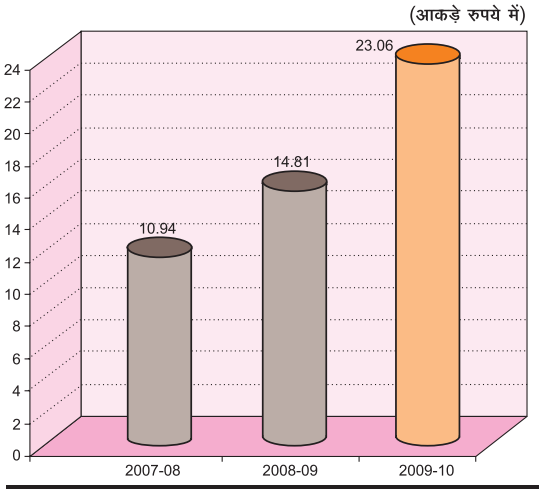

रुपए 10 के प्रति शेयर अर्जन

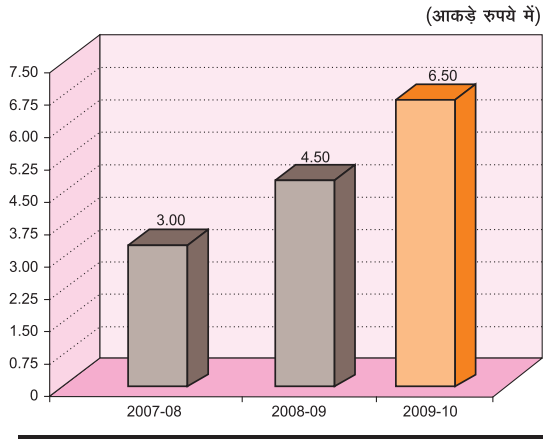

रुपए 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

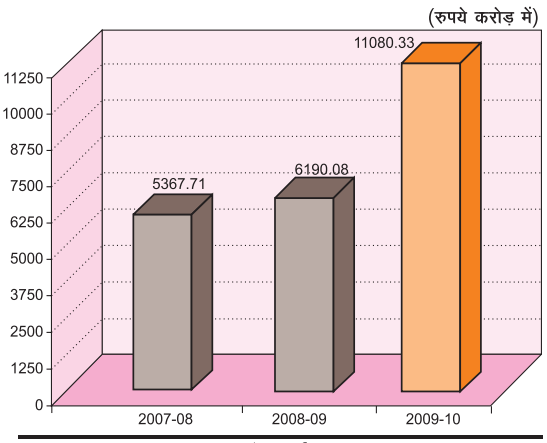

नेटवर्थ

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरचना, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहक हितैषी विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेन्द्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन करना।
- दूर-दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित जैसे निगमित लक्ष्य पूरे करना : (I) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (II) बिजली की मांग का विकास करना; (III) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (IV) प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र

देवियो और सज्जनो

आरईसी के निदेशक मंडल की तरफ से और खुद अपनी ओर से मुझे इस कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

मैंने इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार 15 जून, 2010 को संभाला और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस नवरत्न कंपनी का नेतृत्व कर रहा हूं, क्योंकि इसने खासतौर से पिछले तीन वर्षों में अपने काम–काज के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास करके और निरंतर लाभ अर्जित करने में उत्कृष्टता का रिकॉर्ड कायम करके अनेक प्रशस्तियां प्राप्त की हैं। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी उन 50 शीर्षस्थ कंपनियों में से एक है, जो 9 जुलाई, 2010 को अपने अच्छे काम काज और बाजार पूंजीकरण के आधार पर श्रेष्ठतम कंपनियों में गिनी जाती है।

मैं इस कंपनी की गत वर्षों की उपलब्धियों पर तब से एक नजर डालना चाहूंगा जब 41 साल पहले जुलाई, 1969 में इसकी स्थापना की गयी थी। उस समय की पृष्ठभूमि में वह भयंकर स्थिति थी जब 1960 के दशक के उत्तरार्ध में देश को सूखे का सामना करना पड़ा। शुरू–शुरू में इस कंपनी को मुख्यतः ग्राम विद्युतीकरण को तेज करने के उद्देश्य से उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को वित्तपोषित करने का काम सौंपा गया, जो खेती की पैदावार बढ़ाने के नियोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में बनायी जाती थीं। इस प्रकार ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेट ऊर्जायन स्कीमों से मामूली शुरुआत करते हुए इस कंपनी ने खासतौर से पिछले दशक में लम्बी छलांग लगाई और देश की अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्था बन गयी तथा अब बिना किसी रोकटोक के हर तरह की बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है।

अगर हमारे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने पिछले वर्षों के दौरान अनथक प्रयास न किए होते, तो इस कंपनी का इतनी तेजी से आकार, सघनता और प्रचालनों की व्यापकता के क्षेत्रों में तीव्र विकास संभव न होता। मेरे पूर्ववर्तियों में श्री पी. उमा शंकर शामिल हैं जिन्होंने दूरदृष्टि और मिशन भावना से समर्पित ढंग से काम करते हुए इस कंपनी का संचालन किया और विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में भारत सरकार की सभी संबद्ध एजेंसियों से निरंतर सहयोग प्राप्त करते हुए सभी कर्मचारियों और कंपनी के हितधारकों के सहयोग और समर्थन से इसे आगे बढ़ाया। मैं उन सभी लोगों को हार्दिक रूप से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं जिन्होंने इस कंपनी को एक "विशाल" संगठन का रूप दिया जो अब यानि 31.03.2010 तक रुपये 66,000 करोड़ की सकल ऋण परिसंपत्तियों की मालिक है, जिसका चालू बाजार पूंजीकरण रुपये 30,000 करोड़ के आसपास चल रहा है और जिसे आज घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक समुदाय और सभी अन्य हितधारक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ)

कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम का 2 वर्षों की अवधि के अंदर निवेशकों से जोरदार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद **फरवरी, 2010** में आरईसी ने अपने अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के जरिए 17,17,32,000 इक्विटी शेयर बाजार में उतारे, जिसमें भारत सरकार द्वारा 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का भी प्रस्ताव शामिल है। इसकी कीमत सेबी के विनियमों के अनुसार आल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड से तय की गयी। इसका उद्देश्य कंपनी के नेटवर्थ में वृद्धि करना और ऋण देने की इसकी क्षमता का विस्तार करना था। पूंजी बाजार के अनिश्चित हालात के बावजूद इस इश्यू को बाजार में और खासतौर से क्वालीफाइड इन्स्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) का जबरदस्त समर्थन मिला। इनमें विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शामिल हैं। इस एफपीओ को 3.14 गुना अभिदान मिला। एफपीओ के जरिए शेयरों के नए निर्गम से इस कंपनी ने जो रकम इकट्ठी की, वह प्रीमियम सहित 2,647.53 करोड़ रुपये थी और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए कंपनी ने उसी तरह किया जैसा कि प्रास्पेक्टस में उल्लेख किया गया था।

आर्थिक परिवेश

विश्व अर्थव्यवस्था एक कठोर मंदी के चरण से गुजरी है जिसमें वित्तीय उथल–पुथल, बड़े पैमाने पर धन की बरबादी और अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं व्यापार में गिरावट दिखाई दी। इसकी शुरुआत विकसित देशों के वित्तीय क्षेत्र से हुई और धीरे–धीरे यह छोटी अर्थव्यवस्थाओं में भी फैल गयी और पूरी अर्थव्यवस्था को इसने क्रमशः अपनी चपेट में ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां दुनियां भर में सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा लागू किए गए समन्वित राजकोषीय और मुद्रा संबंधी उपायों के चलते सुधरी दिखाई दे रही हैं। विभिन्न सरकारों के प्रोत्साहन पैकेजों के परिणामस्वरूप विश्व की आर्थिक स्थिति 2009 की दूसरी तिमाही के बाद से सुधरती जान पड़ रही है और अनेक देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक तिमाही प्रगति दर्ज की है।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, वित्त वर्ष 2010 में इसके सकल घरेलू उत्पाद विकास में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के आसार लग रहे हैं। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2011 में बढ़कर आठ प्रतिशत और मध्यम अवधि में 9–10 प्रतिशत हो सकती है। लेकिन, साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। इस जटिल अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू पृष्ठभूमि ने नीति निर्धारकों के सामने खास तरह की चुनौतियां पेश कर दी हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय दरों के अनुरूप ब्याज दरें बनाए रखना और साथ ही विकास की रफ्तार को घटने न देना तथा मुद्रास्फीति को काबू में रखना शामिल है।

विद्युत क्षेत्र

11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान वित्तवर्ष 2007 के अंत में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता 132.33 जीडब्ल्यू थी, जो वित्तवर्ष 2010 के अंत तक बढ़कर 159.4 जीडब्ल्यू हो गयी। यह वृद्धि 27068 मेगावाट के बराबर है। 11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त संस्थापित क्षमता 78700 मेगावाट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार के 11वीं योजना के लिए बिजली के कार्यग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए रुपये 10,316,000 मिलियन निधियों की कुल जरूरत होने का अनुमान लगाया गया है। 12वीं योजना अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि 2017 तक की मांग पूरी करने के लिए 100,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसमें पारेषण और वितरण तंत्रों के विस्तार की जरूरत भी शामिल है। इस सारे काम के लिए योजना अवधि में लगभग रुपये 11,000,000 मिलियन निधियों की जरूरत पड़ेगी।

पारेषण तंत्र विकास और इससे संबद्ध स्कीमों के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि में रुपये 1,400,000 मिलियन की जरूरत होने का अनुमान लगाया गया है। इस राशि में से रुपये 750,000 मिलियन केंद्रीय क्षेत्र में और रुपये 650,000 मिलियन की राज्य क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमान लगाया

है कि 12वीं योजना अवधि में पारेषण क्षेत्र को रुपये 2,400,000 मिलियन की आवश्यकता होगी जिसमें से रुपये 1,400,000 मिलियन केंद्रीय क्षेत्र में और रुपये 1,000,000 मिलियन राज्य क्षेत्र में जुटाने होंगे।

ग्यारहवीं योजना अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण और वितरण तंत्र विकास के लिए कुल रुपये 2,870,000 मिलियन निधियों की जरूरत पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसमें एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई स्कीमें शामिल हैं। साथ ही, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणों के अनुमानों के अनुसार 12वीं योजना अवधि में वितरण क्षेत्र के लिए रुपये 3,710,000 मिलियन की जरूरत पड़ेगी।

इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र जीवन्त बने रहने की स्थिति में है और निकट भविष्य में यह क्षेत्र निवेश आकर्षित करता रहेगा।

निष्पादन की ख़ास बातें

इस कंपनी ने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में वर्ष 2009–10 में उच्च विकास और रिकॉर्ड कामकाज के अपने स्तर को बनाए रखा। इन क्षेत्रों में ऋण संवितरण, वसूली, प्रचालन आय और लाभ अर्जित करना शामिल हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान कुल रुपये 27127.14 करोड़ की राशि संवितरित की गयी जो पहले के मुकाबले **22 प्रतिशत अधिक** है। इससे पहले वाले वर्ष में रुपये 22277.86 करोड़ का संवितरण हुआ था, जिसमें आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत सब्सिडी शामिल है। वर्ष के दौरान पिछले वाले साल के रुपये 9796.97 करोड़ की तुलना में रुपये 12496 करोड़ की वसूली की गयी। वर्ष के दौरान अलाभकर परिसंपत्तियां (एनपीए) बहुत कम अर्थात् रुपये 19,54 करोड़ (यानि सकल ऋण परिसंपत्तियों के 0.03 प्रतिशत) के बराबर रही। प्रचालन आय पिछले वाले वर्ष के मुकाबले **38 प्रतिशत बढ़कर** रुपये 6549.76 करोड़ हो गयी, जबकि यह इससे पहले वाले वर्ष में 4757.17 करोड़ थी। कर पश्चात लाभ पहले के मुकाबले **57 प्रतिशत बढ़कर** रुपये 2001.42 करोड़ हो गया, जबकि इससे पहले वाले साल यह रुपये 1272.08 करोड़ था।

लाभांश

वर्ष 2009–10 के लिए निदेशकों ने रुपये 3.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह जनवरी 2010 में दिए गए रुपये 3.00 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा होगा। इसे मिलाकर वर्ष 2009–10 के लिए कुल लाभांश रुपये 6.50 प्रति शेयर हो जाएगा, जो पिछले वर्ष रुपये 4.50 प्रति शेयर की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है।

संसाधन संग्रह

कंपनी ने वर्ष 2009–10 में बाजार से रुपये 24028.24 करोड़ जुटाए। इस राशि में कमर्शियल बैंकों से ऋण, कैपिटल गेन टैक्स एक्जेम्पशन बांडो का इश्यू, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बांड और कमर्शियल पेपर, क्रेडिटानस्टेट फर वियेडरोफबो (केएफडब्ल्यू) जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को–आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से सरकारी विकास सहायता शामिल है। कंपनी के घरेलू ऋण लिखतों की 'एएए' रेटिंग जारी रही, जो क्राइसिल, केयर, फिच एवं इकरा एजेंसियों की सबसे ऊंची रेटिंग है। कंपनी को इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज और फिच से "बीएए3" और "बीबीबी" की रेटिंग प्राप्त है, जो भारत की सावरन रेटिंग के बराबर की अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग है।

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्राम विद्युतीकरण और पंपसेट ऊर्जायन के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती रही है। इस कंपनी ने देश में नयी विद्युत मूल सुविधाओं के सृजन तथा मौजूदा पारेषण और वितरण तंत्र के सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। वर्ष 2012 तक "सबको बिजली" सुलभ करवाने और एटी एंड सी क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की तर्ज पर इस कंपनी ने वर्तमान पारेषण तंत्र के विस्तार और सुदृढीकरण तथा वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की परियोजनाओं का वित्तपोषण जारी रखा और इसके लिए उसने ट्रांसफार्मरों, मीटरों और कैपेसिटरों आदि की परियोजनाओं का वित्तपोषण किया तथा लो–वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को हाई–वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)– ग्रामीण विद्युत सुविधाएं एवं आवास विद्युतीकरण' की स्कीम शुरू की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के उस लक्ष्य को पूरा करना है जिसके अनुसार पांच वर्षो में सभी आवासों में बिजली उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। यह स्कीम आरईसी के जरिए लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत परियोजना की कुल लागत की 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी भारत सरकार देती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.03.2010 तक संचयी रूप से 190858 गांवों (78256 अविद्युतीकृत और 112602 विद्युतीकृत गांव) को बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है और 100.97 लाख बीपीएल आवासों को कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान कंपनी ने कुल रुपये 6583 करोड़ (रुपये 5995 करोड़ सरकारी सब्सिडी मिलाकर) का संवितरण किया।

अनुषंगी कंपनियां

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार इस कंपनी की निम्नलिखित पांच अनुषंगी कंपनियां है, जो विशिष्ट व्यापारिक क्रियाकलापों में लगी हुई हैं :–

1. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल);
2. आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल);
3. नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल–आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी);
4. तलचर–।। ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल –आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी);
5. रायचूर–शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीपीसीएल – आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी);

उक्त में से दो अनुषंगी कंपनियां अर्थात् एनकेटीसीएल और टीटीसीएल सफल बोलीदाता रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्रमशः 20.05.2010 और 27.04.2010 को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के साथ संयुक्त उद्यम

आरईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन अन्य सार्वजनिक उद्यमों अर्थात् एनटीपीसी, पॉवरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड तथा पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को भागीदार बनाकर एनर्जी एफीशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) नाम की एक संयुक्त कंपनी बनाई है। इस कंपनी के लिए कुल रुपये 190 करोड़ की अंशपूंजी की जरूरत थी , जिसे चारों प्रतिष्ठानों ने बराबर–बराबर अंशदान करके पूरा किया। इस कंपनी की व्यापारिक योजना में ऊर्जा संरक्षण और बिल्डिंग कोड, कृषि मांग पक्ष प्रबंधन, म्युनिसिपल डीएसएम और बचत लैम्प योजना शामिल हैं। कई अन्य गतिविधियां भी शुरू की जाएंगी।

केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

इस कंपनी ने 31 वर्ष पहले हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की थी जिसे सायर कहा जाता है। इसकी स्थापना विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र तथा बिजली और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण और विकास की जरूरतें पूरी करने के लिए की गयी थी। यह संस्थान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बिजली क्षेत्र के कार्यपालकों तथा कंपनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालता है और इस उद्देश्य से वितरण और पारेषण से जुड़े क्षेत्रों के लिए नियमित कार्यक्रम संचालित करता है। 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें सायर को आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसके परिसर में एक 'एनर्जी पार्क' भी बनाना होगा जो प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक अनुभव देने के काम आएगा।

मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों को नयी–नयी कुशलता से लैस करने और कारगर ढंग से जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देना जारी रखा गया। उन्हें संतुष्ट करने के लिए अनुमानित जरूरतों और साधनों के आधार पर इस कंपनी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश–विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि में भेजा। इसके अलावा इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए। इनमें से कुछ कार्यक्रम कंपनी के हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण संस्थान ने आयोजित किए।

ईआरपी आधारित एकीकृत सूचना तंत्र

कंपनी ने अपने प्रमुख व्यापारिक कार्यों को शामिल करते हुए एक एकीकृत ओरेकल आधारित ईआरपी सिस्टम कार्यान्वित किया है। यह तंत्र कंपनी के पिछले स्थापना दिवस 24.07.2009 से चालू हो गया है। इसमें कंपनी के सभी महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्र शामिल हैं, जैसे केंद्रीय एकाउंटिंग, परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति, संवितरण एवं ऋण खाता प्रबंधन, नकदी प्रबंधन एवं कोषागार प्रबंधन, वेतन खाता एवं खरीद आदि। इसके जरिए कंपनी के सभी कार्यालयों से विभिन्न आंकडे और सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और विनिर्दिष्ट कार्यप्रवाह पदानुक्रम के अनुसार उपयुक्त स्तरों पर भेजी जा सकती हैं।

उधारी के बुद्विमत्तापूर्ण प्रकटन मापदंड

कंपनी का विश्वास है कि उसे भी वैसे ही प्रबंधन और उधारी के चलन और व्यवहार अपना लेने चाहिए जैसे अन्य संगठनों ने अपनाए हैं। एक सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), होने के नाते इस निगम को रिजर्व बैंक द्वारा अन्य एनबीएफसी के लिए निर्धारित बुद्धिमत्तापूर्ण मापदंडो से छूट मिली हुई है। लेकिन कंपनी ने अपने स्वयं के बुद्धिमत्तापूर्ण मापदंड तैयार किए और अपनाए हैं जो निदेशक मंडल ने अनुमोदित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जरूरी बनाए गए आधार पर और सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी होने के नाते इस कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के साथ 12वीं योजना के अंत तक विभिन्न एनबीएफसी विनियमों के अनुपालन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 29 जून, 2010 को सलाह दी है कि वह आरईसी को केन्द्र और राज्य एनटीटियों के संबंध में 31 मार्च 2012 तक बुद्विमत्तापूर्ण प्रकटन मापदंडों से छूट देने पर सहमत है, लेकिन यह छूट कुछ शर्तों के अध्याधीन होगी और 11वीं योजनावधि की समाप्ति पर इसकी आगे समीक्षा की जाएगी। इससे यह कंपनी केन्द्र और राज्य क्षेत्र के विद्युत संगठनों को उधार देने की अपनी क्षमता बढ़ा सकी है।

आईएफसी के रूप में पंजीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 12 फरवरी, 2010 के परिपत्र के जरिए एनबीएफसी का एक नया वर्ग शुरू किया। इसे "इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी" (आईएफसी) नाम दिया गया। इस वर्ग का उद्देश्य ऐसी एनबीएफसी शुरू करना है जो कुछ मापदंडों को पूरा करते हुए अधिकांशतः मूल सुविधा वित्तपोषण का काम कर सके। इस प्रकार की वित्तीय कंपनियों को उधार देने के मामले में कुछ अतिरिक्त छूट दी गयी है। आरईसी ऐसी कंपनियों के लिए निर्धारित सभी मापदंड पूरे करता है। अतः इसने हाल ही में आईएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन भेज दिया है, ताकि उसे भी उधार देने के मामले में अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ मिल सके।

कारपोरेट सुशासन

एक सूचीबद्ध कंपनी की हैसियत से आरईसी लिस्टिंग एग्रीमेंट में निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा है। वह इस मामले में भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित प्रावधानों पर भी अमल करता है। इस कंपनी ने अपने संयुक्त विधिक लेखा परीक्षकों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि निगम लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुसार कारपोरेट सुशासन की शर्तों का पालन कर रहा है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर)

कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति तय कर दी है। इस नीति के अनुसार यह कंपनी अपने हितधारकों के प्रति सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उत्तरदायी कारपोरेट एनटिटी बनी रहेगी। इसकी शुरूआत करते हुए कंपनी ने अपनी सीएसआर पॉलिसी के अनुसार कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए कर पश्चात लाभ के 0.5 प्रतिशत सालाना के बराबर की राशि आबंटित की है।

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2008–09 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तो के अनुसार इस कंपनी के कामकाज को 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गयी। यह लगातार 16वां वर्ष है जब आरईसी ने 1993–94 से सभी समझौता ज्ञापनों के अनुसार 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी ने सरकार के साथ पहले ज्ञापन पर 1993–94 के दौरान हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2009–10 के निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग पाने की स्थिति में है।

आरईसी में शेयरधारिता प्रतिमान

यह खुशी और स्वागत योग्य प्रवृत्ति है कि विदेशी संस्थागत निवेशक इस कंपनी की अंशपूंजी में निवेश करने के लिए खास रुचि दिखा रहे हैं। यह प्रवृत्ति इस कंपनी के फरवरी, 2008 में और उसके बाद इस वर्ष फरवरी में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम के समय दिखाई दी। विदेशी संस्थागत निवेशक इस कंपनी के स्ट्रांग फन्डामेंटल्स और भावी प्रगति की संभावना में विश्वास जता रहे हैं। एफपीओ से पहले कंपनी की चुकता पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी 7.68 प्रतिशत थी, जो 20 प्रतिशत या इससे ज्यादा बढ़कर वर्तमान स्थिति पर पहुंच गयी है और जिसे देखते हुए इस कंपनी ने आरईसी में विदेशी संस्थागत निवेशकों की शेयरधारिता सीमा वर्तमान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी है।

उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ धनसर्जक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के पुरस्कार

यह कंपनी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि उसे "ग्रामीण विद्युतीकरण में उत्कृष्टता" का भारत का प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ और "सर्वश्रेष्ठ धनसर्जक" का डीएसआईजे पीएसयू का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। एक और प्रतिष्ठा की बात है कि इस कंपनी को "सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वित्तीय संस्थान वर्ष 2008–09" की स्कोप गोल्ड ट्रॉफी भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों प्राप्त करने का सौभाग्य मिला।

भावी योजनाएं

ग्यारहवीं योजना के दौरान विद्युत मूल सुविधाओं में रुपये 10316 अरब के निवेश के लक्ष्य की पृष्ठभूमि में और 12वीं योजना अवधि में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार 1,00,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 'वितरण और पारेषण' मूल सुविधा सहित, जुटाने के काम में रुपये 11,000 अरब के अनुमानों को देखते हुए विद्युत क्षेत्र में आने वाले वर्षों में निवेश के जबरदस्त अवसर मिलने की संभावना है। अपनी ओर से यह कंपनी उक्त महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए वित्तपोषण के व्यापार में अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अपने प्रयास और संसाधन लगाना जारी रखेगी ताकि निरंतर विकास दर बनाए रखी जा सके और शेयरधारकों की उम्मीदें पूरी करते हुए कामकाज की बड़ी बुलंदियों को छुआ जा सके।

आभार

मैं कंपनी को मिले समर्थन और मार्गदर्शन के लिए माननीय विद्युत मंत्री, माननीय विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत), संयुक्त सचिव (ग्राम विद्युतीकरण) और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं इस कंपनी के प्रचालनों को सफल और निर्बाध रूप से चलाने के लिए प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

मैं अपने निदेशक मंडल के सभी माननीय सहकर्मियों और आरईसी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्पण भावना से कार्य किया।

मैं कंपनी के सभी अन्य हितधारकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समर्थन और सहयोग दिया और कंपनी के निष्पादन में सतत् विश्वास बनाए रखा।

शुभ कामनाओं सहित,

(डॉ. ज. मो. फाटक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन बैंक, वित्तीय संस्थान 2008–09 की स्कोप गोल्ड ट्राफी का प्रशंसनीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

नोटिस

एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की इकतालीसवीं वार्षिक आम बैठक बुधवार 8 सितंबर, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010 में निम्न कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्य

1) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा तथा उस पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना।

2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम लाभांश की अदायगी को नोट करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री वेणुगोपाल एन. धूत, निदेशक, जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा पात्र होने पर अपनी पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश कर रहें हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

4) डॉ देवी सिंह, जो क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा पात्र होने पर पुनःनियुक्ति हेतु पेशकश कर रहे हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

5) लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्य

6) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ उधार लेने के लिए सीमा को रुपए 75,000 करोड़ (मात्र पचहत्तर हजार करोड़ रुपए) से बढ़ाकर रुपए 100,000 करोड़ (मात्र एक लाख करोड़ रुपए) तक करने और धन उधार लेने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के उपबंधों के अंतर्गत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, चाहे कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशि (कार्य के साधारण क्रम में कंपनी के बैंकों से प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) सहित उधार ली जाने वाली धनराशि कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त प्रारक्षित राशि के सकल से अधिक हो जाए।"

7) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ रुपए 100,000 करोड़ (मात्र एक लाख करोड़ रुपए) की कुल राशि तक के ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी की समस्त या कोई अचल तथा/अथवा चल संपत्ति, वर्तमान और भावी दोनों, अथवा कंपनी के पूर्ण अथवा अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक रखने तथा/अथवा उन पर प्रभार सृजित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 293(1) (क) के उपबंधों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।"

8) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 ('एफईएमए'), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति अंतरण अथवा निर्गम) विनियम 2000, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 जुलाई, 2009 को जारी मास्टर परिपत्र सं. 01/2009-10 तथा लागू अन्य सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और क्रियाविधियों (उस दौरान लागू उसके किसी संशोधन या पुनःअधिनियमन अथवा पुनःअधिसूचना सहित) के लागू उपबंधों के अनुसार अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने तथा विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों की लागू सभी मंजूरियों, अनुमतियों और अनुमोदनों के आधार पर तथा ऐसे अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों को प्रदान करने के दौरान उक्त संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई ऐसी स्थितियों, जिनकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सहमति है। ताकि कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में, सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा जिसमें उनके उप-लेखे, अंशदान, एफईएमए के तहत पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत मुक्त बाजार से सीधी खरीद अथवा अधिग्रहण करना शामिल हैं, कुल धारित सीमा को 24 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके बशर्ते कि धारित कोई एकल विदेशी संस्थागत निवेश अथवा सेबी द्वारा अनुमोदित किसी एफआईआई या संबंधित एफआईआई समूह का प्रत्येक उप-लेखा कंपनी की प्रदत्त पूंजी से 10 प्रतिशत अधिक न हो, के आधार पर कंपनी की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।"

9) निम्न संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे आशोधन(नों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 तथा अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के विद्यमान अनुच्छेद 82(2) तथा 82(3) के प्रतिस्थापन हेतु निम्नानुसार पढ़ते हुए एतद्द्वारा अनुमोदन दिया जाए एवं दिया जाता है:-

उद्धरण

82(2): उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों की, जिन्हें क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त नही होना है, नियुक्ति करना:

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक के अलावा, राष्ट्रपति अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक तथा अन्य निदेशकों की भी नियुक्ति करेंगे। हालांकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसा परामर्श

आवश्यक नहीं होगा। **इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा अन्य निदेशक सहित निदेशकों की कुल संख्या कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी तथा वे क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगे।**

82(3): क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों की नियुक्ति:

दो-तिहाई निदेशकों में से गठित शेष निदेशकों, चाहे पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक हों या अंशकालिक सरकारी/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्त किए गए निदेशक क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।

अनुद्धरण

निम्नलिखित परिशोधित/संशोधित अनुच्छेदों के साथ:

उद्धरण

82(2): उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक के अलावा, राष्ट्रपति अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक तथा अन्य निदेशकों की भी नियुक्ति करेंगे। हालांकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसा परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

82(3): क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों की नियुक्ति:

कंपनी के दो-तिहाई (कोई खंड होने पर उसे अगली संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा) निदेशक वे व्यक्ति होंगे, जिनके पद की अवधि क्रमावर्तन द्वारा निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि उसे अधिनियम में अन्यथा स्पश्ट रूप से सुरक्षित किया गया हो, तथा जिनकी नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

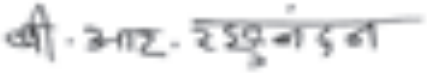

(बी.आर.रघुनंदन)
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003.
दिनांक: 22 जुलाई, 2010

टिप्पणियां:-

1. **बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के हकदार हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म वार्शिक महासभा आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराए जाने पर ही प्रभावी होगा। कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।**
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 के अनुसरण में बैठक में निष्पादित किए जाने वाले विशेष कार्य से जुड़ा **एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**
3. जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 द्वारा अपेक्षित है, क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे तथा नोटिस की मद सं0 3 तथा 4 के अंतर्गत कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार पुनःनियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे निदेशक श्री वेणुगोपाल एन.धूत तथा डॉ.देवी सिंह के **संगत ब्यौरे संलग्न हैं**। श्री वेणुगोपाल एन.धूत तथा डॉ.देवी सिंह के कार्यकाल क्रमशः 20 दिसंबर, 2007 तथा 7 जनवरी, 2008 अर्थात् उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अथवा विद्युत मंत्रालय से आगामी आदेशों के प्राप्त होने तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए है।
4. **सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 26 अगस्त, 2010 से 8 सितंबर, 2010 (दोनों दिन समावेशित) तक बंद रहेंगी। कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 206क के उपबंधों के अध्याधीन, निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित, इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि वार्शिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशितों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में 08 सितंबर, 2010 को कंपनी**

के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, 15 सितंबर, 2010 को या उसके पश्चात अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में, लाभांश शेयरों के उन 'लाभार्थी स्वामियों' को देय होगा, जिनके नाम 25 अगस्त, 2010 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभप्रद स्वामित्व विवरण में विद्यमान है।

5. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में उनकी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प/मुख्तारनामे की एक विधिवत प्रमाणित प्रति भेज दें।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वेः

   क. **नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी तथा उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां स्वयं लानी होंगी।**

   ख. **बैठक स्थल के प्रवेश पर विधिवत भरी तथा हस्ताक्षरित उपस्थित पर्ची प्रस्तुत करें, क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रवेश, स्थल काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा।**

   ग. समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/क्लायंट आईडी तथा डीपी संख्या उद्धृत करें।

   घ. **यह नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेसों, खाने का सामान तथा अन्य सामान ऑडिटोरियम के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा**

   च. **यह नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

7. सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी ईसीएस के माध्यम से धन प्रेषण कर सके। प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारित करने वाले धारक कंपनी के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) अर्थात प्लॉट सं0 17-24, विट्ठलराव नगर, मढ़ापुर, हैदराबाद-500081, भारत में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्राप्त करके उन्हें भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले धारक अपने ईसीएस अधिदेश प्रपत्र डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से प्राप्त करें और सीधे उन्हें ही भेजें। जिन्होंने पहले ही पूर्ण विवरणों के साथ कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट/डीपी को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है।

   शेयरधारक जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, वे अपने बैंक का नाम, शाखा का पता तथा खाता संख्या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, को भेज दें ताकि वे विवरण उनके लाभांश वारंट पर प्रिंट कराए जा सकें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या शेयर संबंधित किसी अन्य मामले से जुड़े तथा/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन संबंधी समस्त पत्राचार कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजें।

9. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में उन लाभांश राशियों, जो सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/दावारहित रहती हैं, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे अंतरण के पश्चात, सदस्यों का उक्त राशि पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं रहेगा। अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लाभांश वारंटों को तुरंत भुना लें।

10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखा-परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से नियत किया जाएगा, जो कंपनी आम बैठक में तय करे। इसी के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वर्ष 2009-10 के लिए सांविधिक संयुक्त लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

    27 सितंबर, 2007 को आयोजित 38वीं वार्षिक आम बैठक में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(कक) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति अधिसूचित किए जाने पर, निदेशक मंडल को वार्षिक आधार पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वार्षिक लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तदनुसार, 01 सितंबर, 2009 को आयोजित 352वीं बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए प्रत्येक सांविधिक लेखा-परीक्षकों को देय लेखा परीक्षा शुल्क रुपए 6,25,000/- (मात्र छह लाख पच्चीस हजार रुपये) तथा लागू सेवा कर के भुगतान को अनुमोदित किया। साथ ही, बोर्ड ने उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा सांविधिक संयुक्त लेखा-परीक्षकों को, वास्तविक उपयुक्त यात्रा भत्ते तथा बाह्य स्थान पर लेखा-परीक्षा हेतु जेबी खर्च, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के भुगतान को भी अनुमोदित किया था।

    उपयुक्त निगमित सुशासन व्यवहार के रूप में, वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित करने के लिए कंपनी की आम बैठक में अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लेखा-परीक्षकों को अभी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों/संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों, जैसा उपयुक्त समझे, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षकों के नियुक्त किए जाने पर उनके पारिश्रमिक नियत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु आम बैठक में कंपनी के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

11. वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क उन स्टॉक एक्सचेंजों को अदा कर दिया गया है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

12. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (केंद्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 में यथा निर्धारित प्रपत्र 2ख में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। डिमैटीरियलाइज्ड रूप में धारित शेयरों के मामले में, नामांकन पत्र सीधे संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

13. प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अपने पतों में किसी परिवर्तन की तत्काल सूचना दें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रानिक मोड में धारित हैं, तो परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों को दें।

14. **इस बैठक के कारोबार की किसी भी मद पर कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को बैठक की तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व संबोधित करें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

15. कंपनी के सांविधिक रजिस्टरों का तथा संलग्न सूचना में उल्लिखित दस्तावेजों का वार्षिक आम बैठक की तिथि से पूर्व सभी कार्य दिवसों पर (शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 11.00 से अपराह्न 1.00 बजे तक निरीक्षण किया जा सकता है।

16. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 19 मई 2010 के पत्र के द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के तहत स्वामित्व कंपनी के तुलन-पत्र के साथ अनुषंगी कंपनियों के तुलन-पत्र इत्यादि को संलग्न करने की छूट दी है। तथापि, प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के लेखे का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ण पाठ के साथ कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 293(1)(घ) के उपबंधों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, आम बैठक में कंपनी की सहमति के बिना, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशियों सहित कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित राशियों से अधिक धनराशि उधार नहीं लेगा। 19 सितंबर, 2009 को आयोजित कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने संकल्प द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को यह शक्तियां प्रदान की थी कि वह रुपए 75,000 करोड़ (मात्र पचहत्तर हजार करोड़ रुपए) की कुल राशि तक का उधार ले लें। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निगम ने पहले ही लगभग रुपए 55948 करोड़ की राशि जुटा ली है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान संभवतः रुपए 28,000 करोड़ की राशि भी जुटा लेगा, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चुकौती देयताएं अनुमानतः रुपए 11,600 करोड़ हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक जुटाई गई समग्र राशि रुपए 75,000/- करोड़ की विद्यमान अनुमोदित सीमा के अंतर्गत रहेगी। हालांकि, उधार की राशि इस सीमा को अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 (अगली वार्षिक आम बैठक से पूर्व) के पहली तिमाही में पार कर जाएगी। इसलिए उधार की आगामी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उधार की सीमा को रुपए 75,000 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 100,000 करोड़ करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के तहत सदस्यों की सहमति अपेक्षित है।

7 जुलाई, 2010 को आयोजित 365वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में यथा निहित प्रस्तावित सामान्य संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित सामान्य संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 7

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1)(क) के उपबंधों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल, आम बैठक में कंपनी की सहमति के बिना, कंपनी की समस्त या किसी अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, अथवा कंपनी से संपूर्ण या अधिकांशतः उपक्रम या उपक्रमों को बंधक नहीं रखेगा तथा/अथवा प्रभार सृजित नहीं करेगा।

कंपनी के प्रचालन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गए हैं तथा कंपनी की बढ़ती निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी की अचल/चल संपत्तियों पर प्रतिभूति सृजन द्वारा अतिरिक्त निधियां जुटाई जानी अपेक्षित हैं। अतः प्रस्ताव है कि कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी की अचल तथा/अथवा चल संपत्तियों, वर्तमान तथा भावी दोनों, पर कंपनी के कारोबार के प्रयोजनार्थ रुपए 100,000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए प्रभार सृजित करने/बंधक रखने के लिए अधिकृत किया जाए।

7 जुलाई, 2010 को आयोजित 365वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में यथा निहित प्रस्तावित सामान्य संकल्प को पारित किए जाने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित सामान्य संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 8

मार्च, 2008 के माह में, कंपनी ने एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), जिसमें 7,80,60,000 के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू शामिल थे, तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा 7,80,60,000 के इक्विटी शेयरों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया। आईपीओ के परिदृश्य के पश्चात, भारत सरकार ने शेयरधारिता को घटाकर 100% से 81.82% कर दिया तथा शेष को अन्यों द्वारा धारित किया गया था। तत्पश्चात, मार्च, 2010 में, कंपनी ने एक अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ),जिसमें 12,87,99,000 के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू शामिल थे, तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4,29,33,000 के इक्विटी शेयरों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया। एफपीओ के पश्चात, भारत सरकार ने शेयरधारिता को घटाकर 81.82% से 66.80% कर दिया तथा शेष 33.20% को अन्यों के द्वारा धारित किया गया है।

कंपनी के एफपीओ से पूर्व, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पास कंपनी की प्रदत्त पूंजी 7.68% थी, जो कंपनी के एफपीओ में इक्विटी शेयरों के आबंटन (05.03.2010 को) के पश्चात, बढ़कर 16.38% हो गयी थी। इस समय विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारिता कंपनी की बढ़ी हुई प्रदत्त पूंजी का 19.90 प्रतिशत (16.07.2010 के अनुसार) है।

01 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र सं0.1/2009-10 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ सेबी को निम्नानुसार पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-लेखों को पंजीकृत करने की सामान्य अनुमति दे दी है:-

(i) शेयरधारिता-

(क) इस योजना के तहत प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक/उप-लेखा की कुल शेयरधारिता, कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत अथवा भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) संयुक्त रूप से सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-लेखों की कुल धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला में प्रदत्त मूल्य से अधिक नहीं होगी। 24 प्रतिशत की इस सीमा को, कंपनी की आम बैठक में इससे संबंधी एक विशेष संकल्प के पारित करने के पश्चात कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प पारित करने के द्वारा संबंधित भारतीय कंपनी के लिए लागू सेक्टोरल सीमा/सांविधिक सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के 01 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र के अनुबंध-I में विदेशी निवेश के लिए दी गई सेक्टर-विशेष-नीति के अनुसार, आरईसी जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सेक्टोरल सीमा/सांविधिक सीमा, उसमें निर्दिष्ट की गई निश्चित शर्तों के आधार पर, ऑटोमेटिक रूट के तहत इक्विटी का 100% है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि संयुक्त रुप से सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप-लेखों की कुल धारिता किसी भी समय, आरईसी की आम बैठक में इसके संबंध में एक विशेष संकल्प के पारित करने के पश्चात, निदेशक मंडल द्वारा एक संकल्प पारित करने के बिना, प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कंपनियों में एफआईआई/एनआरआई/पीआईओ की उच्चतम सीमाओं को दैनिक आधार पर मॉनीटर करेगा। विदेशी निवेश की उच्चतम परिसीमाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विच्छेदक बिंदुओं को निर्धारित किया है, जोकि वास्तविक उच्चतम सीमा से कम दोहरे प्रतिशत बिंदु हैं। उदाहरण के लिए, कंपनियां, जिनमें एनआरआई/पीआईओ कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, के लिए विच्छेदक बिंदु 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 24 प्रतिशत की उच्चतम सीमा वाली कंपनियों के लिए विच्छेदक परिसीमा 22 प्रतिशत है।

आगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति और पत्र दिनांक 7 जुलाई, 2010 द्वारा अधिसूचित किया है कि पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट स्कीम (पीआईएस) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों की आरईसी इक्विटी शेयरधारिता में संपूर्ण निवल खरीद की सीमा 22 प्रतिशत तक हो गई है तथा प्राइमरी/सेकेंडरी बाजार से आरईसी के इक्विटी शेयरों की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पहले अनुमति लेनी आवश्यक होगी। आरईसी की कुल प्रदत्त पूंजी के वर्तमान मुक्त प्रवाह 33.20% को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि आरईसी की प्रदत पूँजी 24 प्रतिशत से 35 प्रतिशत में विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारिता परिसीमा बढाने के लिए सामान्य बैठक की अनुमति ली जाए। इससे विदेशी संस्थागत निवेशक आरईसी के वर्तमान मुक्त प्रवाह 33.20 प्रतिशत के मुकाबले अपने निवेश/धारिता को रिजर्व बैंक के प्रतिबंध के बिना 33 प्रतिशत तक बढा सकेंगे।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल शेयरधारिता आरईसी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक किए जाने की स्थिति में न केवल आरईसी के निदेशक मंडल का अनुमोदन अपेक्षित है बल्कि एक विशेष संकल्प पारित करने के द्वारा आम बैठक का अनुमोदन, तथा भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन भी अपेक्षित है।

21 जुलाई, 2010 को आयोजित 366वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में यथा निहित प्रस्तावित सामान्य संकल्प को पारित किए जाने की अनुंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित सामान्य संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

मद संख्या 9

"**निदेशकों की नियुक्ति तथा क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने वालों का अनुपात**" से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 की विद्यमान उपबंधों को नीचे पुनःप्रस्तुत किया गया है:

(1) प्रत्येक वार्शिक आम बैठक में सभी निदेशकों की सेवानिवृत्ति के लिए जब तक अनुच्छेदों में वर्णित न किया जाए, एक पब्लिक कंपनी अथवा एक निजी कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की अनुशंगी है, के निदेशकों की कुल संख्या का न्यूनतम दो-तिहाई, में

(क) वे व्यक्ति होंगे जिनकी कार्य अवधि को क्रमावर्तन पर निदेशकों की सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा; तथा

(ख) जिन्हें इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कंपनी द्वारा आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा।

(2) ऐसी किसी कंपनी के मामले में शेश निदेशकों, तथा एक निजी कंपनी, जो किसी पब्लिक कंपनी की अनुशंगी नहीं है, के मामले में सामान्यतया निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी के नियमों में किन्हीं विनियमों की अनुपस्थिति में या के अंतर्गत होने पर भी आम बैठक में कंपनी द्वारा की जाएगी।

आरईसी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) के विद्यमान अनुच्छेद 82(1) में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा उसकी निबंधन एवं शर्तें, पारिश्रमिक तथा कार्यकाल को समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्त किए गए अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अधिनियम की धारा 255 के तहत क्रमावर्तन पर सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, आरईसी के संस्था के अंतर्नियम के विद्यमान अनुच्छेद 82(2) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक तथा अन्य निदेशकों को भी नियुक्त करेंगे। हालांकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के मामले में ऐसे परामर्श की आवयकता नहीं है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/उपाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा अन्य निदेशक सहित निदेशकों की कुल संख्या कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी तथा वे क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्त होने के अधीन नहीं होंगे।

आरईसी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) के विद्यमान अनुच्छेद 82(3) में यह प्रावधान किया गया है कि शेष निदेशक, जो निदेशकों का दो तिहाई हैं, चाहे पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक हों या अंशकालिक सरकारी/अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आम बैठक में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्त किए गए निदेशक क्रमावर्तन के द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे।

मार्च, 2008 में आरईसी के शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव(आईपीओ) से पूर्व, आरईसी की समग्र प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार द्वारा धारित थी, तथा सरकारी अधिसूचना सं0 जीएसआर 906 दिनांक 30.07.1981 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति, क्रमावर्तन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के निर्धारण तथा उनकी रिक्तियों को भरने से संबंधी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255, 256, और 257 आरईसी के लिए लागू नहीं थी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों, अर्थात् निदेशक(वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी), को विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक को भी इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों तथा सरकार के प्रतिनिधि निदेशक के अलावा स्वतंत्र कार्यभार निदेशकों सहित अन्य सभी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार, वर्तमान में आरईसी के सभी निदेशकों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

हालांकि, अनुच्छेद 82(2) यह स्पष्ट करता है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रकार्यात्मक निदेशकों, तथा अन्य निदेशकों सहित निदेशकों की कुल संख्या, कंपनी के निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त निदेशकों की संख्या, निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक हो जाती है। उक्त अनुच्छेद 82(2) यह भी स्पष्ट करता है कि इस अनुच्छेद के तहत नियुक्त निदेशक क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं हैं। यह भी व्यवहार्यतः संभव नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम दो-तिहाई निदेशकों का क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होना अपेक्षित है।

यद्यपि, अनुच्छेद के अंतर्गत आम बैठक में कंपनी द्वारा दो तिहाई निदेशकों की नियुक्ति करने का प्रावधान है, तथा ये नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, तत्पश्चात इन नियुक्तियों को, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के पश्चात, अनुमोदन/नियमन के लिए आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त निदेशकों को आम बैठक में कंपनी द्वारा पुनर्नियुक्त किया जाता है।

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के पश्चात, चूंकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 के सांविधिक उपबंधों की तुलना में विद्यमान अनुच्छेद 82(2) तथा 82(3) में कुछ विसंगति पाई गई अतः आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली के विद्यमान अनुच्छेद 82(2) तथा 82(3) में संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि यह कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुकूल हो सके।

संस्था के अंतर्नियम में ऐसे संशोधन के लिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अनुसार, आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करके कंपनी का अनुमोदन लेना अपेक्षित है। 07 जुलाई, 2010 को आयोजित 365वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा कंपनी के सदस्यों द्वारा सूचना में यथा निहित प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की है।

किसी भी निदेशक का प्रस्तावित सामान्य संकल्प में कोई हित या सरोकार नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालयः
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
दिनांक : 22 जुलाई, 2010

(बा.आर.रघुनदन)
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

41वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति का प्रयास कर रहे निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त

नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति की तारीख	योग्यताएं	विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	आरईसी के अलावा अन्य सार्वजनिक कंपनियों की समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता
श्री वेणुगोपाल एन. धूत	30.09.1951	20.12.2007	पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री	वह वीडियोकोन ग्रुप आफ कंपनीज के प्रमोटर हैं और उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स और घरेलू उपकरणों, तेल एवं गैस, बिजली तथा दूर संचार क्षेत्रों में उनके विभिन्न प्रकार के हित हैं। 31 वर्षो के अपने गहन अनुभव के चलते उन्होंने वीडियोकोन ग्रुप का विस्तार किया। वह एसोसिएट चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रहे। वह इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस ऑफ मराठवाड़ा के भी अध्यक्ष हैं। वह उड़ीसा के औद्योगिक विकास संबंधी मुद्दों पर उड़ीसा सरकार के सलाहकार हैं। वह मराठवाड़ा एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य हैं। वह पूना विश्वविद्यालय इन्फोरमेशन इंप्लायमेंट तथा गाइडेंस सलाहकार समिति के सदस्य हैं और असम इनवेस्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं।	पब्लिक लिमिटेड कंपनियां- 1. वीडियोकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2. वैल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3. कैल लिमिटेड 4. नेक्स्ट रिटेल इंडिया लिमिटेड 5. वीडियोकोन रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड 6. वीडियोकोन इंटरनेशनल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड 7. भारत होटल्स लिमिटेड 8. वीडियोकोन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड 9. वीडियोकोन पॉवर वेंचर्स लिमिटेड 10. वीडियोकोन एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड 11. एवांस फ्रेजर्स एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड <u>प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां</u> 1. सॉलिटेयर अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड 2. टेककेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3. निप्पोन इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 4. डोम-बैल इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 5. भारत ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 6. ईश्वर होम अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड 7. जम्बो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 8. सीनियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड <u>सेक्शन 25 कंपनियां</u> 1. मराठवाड़ा मेडिकल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन	1. कैल लिमिटेड- अध्यक्ष : लेखापरीक्षा समिति 2. वीडियोकोन इंटरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड- सदस्य : लेखापरीक्षा समिति
डॉ. देवी सिंह	02.09.1952	07.01.2008	राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर्स डिग्री, आईआईएम अहमदाबाद के फेलो	उन्हें कुल मिलाकर 32 वर्षों का अनुभव है। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का अनुभव शामिल है। इस समय वह आईआईएम लखनऊ के निदेशक हैं। वह मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुडगांव के निदेशक रह चुके हैं। वह मैकगिल विश्वविद्यालय मांट्रियाल और इंटरनेशनल सेंटर फार पब्लिक इंटरप्राइजेज इन डेवल्पिंग कंट्रीज, लुबलियाना, स्लोवेनिया के विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। वह इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं। वर्ष 2000 में उन्हें अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए ने 'मैन आफ दि मिलेनियम के पुरस्कार' से सम्मानित किया।	1. एनर्जी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 2. मुंजाल शोवा लिमिटेड	शून्य

निदेशकों का परिचय

डॉ. जयराज मोरेश्वर फाटक, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*

डॉ. जयराज मोरेश्वर फाटक, (55 वर्ष) 15 जून, 2010 से आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। आरईसी में कार्यभार संभालने से पहले आप पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।

डॉ. फाटक महाराष्ट्र संवर्ग के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में 32 वर्ष तक सेवा की है। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन में डॉक्टरेट किया है। आपने जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हारवर्ड यूनिवर्सिटी से लोक प्रशासन में एम.ए. किया है और आईआईटी, मुंबई के भौतिक विज्ञान विभाग से एम.एससी. की डिग्री (1975) प्राप्त की है। आप हारवर्ड यूनिवर्सिटी के एडवर्ड मैसन फेलो थे और आपने अर्थशास्त्र में के.के. बिरला फैलोशिप प्राप्त की है।

आपको 2007-09 से मुंबई के म्युनिसिपल कमिशनर (बीएमसी)के रूप में नगर सुशासन का गहरा अनुभव है। इससे पहले आप पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कारपोरेशन (जो पुणे का उप-नगर है) और नवी मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में कार्य कर चुके थे। डॉ. फाटक ने महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। आप महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास, विद्यालयी शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव भी रहे हैं। सचिव, विद्यालयी शिक्षा के रूप में आपने अपने कार्यकाल में शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी सराहना की गई थी। आपने पाँच वर्ष तक भारत सरकार में कार्य किया है, जिनमें से चार वर्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में और सात माह पंचायती राज मंत्रालय में कार्य किया है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुंबई के अतिथि प्रोफेसर भी हैं।

डॉ. फाटक आईआईटी, मुंबई चेस टीम के सदस्य भी थे, जिसने वर्ष 1974 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चेस टूर्नामेंट जीता था। आप महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं।

15 जून, 2010 को कार्यभार ग्रहण करते समय डॉ. जयराम मोरेश्वर फाटक के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

श्री एच.डी. खुंटेटा, *निदेशक (वित्त)*

श्री हरिदास खुंटेटा, जिनकी आयु 58 वर्ष है, मई, 2004 से हमारे निदेशक (वित्त) हैं। उनके पास राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक की उपाधि है। वे आईसीएआई के सदस्य भी हैं। श्री खुंटेटा को वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में 33 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है, जिसमें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संसाधन संग्रहण, निवेशक सेवा तथा कारपोरेट अभिशासन शामिल हैं। निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व, वे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) में 'कार्यकारी निदेशक' (वित्त एवं लेखा) के पद पर थे तथा साथ ही एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम नामतः नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन के बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे।

श्री खुंटेटा वित्तीय कार्यनीतियां और योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि कंपनी अपने स्वप्नों को साकार करने में समर्थ बन सके। वह संगठनात्मक और वित्तीय आयोजना को शामिल करते हुए संगठन के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों, वित्तीय नीति तैयार करने, वित्त लेखांकन, प्रबंधन नियंत्रण पद्धति, नकद और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधन जुटाना और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार खिलाड़ियों के साथ संपर्क संबंधी निदेश देते हैं। वह कोषागार, गतिविधियों, उधार देने के प्रचालनों का भी पर्यवेक्षण करते हैं तथा कारपोरेट जोखिम प्रबंधन मामलों में सलाह देते हैं।

31 मार्च, 2010 को श्री हरिदास खुंटेटा के पास कंपनी में 14000 इक्विटी के शेयर धारित थे।

श्री गुलजीत कपूर, *निदेशक(तकनीकी)*

श्री गुलजीत कपूर, जिनकी आयु 59 वर्ष है, एक दिसंबर, 2008 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़ से प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे आरजीजीवीवाई योजना के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन पहलुओं के प्रभारी हैं। श्री कपूर को विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों अर्थात बीबीएमबी, पीएसईबी, पावरग्रिड, एनएचपीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन और आरईसी में काम का 39 वर्ष का अनुभव है। कंपनी के निदेशक (तकनीकी)का पद ग्रहण करने से पूर्व वे कंपनी में महाप्रबंधक (पारेषण एवं वितरण)के रूप में कार्यरत थे। वह 14 सितंबर, 2005 को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और 15 सितंबर, 2007 को कंपनी में स्थायी रूप से आमेलित हुए। कंपनी में कार्यभार ग्रहण से पूर्व वे पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

31 मार्च, 2010 को श्री गुलजीत कपूर के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

श्री देवेन्द्र सिंह निदेशक, *(सरकारी नामिती निदेशक)*

श्री देवेन्द्र सिंह, जिनकी आयु 48 वर्ष है, वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता के साथ साथ मांग पक्ष प्रबंधन तथा वितरण क्षेत्र के प्रभारी हैं। उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिग कॉलेज, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वह वर्ष 1987 से हरियाणा संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तथा करीब 22 वर्षों से सिविल सेवा में हैं । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने उपायुक्त गुड़गांव, हरियाणा, उपायुक्त करनाल, निदेशक, उद्योग तथा खनन, और प्रबंध निदेशक, हरियाणा आपूर्ति और विपणन परिसंघ के पद पर भी कार्य किया है। वह हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। आपने निदेशक मंडल में 29 अगस्त, 2007 को कार्यभार ग्रहण किया।

31 मार्च, 2010 को श्री देवेन्द्र सिंह के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

श्री वेणुगोपाल एन. धूत, *स्वतंत्र निदेशक*

श्री वेणुगोपाल एन. धूत, जिनकी आयु 59 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसंबर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह वीडियोकॉन कंपनी समूह के संप्रवर्त्तकों में से एक हैं और उन्होंने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों, तेल एवं गैस, विद्युत एवं दूरसंचार के कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 31 वर्ष से अधिक समय से वीडियोकॉन समूह से जुड़े हुए हैं। वह भारत के एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे। उन्होंने मराठवाड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ है। वह उड़ीसा में औद्योगिक विकास के मुद्दों के संबंध में उड़ीसा सरकार के सलाहकार के रूप में हैं। वह मराठवाड़ा एक्सपोर्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य, पूणे यूनिवर्सिटी इंफारमेशन इम्पलायमेंट एडं गाइडेंस की सलाहकार समिति के सदस्य तथा असम इन्वेस्टमेंट एडवायजरी बोर्ड के सदस्य हैं।

31 मार्च, 2010 को श्री वेणुगोपाल एन. धूत के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

डॉ. एम.गोविन्द राव, *स्वतंत्र निदेशक*

डॉ.एम. गोविन्द राव, जिनकी आयु 63 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय, उड़ीसा से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है। वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। इस समय वह राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक हैं। बोर्ड में कार्यग्रहण करने से पूर्व, वह 1998 से 2002 तक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के निदेशक तथा रिसर्च स्कूल ऑफ पेसिफिक एंड एशियन स्टडीज, आस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा, आस्ट्रेलिया के फेलो (1995-1998) और एनआईपीएफपी (1985-1995) के प्रोफैसर तथा वित्त आयोग, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार (1987-1990) रहे। वे आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स चेन्नई के बोर्ड ऑफ गवनर्स के सदस्य हैं। डॉ. गोविन्द राव, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा यूएनडीपी के परामर्शदाता रहे हैं और उन्होंने कई विकासशील देशों में विभिन्न विकास के मुद्दों पर कार्य किया है। वे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक हैं। डॉ. राव भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी अंचल, के स्थानीय बोर्ड के भी सदस्य हैं। उन्होंने तेरह पुस्तकें लिखी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आर्थिक नीति संबंधी कई मोनोग्राफ तथा अनुसंधान पत्र लिखे हैं।

31 मार्च, 2010 को डॉ. एम.गोविन्द राव के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

श्री पी. आर. बालासुब्रामणियन, *स्वतंत्र निदेशक*

श्री पी. आर. बालासुब्रामणियन, जिनकी आयु 66 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 20 दिसम्बर, 2007 से स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स, कोलकाता के अध्येता और फैलो ऑफ दी इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेशन, नई दिल्ली के अध्येता हैं। श्री बालासुब्रामणियन को विद्युत और औद्योगिक क्षेत्र में 40 वर्ष का अनुभव प्राप्त है तथा इन्होंने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में पांच वर्ष तक निदेशक (विद्युत) के पद पर कार्य किया है। हमारे बोर्ड में शामिल होने से पहले वह फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। उन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में तथा एटॉमिक एनर्जी इस्टेबलिशमेंट तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी कार्य किया है। वह इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, (परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है,) के बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक हैं।

31 मार्च, 2010 को श्री पी. आर. बालासुब्रामणियन के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

डॉ.देवी सिंह, *स्वतंत्र निदेशक*

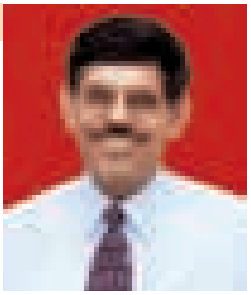

डॉ. देवी सिंह, जिनकी आयु 58 वर्ष है, हमारी कंपनी के बोर्ड में 07 जनवरी, 2008 से स्वतंत्र निदेशक हैं। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में अध्येता रह चुके हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय वित्त, वित्त प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विशेषज्ञ के रूप में अनुभव सहित कुल 32 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है। वह इस समय भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के निदेशक हैं। उन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह प्रबंधन संकाय, मैकगिल विश्वविद्यालय मान्ट्रियल में और विकासशील देशों, लजुबलियाना, सलोवेनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र में अभ्यागत प्राचार्य रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में भी प्राचार्य रहे हैं। उन्हें वर्ष 2000 में अमरीकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट, यूएसए में 'मैन ऑफ दि मिलेनियम अवार्ड' से सम्मानित किया गया था।

31 मार्च, 2010 को डॉ. देवी सिंह के पास कंपनी में शून्य शेयर धारित थे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारक,

आपके निदेशक मंडल को लेखा परीक्षित खातों के विवरण सहित 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आप की कंपनी की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

1. कार्य निष्पादन संबंधी मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की तुलना में वर्ष 2009-10 के संबंध में कंपनी के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

मापदंड	2009-10 (करोड़ रुपयों में)	2008-09 (करोड़ रुपयों में)
स्वीकृत ऋण	**45357.36***	40745.84*
संवितरण (आरजीजीवाई के		
अतंर्गत सब्सिडी सहित)	**27127.14**	22277.86
वसूली	**12496.12**	9796.97
कुल प्रचालनात्मक आय	**6549.76**	4757.17
कर पूर्व लाभ	**2649.19**	1920.11
कर पश्चात लाभ	**2001.42**	1272.08

* आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी छोड़कर

1.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी की कुल प्रचालन आय वर्ष के दौरान पहले के मुकाबले 38 प्रतिशत बढ़ी है और यह रुपये 4757.17 करोड़ से बढ़कर रुपये 6549.76 करोड़ हो गयी। इससे पहले वाले वर्ष के रुपये 1920.11 करोड़ की तुलना में कर पूर्व लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर रुपये 2649.19 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से कर पश्चात लाभ में 57 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और यह पहले के रुपये 1272.08 करोड़ से बढ़कर रुपये 2001.42 करोड़ हो गया।

1.3 लाभांश

जनवरी, 2010 में अदा किये गये रुपये 3 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश के अलावा आपके निदेशकों ने वर्ष 2009-10 के लिए रुपये 3.50 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार से वर्ष के लिए कुल लाभांश रुपये 6.50 प्रति शेयर हो जायेगा जबकि इससे पहले वाले वर्ष में यह लाभांश प्रति शेयर रुपये 4.50 था। वर्ष के लिए कुल रुपये 603.21 करोड़ की राशि लाभांश के रुप में दी जा रही है।

आरईसी ने वर्ष 2008-09 के लिए रू. 214.67 करोड़ का लाभांश घोषित किया। श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, 25 सितंबर, 2009 को श्री सुशील कुमार शिंदे, माननीय विद्युत मंत्री को लाभांश चैक प्रस्तुत करते हुए

1.4 अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ)

फरवरी, 2010 में इस कंपनी ने दस रुपये अंकित मूल्य वाले 171,732,000 इक्विटी शेयर जारी किये थे। इनकी कीमत सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन 2009 के पार्ट डी अनुसूची 11 के अंतर्गत आल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड से तय की गयी थी। इस इश्यू में कंपनी के 128,799,000 नये इक्विटी शेयर और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के जरिये लाये गये भारत के राष्ट्रपति की ओर से बिक्री के लिए पेश किये गये 42,933,000 इक्विटी शेयर शामिल थे। ये शेयर गैर संस्थागत/फुटकर व्यक्तिगत निवेशकों को रुपये 203 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से और कंपनी के कर्मचारियों को रुपये 193 प्रति इक्विटी शेयर तथा क्यूआईबी वर्ग के खरीददारों को 206 रुपये प्रति शेयर उनकी बोली के हिसाब से दिये गये। इनमें म्युचुअल फंड भी शामिल थे। इस इश्यू को बाजार में जबरदस्त रेस्पांस मिला और इस निर्गम को 3.14 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ। कुल 57858 आवेदन प्राप्त हुए। नये इक्विटी शेयर 5 मार्च, 2010 को आबंटित किये गये और कंपनी ने इस अनुवर्ती निर्गम के जरिये कुल 2647.53 करोड़ रुपये जुटाये। इस इक्विटी शेयर के नये निर्गम से जो राशि प्राप्त हुई उसे आफर डाक्यूमेंट में उल्लिखित तरीके से कंपनी के बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया। एफपीओ के अंतर्गत जारी कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया और बाम्बे स्टाक एक्सचेंज में 8 मार्च, 2010 को शुरू हुई। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को जरुरी लिस्टिंग फीस अदा कर दी गयी है।

एफपीओ जारी किये जाने के बाद के परिदृश्य में इस कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 81.82 प्रतिशत से घटकर 66.80 प्रतिशत हो गयी है। शेष 33.20 प्रतिशत शेयर आम जनता के पास हैं।

1.5 अंश पूंजी

एफपीओ के बाद 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जारी और चुकता शेयर पूंजी रुपये 858.66 करोड़ से बढ़कर रुपये 987.46 करोड़ हो गयी। प्राधिकृत पूंजी रुपये 1200 करोड़ है। रुपये 2499.18 करोड़ की राशि (रुपये 19.55 करोड़ इश्यू पर हुए खर्च को घटाकर) सिक्यूरिटी प्रीमियम एकाउंट में डाल दी गयी है।

2. स्वीकृत ऋण

आरईसी ने आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी को छोड़कर पिछले साल के रुपये 40745.84 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान रुपये 45357.36 करोड़ के ऋण मंजूर किये। वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋणों का राज्यवार और श्रेणीवार विवरण संलग्न **सारणी-1 और 2** में दिया गया है। कंपनी की स्थापना से 31.03.2010 तक संचयी रुप से कुल स्वीकृत ऋण रुपये 266775.59 करोड़ हो गया है, जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी भी शामिल है। वर्ष 2009-10 तक स्वीकृत ऋण की राज्यवार संचयी स्थिति **सारणी-3** में दी गयी है।

3. संवितरण

वर्ष 2009-10 के दौरान कुल मिलाकर रुपये 27127.14 करोड़ की राशि संवितरित की गयी जबकि इसके पहले वर्ष के दौरान रुपये 22277.86 करोड़ की रकम संवितरित की गयी थी। इसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल थी। स्थापना से 31.03.2010 तक संचयी रूप से रुपये 113533.13 करोड़ की राशि संवितरित की जा चुकी है जिसमें आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सब्सिडी शामिल नहीं है। वर्ष के दौरान राज्यवार संवितरण और देनदारों द्वारा ऋण वापसी के विवरण संचयी रूप से **सारणी-4** में दिये गये हैं। इनमें 31.03.2010 तक के बकाया भी शामिल है।

4. वसूली

4.1 वर्ष 2009-10 के दौरान वसूली के लिए देय राशि रुपये 12461.02 करोड़ थी जबकि इससे पहले वर्ष के दौरान ऐसी रकम रुपये 9788.90 करोड़ थी। 31.03.2010 तक चूककर्ता देनदारों से रुपये 166.60 करोड़ की राशि अतिदेय थी। कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान रुपये 12496.12 करोड़ की वसूली की जबकि इसके पहले वाले साल रुपये 9796.97 करोड़ की वसूली की गयी थी। इसके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

विवरण	कुल राशि (करोड़ में)
10.04.2009 को अतिदेय	201.70
वर्ष के दौरान प्राप्य राशि	12461.02
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	12496.12
31.03.2010 को अतिदेय	166.60

4.2 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार रुपये 166.60 करोड़ की राशि अतिदेय थी जिसमें से 31.05.2010 तक रुपये 30.32 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

4.3 यह कंपनी अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) में कमी लाने का प्रयास करती रही है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी की सकल अनर्जक परिसम्पति रुपये 19.54 करोड़ (यानी सकल ऋण परिसम्पति के 0.03 प्रतिशत के बराबर) थी जबकि 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार ऐसा एनपीए रुपये 68.89 करोड़ (अर्थात सकल ऋण परिसम्पत्तियों के 0.14 प्रतिशत के बराबर) था।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के बारे में कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:-

(करोड़ रुपये में)

	स्टैंड अलोन		समेकित	
विवरण	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**
सकल आय	6707.60	4931.28	6747.63	4936.55
कर पूर्व लाभ	2649.19	1920.11	2680.76	1922.36
मूल्यह्रास	2.16	1.36	2.18	1.37
आयकर एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान	647.77	648.03	658.51	648.83
शुद्ध लाभ/कर पश्चात लाभ	2001.42	1272.08	2022.25	1273.53
विनियोजन:				
विशेष आरक्षित कोष में अंतरण	458.03	340.00	458.03	340.00
अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए आरक्षित				
कोष मे अंतरण	107.60	80.00	107.60	80.00
अंतरिम लाभांश	257.60	171.73	257.60	171.73
अंतरिम लाभांश पर लाभांश कर	43.77	29.19	43.77	29.19
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	345.61	214.67	345.66	214.72
प्रस्तावित अंतिम लाभांश				
पर लाभांश कर	57.40	36.48	57.41	36.49
सामान्य आरक्षित कोष				
में अंतरण	500.00	255.00	500.75	256.00
अग्रेनीत शेष	557.17	145.01	577.20	145.40

5.2 संसाधन संग्रहण

इस कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से रुपये 24028.24 करोड़ की रकम जुटायी। इसमें से ऋण के रूप में रुपये 3055.00 करोड़, कमर्शियल बैंकों से, रुपये 3057.77 करोड. कैपिटल गेन टैक्स एग्जेंप्शन बांडो से और रुपये 13529.50 करोड़ गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बांडो से, रुपये 3150 करोड़ कमर्शियल पेपर से, रुपये 630 करोड़ कमर्शियल बैंकों से अल्प अवधि ऋण के रूप में और रुपये 605.97 करोड़ जर्मनी के क्रेडीटांस्टैट फर विडेराफवो (केएफडब्ल्यू) और जापान के जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी से सरकारी विकास सहायता के रुप में प्राप्त हुए। आरईसी के घरेलू ऋण लिखतों को केड्रिट रेटिंग एजेंसियों - क्राइसिल, केयर, फिच एवं इकरा से "एएए" रेटिंग मिलनी जारी रही। यह इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सबसे ऊंची रेटिंग है।

नकद उधार सुविधाएं

दिन प्रतिदिन के प्रचालन के लिए कंपनी ने विभिन्न बैंकों से नकद उधार सुविधाओं का प्रबंध किया है। इनकी सीमा 1200 करोड़ रुपये है।

5.3 सावरन रेटिंग

कंपनी को मूडी तथा फिच जैसी अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेंटिंग एजेंसियों से भारत को मिली सावरन रेंटिंग के समान अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेंटिंग प्राप्त है जो क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी" है।

5.4 ऋणों की लागत

वित्त विधेयक 2006 के अनुसार 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत सिर्फ आरईसी और नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) संसाधन जुटाने के पात्र हैं। इस सुविधा से ऋण लागत का स्तर कम रखने में मदद मिली है। वर्ष 2009-10 के दौरान आरईसी को निधियों की औसत वार्षिक लागत 7.31 प्रतिशत पड़ी है। इसका नतीजा यह है कि आरईसी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वित्तपोषण करने में सक्षम है।

5.5 विमोचन और पूर्व भुगतान

वर्ष के दौरान कंपनी ने भारत सरकार को रुपये 15.32 करोड़ की राशि लौटाई। इसने गैर प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र के बांड धारकों को रुपये 838.92 करोड़ की कुल राशि भी विमोचित की। इसके अलावा, 7414.99 करोड़ रुपये की पूंजी लाभ कर छूट वाले बांडों तथा 13.46 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडधारकों को विमोचित किए गए। कंपनी ने बैंको से रुपये 2624.62 करोड़ दीर्घावधि और अल्पावधि के ऋणों और कमर्शियल पेपर के जरिए 1995 करोड़ रुपये की राशि विमोचित की।

5.6 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा खर्च संबंधी विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खर्च संबंधी विवरण अनुसूची 17 की "लेखा टिप्पणियों" की मद 16 में दिए गए हैं, जो वार्षिक खातों के भाग हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई।

5.7 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर कंपनी के कुल संसाधन 67028.56 करोड़ रुपये के थे। इसमें से 987.46 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर पूंजी, 10092.87 करोड़ रुपये आरक्षित एवं अधिशेष, 55948.23

करोड़ रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण और बाजार से उधार के रूप में थे। इनमें से 66452.61 करोड़ रुपये दीर्घावधि/अल्पावधि ऋणों में, 89.91 करोड़ रुपये अचल परिसंपत्तियां (प्रगति में पूंजी निर्माण को मिलाकर) खरीदने में, 909.86 करोड़ रुपये निवेश में, 7.37 करोड़ रुपये आस्थगित कर देयता के लिए रखे गए तथा (-) 431.19 करोड़ रुपये निवल चालू परिसंपत्तियों में शेष रहे।

वर्ष 2009-10 के दौरान वसूल न किए जा सकने योग्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में 3068.39 लाख रुपये की रकम आय के रूप में पुनरांकित की गयी। ऋण परिसंपत्तियों की वसूली और उच्चीकरण के कारण ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।

6. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि :-

(1) 31 मार्च, 2010 को समाप्त साल के लिए वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

(2) निदेशकों ने कंपनी को उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय विवरण की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया तथा ऐसे फैसले और आकलन किए है, जो विवेकपूर्ण हैं;

(3) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम,1956 के उपबंधों के अनुरुप यथेष्ट लेखा रिकॉर्ड के अनुरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया है;

(4) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते कार्यरत प्रतिष्ठान के आधार पर (गोइंग कन्सर्न बेसिस) पर तैयार किए हैं।

7. वित्तपोषण गतिविधियां

आरईसी गांवों के विद्युतीकरण के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

7.1 विद्युत उत्पादन

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने विद्युत उत्पादन/आर एंड एम ऋणों की 26 योजनाएं स्वीकृत कीं, जिनमें रुपये 24031.32 करोड़ वित्तीय परिव्यय वाली अतिरिक्त ऋण सहायता की पांच योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2002-03 से 31.03.2010 तक आरईसी ने रुपये 103804 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वाली आर एंड एम, ताप विद्युत, पवन तथा पन बिजली योजनाएं स्वीकृत की हैं। चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए आरईसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 8349 करोड़ रुपये संवितरित किए।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत ऋणों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:–

	ऋण की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रुपये में)
राज्य क्षेत्र		
नये ऋण	9	**12282.37**
अतिरिक्त ऋण	4	
निजी क्षेत्र		
नये ऋण	12	**11749.95**
अतिरिक्त ऋण	1	
जोड़ नये ऋण+अतिरिक्त ऋण	**21+5=26**	**24031.32**

7.2 पारेषण तथा वितरण

आरईसी ने अपने पारेषण एवं वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत देश में नवीन मूल सुविधाएं सृजित करने तथा पारेषण एवं वितरण तंत्र के अंतर्गत पहले से मौजूद अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखी। वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने तथा साथ ही ए टी एंड सी क्षतियों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप आरईसी पारेषण तंत्र के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए तथा उससे भी महत्वपूर्ण, वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजनाओं का वित्तपोषण करता रहा है।

7.3 तंत्र सुधार एवं थोक ऋण

वर्ष 2009-10 के दौरान आरईसी ने रुपये 15421.64 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली कुल 289 तंत्र सुधार एवं बल्क लोन स्कीमें मंजूर कीं। इनमें(1) ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपेसिटर जैसे जरूरी उपकरणों की स्थापना के लिए शुरू की गयी रुपये 1177.75 करोड़ खर्च वाली 30 स्कीमें, (2) लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलने की रुपये 1705.48 करोड़ खर्च वाली 29 स्कीमें, (3) तंत्र सुधार के लिए बनाई गयी 3466.33 करोड़ रुपये परिव्यय वाली 122 स्कीमें और (4) पारेषण व्यवस्था में सुधार की 9072.07 करोड़ रुपये व्यय वाली 108 स्कीमें शामिल हैं।

7.4 पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 240020 सिंचाई पंपसेटों को ऊर्जायित करने की सूचना मिली। इसके लिए आरईसी ने 964.74 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वाली 103 नई स्कीमें मंजूर कीं। इनके विवरण और 31 मार्च, 2010 को संचयी स्थिति **सारणी-5** में दी गयी है।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां

पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में पूर्वोत्तर राज्यों को 30.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गयी, जबकि इससे पहले वर्ष के दौरान इस प्रकार की संवितरित राशि रुपये 25 करोड़ थी। वर्ष 2009–10 के दौरान नगालैंड के लिए तंत्र सुधार वर्ग में मंजूर एक स्कीम के लिए रुपये 32.54 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गयी।

8. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और आवास विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की थी जिसका लक्ष्य पांच वर्षों में

सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करना था। यह योजना आरईसी के जरिए लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की कुल लागत के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

8.1 गांवों और गरीबी रेखा से नीचे के आवासों का विद्युतीकरण

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पांच हजार करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी वाली चरण एक की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक अनुमोदन दिया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए 9733 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत परियोजनाओं की लागत वाली 180699 गांवों (68763 अविद्युतीकृत और 111936 विद्युतीकृत गांवों) के विद्युतीकरण की 235 परियोजनाएं मंजूर की गयीं थीं।

इसके बाद सभी आवासों के विद्युतीकरण और 1.15 लाख अविद्युतीकृत गांवों और 2.34 करोड़ बीपीएल आवासों को कनेक्शन देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस स्कीम को 11वीं योजना अवधि में जारी रखने की मंजूरी दी गयी और इसके लिए रुपये 28000 करोड़ की पूंजी सब्सिडी की व्यवस्था की गयी। 11वीं योजना के दौरान विद्युत मंत्रालय ने 16621 करोड़ रुपये लागत की 338 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनके अंतर्गत 292767 (49736 अविद्युतीकृत और 243031 विद्युतीकृत) गांवों का विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा।

10वीं योजना और 11वीं योजना अवधि में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के राज्यवार विवरण **सारणी-6** में दिए गए हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत सूचना दी गयी है कि 53370 गांवों (18374 अविद्युतीकृत और 34996 विद्युतीकृत गांवों) में निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं और वर्ष 2009-10 के दौरान 49.49 लाख ग्रामीण आवासों को कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें 47.18 लाख बीपीएल आवास शामिल हैं।

संचयी रूप से योजना के अंतर्गत 190858 गांवों (78256 अविद्युतीकृत और 112602 विद्युतीकृत गावों) में निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 31.03.2010 तक 100.97 लाख बीपीएल आवासों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

वर्ष 2008-09 तक अविद्युतीकृत गांवों और बीपीएल आवासों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क जारी करने के राज्यवार विवरण और निर्माण कार्यों की उपलब्धियां, 2009-10 के दौरान 31.3.2010 तक संचयी उपलब्धियां **सारणी 7** में दी गयी हैं।

9. आरजीजीवीवाई - विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

आरजीजीवीवाई उन गांवों के लिए जहां ग्रिड कनेक्टीविटी व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, वहां पर पंरपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, मिनी हाईड्रो तथा सौर ऊर्जा आदि से डीडीजी परियोजनाओं की व्यवस्था करती है।

डीडीजी तंत्र लोड केन्द्रों के नजदीक लघु विद्युत इकाई है।

योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए आरजीजीवाई के अंतर्गत 90 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें राज्य अथवा स्थानीय करों की राशि शामिल नहीं है। ऐसी राशि का वहन संबंधित राज्य/राज्य यूटीलिटी द्वारा किया जाएगा। परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर का अंशदान राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर किया जाएगा।

11वीं योजना के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 540 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत डीडीजी परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय ने 12.01.2009 को दिशानिर्देश जारी किए थे। अनेक राज्यों ने डीडीजी परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां नियुक्त कर दी हैं और डीडीजी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए जा रहे हैं।

10. नवीकरणीय/ डीडीजी परियोजनाओं की प्रोन्नति में आरईसी का योगदान

अभी तक आरईसी ने जिन नवीकरणीय परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, उनके 31.03.2010 तक के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :-

क्रियान्वयनाधीन तथा चालू हो चुकी परियोजनाएं

क्रम सं.	विवरण	क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं	चालू हो चुकी परियोजनाएं	जोड़
1.	स्वीकृत ऋण का मूल्य (करोड़ रुपये)	1504.58	132.96	1637.54
2.	अभी तक किया गया संवितरण (करोड़ रुपये)	267.73	126.10	393.83
3.	स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रुपये)	2096.05	378.61	2474.66
4.	परियोजनाओं से मेगावाट बिजली	332.70	61.46	394.16
5.	परियोजनाओं की संख्या	12	11	23

11. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, एवं मॉनीटरिंग

यह कंपनी विद्युत संगठनों को वितरण तंत्र में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती रहती है। कंपनी द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आरईसी विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए नए नवाचारों की खोज करती रही है। कंपनी ने हाल ही में 1100 वोल्ट तक के एलटी एरियल बंच्ड केबल के लिए इन्सुलेशन पायरसिंग कनेक्टर्स और ऐंकर (डेड एंड) और 1100 वोल्ट तक वर्किंग वोल्टेज के एलटी एरियल बंच्ड केबल के लिए सस्पेंशन असेम्बलियों के अद्यतन तकनीकी विनिर्देश जारी किए हैं।

आरजीजीवीवाई की 11वीं पंचवर्षीय स्कीमों के कार्यान्वयन में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन चरणों वाली गुणवत्ता नियंत्रण स्कीम के अनुसार आरईसी को गुणवत्ता मॉनीटर नियुक्त किया गया है। इसे 24 राज्यों की 332 परियोजनाओं में यह काम करने की जिम्मेदारी दी गयी है। वर्ष के दौरान आरईसी के गुणवत्ता मॉनीटरों ने 1245 आरजीजीवाई परियोजनाओं की सामग्री की गुणवत्ता जांच की है। इस काम के लिए आरईसी के गुणवत्ता मॉनीटरों को रुपये 1,35,27,230/– की राशि दी गयी है।

12. एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

आरईसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों पॉवरग्रिड, एनटीपीसी और पीएफसी को भागीदार बनाकर एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड(ईईएसएल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है।

इस कंपनी की कुल अंशपूंजी की जरूरत रुपये 190 करोड़ की है, जिसमें सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने बराबरी के आधार पर निवेश किया है। ईईएसएल ने ऊर्जा कुशल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है और ऊर्जा कुशल उपकरणों के इस्तेमाल के लिए मार्केट तैयार कर रहा है, ऊर्जा कुशल कंपनियों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है और ऊर्जा कुशल कंपनियों की सेवाओं में खतरा निवारण के लिए आंशिक रूप से रिस्क गारंटी प्रबंधन कर रहा है। इसके अलावा यह कंपनी वे काम भी करेगी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी व्यापारिक आधार पर करता है। इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि ईईएसएल नेशनल मिशन फार इनहैंस्ड एनर्जी एफीशिएंसी की सिफारिशों को लागू करने का काम करेगी, जो जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक अंग है। ईईएसएल की व्यापार योजना में अन्य कार्यो के अलावा ऊर्जा संरक्षण और बिल्डिंग कोड की परियोजनाएं संभालना, कृषि डिमांड साइड प्रबंधन, म्यूनिसिपल डीएसएम, बचत लैम्प योजना आदि शामिल हैं।

13. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास

13.1 जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)

(1) 31.03.2006 को आरईसी ने जेआईसीए के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार उसे 20.0629 अरब जापानी येन (लगभग रुपये 784 करोड़-विनिमय दर 100 येन = रुपये 38.01, 31.03.2006 की स्थिति) की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह आर्थिक सहायता रूरल इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन परियोजना के लिए मिल रही है, जिसके अंतर्गत 33/11 केवी क्षमता के 749 सब-स्टेशन बनाए जाएंगे और 510 सब-स्टशनों का संवर्धन किया जाएगा। यह परियोजनाए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू की जा रही हैं। इनका कार्यान्वयन अंतिम चरण में है और आरईसी ने 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उधार लेने वाले संगठनों को संचयी रूप से 680.55 करोड़ रुपये संवितरित कर दिए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी काम के लिए रुपये 446.60 करोड़ संवितरित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत 13.47 अरब जापानी येन की ऋण सहायता 31.03.2010 तक जेआईसीए से आहरित की जा चुकी है (पिछले वर्ष 9.38 अरब जापानी येन)। आरईसी की, जेआईसीए द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता से 31.03.2010 तक 33/11 केवी क्षमता के 618 नए सब-स्टेशन (इससे पहले वाले वर्ष 405) बनाए और 337 सब-स्टेशन (इससे पहले वाले वर्ष 270) संवर्धित किए जा चुके थे।

(2) आरईसी ने 10.03.2008 को 20.902 अरब जापानी येन की ओडीए ऋण सहायता के लिए जेआईसीए के साथ दूसरे करार पर हस्ताक्षर किए। भारतीय मुद्रा में यह राशि 833 करोड़ रुपये बैठती है। विनिमय दर 100 येन = रुपये 39.86 (10.03.2008 की दर पर)। इस ऋण सहायता से हरियाणा में अंतरराज्य पारेषण तंत्र सुदृढ़ करने के लिए पारेषण तंत्र परियोजनाएं लागू की जाएंगी। परियोजना कार्यान्वयन का काम प्रगति पर है और आरईसी ने 31.03.2010 तक रुपये 249.39 करोड़ की राशि आबंटित कर दी है। इससे पहले वाले वर्ष आबंटित राशि रुपये 28.07 करोड़ थी। जेआईसीए से 31.03.2010 तक 3.28 अरब जापानी येन (इससे पहले वाले वर्ष 0.55 अरब येन) की राशि आहरित की जा चुकी थी।

13.2 भारत जर्मन द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

(1) आरईसी ने केएफडब्ल्यू ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम-1 के अधीन 70 मिलियन यूरो (लगभग 418 करोड़ रुपये जिसकी विनिमय दर 8.8.2006 को एक यूरो = है 59.74 रुपये थी)के ओडीए ऋण के लिए केएफडब्ल्यू के साथ 8.08.2006 को एक ऋण करार किया। इससे मिलने वाली ऋण सहायता का इस्तेमाल आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर और कडपा जिलों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। यह परियोजना लगभग पूरी हो रही है और 31.03.2010 तक इसके लिए संचयी रूप से आरईसी रुपये 448.43 करोड़ की राशि (पिछले वाले वर्ष 244.57 करोड़)। संवितरित कर चुका है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार इस ऋण में से केएफडब्ल्यू से 67.84 मिलियन यूरो की रकम आहरित की जा चुकी है। (पिछले वाले वर्ष 35.28 मिलियन यूरो)।

(2) आरईसी ने केएफडब्ल्यू के साथ 70 मिलियन यूरो के दूसरे ओडीए ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए (लगभग 466.13 करोड़ रूपये, 16.03.2009 की विनिमय दर एक यूरो = 66.59 रुपये)। इस राशि का इस्तेमाल हरियाणा में ऊर्जा दक्षता और विश्वसनीयता परियोजना के लिए किया जाएगा। केएफडब्ल्यू ने यूएचबीवीएन की सहायता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की मदद ली है जो बोली दस्तावेज और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में सहायता करेगा। खरीद गतिविधियां शुरू हो गयी हैं और वर्ष 2010-11 के शुरू से इस ऋण का आहरण प्रारंभ कर दिए जाने की संभावना है।

(3) भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच वार्षिक पारस्परिक सलाह मश्विरे के दौरान केएफडब्ल्यू ने आरईसी को तीसरी लाइन आफ क्रेडिट के जरिए 100 मिलियन यूरो के ऋण का वादा किया है, जिसका इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में किया जाएगा। इस ऋण समझौते पर वित्तवर्ष 2010-11 के दौरान हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है।

13.3. एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पारेषण और वितरण नेटवर्क की वित्त व्यवस्था के लिए 27.11.2008 को आरईसी को 225 मिलियन अमेरिकी डालर उधार देने के लिए सिद्वांत रूप में अनुमोदन कर दिया है। एडीबी के साथ यह ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बातचीत प्रगति पर है।

13.4. एजेंसी फ्रांसेज द डेवलपमेंट (एएफडी)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान में ऊर्जा दक्षता परियोजना (एचवीडीएस एवं पंपसेट प्रतिस्थापन) के वित्तपोषण हेतु आरईसी के प्रस्ताव की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की थी कि वह इसके लिए एएफडी फ्रांस की सरकारी विकास सहायता कार्यक्रम से वित्तीय सहायता दिलाने पर विचार करे। 80 मिलियन यूरो की यह वित्तीय सहायता भारत-फ्रांस सहयोग के तहत दी जानी है। इसके लिए एएफडी के साथ आगे वार्ता चल रही है और इसके वर्ष 2010-11 के दौरान सफल होने की उम्मीद है।

13.5 स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)

एपीएसपीडीसीएल की एचवीडीएस परियोजना के संबंध में चार परियोजना डिजाइन प्रलेखों की कंपनी द्वारा वित्त व्यवस्था की जा रही है। यह वित्त व्यवस्था आरईसी-केएफडब्ल्यू ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के अधीन होगी। इसमें मेजबान देश ने नामित राष्ट्रीय प्राधिकारी अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से जनवरी, 2009 में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ताकि सीडीएम के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट उपलब्ध हो सके। यह अनुमोदन भारतीय विद्युत वितरण क्षेत्र की एक अजमाइशी योजना (पायलेट प्रोजेक्ट) है जिसमें केएफडब्लू, जर्मनी सहायता कर रहा है।

14. ईआरपी आधारित समन्वित सूचना तंत्र

14.1 आरईसी ने अपने स्थापना दिवस यानी 24.7.2009 को चल रही ईआरपी परियोजना का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसका समारम्भ (गोलाइव) माननीय विद्युत मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। माननीय विद्युत राज्य मंत्री, श्री भरत सिंह सोलंकी, श्री एच.एस. ब्रहमा, सचिव विद्युत एवं श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी भी उपस्थित थे।

14.2 ईआरपी के अंतर्गत आरईसी के सभी प्रमुख कार्य आते हैं, जैसे सेंट्रल एकाउंटिंग, परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति, संवितरण एवं ऋण खाता प्रबंधन, नकदी प्रबंधन एवं कोषागार प्रबंधन, पे रोल तथा खरीद आदि। इस कार्यक्रम के जरिये आरईसी के सभी कार्यालयों में मूल बिंदु पर आंकड़े और सूचना इकट्ठी की जा सकती है और उसे परिभाषित कार्य प्रवाह पदक्रम के अनुरूप उपयुक्त स्तर पर देखा जा सकता है।

14.3 ईआरपी लागू किये जाने के बाद एक आंतरिक मूल्यांकन अनुमान से पता चला है कि विद्युत यूटिलिटियों को दावों की प्रतिपूर्ति में लगने वाला समय 12.2 दिनों से घटकर 1.46 दिन रह गया है।

14.4 ईआरपी कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में कारपोरेट स्तर की एक आईटी मूल सुविधा तथा अति आधुनिक टियर-3 सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर और वीपीएन नेटवर्क आधारित एमपीएलएस (आरईसी को जोड़ने वाला डब्ल्यूएएन) सृजित किया गया है। इस ईआरपी परियोजना की लेखापरीक्षा एक तृतीय पक्षकार यानी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा की जा चुकी है।

14.5 कारपोरेट इन्टरानेट को ज्यादा सूचना और क्रियाकलाप शामिल करके और चुस्त दुरुस्त बनाया गया जिससे वह आरईसी के अंदर तेजी से सूचनाएं पहुंचा सकता है। वित्त वर्ष के दौरान कंप्यूटरीकरण का क्षेत्र बढ़ा है।

14.6 ईआरपी लागू किये जाने के साथ ज्यादा सीटों पर कंप्यूटर तंत्र उपलब्ध करा दिया गया है। कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के अनुपात में इस समय इस तंत्र की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 90 प्रतिशत के आसपास बैठती है।

15. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

15.1 केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र के इंजीनियरों और प्रबंधकों तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकता पूरी करने के लिए आरईसी ने 1979 में हैदराबाद में की थी। सायर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र के कार्यपालकों के लिए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के विभिन्न पहलुओं पर नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

15.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़े देशभर के गावों में वितरण प्रबंधन में फ्रैंचाइजिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने "राष्ट्रीय फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संचालन और उसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए सायर को चुना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 40,000 फ्रैंचाइजियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। सायर ने इसके लिए 41 विद्युत यूटीलिटियों /संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिनके अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2011-12 तक जारी रहेंगे। वर्ष 2009-10 के दौरान 257 फ्रैंचाइजी कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें विभिन्न संगठनों के 9349 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। सायर विद्युत यूटिलिटियों में जाकर उनके कर्मचारियों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करता है।

15.3 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने सायर को नोडल एजेंसी के अधिकार देकर "सी एंड डी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" चलाने के भी अधिकार दिये हैं। इसके लिए वितरण क्षेत्र में काम कर रहे तकनीकी और गैर तकनीकी उन कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो सीधे उपभोक्ता के संपर्क में आते हैं। उनकी कुशलता विकास के लिए कारगर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार आए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर के सी एंड डी वर्ग के 75000 कर्मचारी 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रशिक्षित किये जाएंगे। ये कर्मचारी उन 45 विद्युत यूटीलिटियों /संस्थानों के होंगे जिनके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न संगठनों के लिये 691 कार्यक्रम चलाए गये जिनमें 17,873 भागीदार शामिल हुए।

15.4 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आईटीईसी /एससीएएपी के अधीन 6 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयाजित किये गये। अफगानिस्तान, फिलीपींस, म्यांमार, बंगलादेश, जिम्बाब्वे, आइवरी कॉस्ट, जाम्बिया, ताजकिस्तान, थाईलैंड, मारीशस, तंजानिया, नाइजीरिया, सूडान, इराक, मिस्र, सेनेगल, माली, जार्जिया, गुयाना, सीरिया, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, उज्बेकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, यूक्रेन, मोजामबीक, ओमान, ईरान आदि विभिन्न देशों के 97 प्रशिक्षणार्थी इनमें शामिल हुए। इन कार्यक्रमो में निम्नलिखित विषयों का प्रशिक्षण दिया गया :-

(i) विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणाली की सर्वोत्तम पद्धति
(ii) पारेषण एवं वितरण तंत्र में नई टैक्नालॉजी
(iii) विद्युत परियोजनाओं का नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
(vi) विद्युत वितरण का आधुनिकीकरण
(v) विकेन्द्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन
(vi) विद्युत कंपनियों का वित्तीय प्रबंधन तथा लेखांकन व्यवस्था

यह कार्यक्रम 4/8 सप्ताह की अवधि के थे।

15.5 सायर ने "हाईवोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस)" पर केएफडब्लू जर्मनी की प्रायोजकता में 71 भागीदारों के लिए दो कार्यक्रम भी आयोजित किये।

15.6 उक्त के अलावा ग्राहक आवश्यकता के अनुरूप 10 कार्यक्रम भी आयोजित किये गये जिनमें ये विषय शामिल थे - बिजली की चोरी, तकनीकी एवं कानूनी उपाय, वितरण व्यवस्था में क्षति कम करने के लिये सर्वोत्तम पद्धतियां, ग्राहक प्रबंधन तथा सूचना व्यवस्था, वितरण व्यवस्था की सर्वोत्तम पद्धतियां, ओ एंड एम, गैर वित्तीय कार्यपालकों के लिए वित्त, ऊर्जा लेखा परीक्षा, लेखाकरण एवं लोड मैनेजमेंट। इन कार्यक्रमों में 353 अधिकारी शामिल हुए।

15.7 सायर ने विद्युत मंत्रालय भारत सरकार/पीएफसी द्वारा प्रायोजित तीन आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम भी संचालित किए। ये कार्यक्रम विद्युत संगठनों के कार्यपालकों के लिए थे और इनमें 79 अधिकारी शामिल हुए।

15.8 सायर ने गैर-वित्त कार्यपालकों के लिए वित्त विषय पर 3 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें विद्युत क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधन और रणनीतिक वित्त प्रबंधन के 48 भागीदार शामिल हुए। ये पाठ्यक्रम

विद्युत क्षेत्र के सहयोग से हैदराबाद के एक ख्याति प्राप्त बिजनेस स्कूल-इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक इंटरप्राइज के सहयोग से चलाए गए और इनमें इस संस्थान के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की सेवाएं ली गयीं, जिससे भागीदारों को लाभ हुआ।

15.9 सायर ने वितरण सुधार उच्चीकरण एवं प्रबंधन (डीआरयूएम) के अंतर्गत यूएसएआईडी की आर्थिक सहायता से 32 कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 968 अधिकारी शामिल हुए। इनमें निम्नलिखित विषय पढ़ाए गए- वितरण क्षतियां कम करने की सर्वोत्तम पद्धतियां, वितरण व्यवस्था प्रचालन एवं अनुरक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियां, विद्युत वितरण में परिवर्तन प्रबंधन, विद्युत वितरण कुशलता तथा मांग पक्ष प्रबंधन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण फ्रेंचाइजी, संचार कुशलता, कर्मचारी प्रेरणा एवं नैतिक बल विकास, वितरण का व्यापार प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाएं, दुर्घटना निवारण तथा आपदा प्रबंधन शमिल थे।

15.10 दस और नियमित/ खुले कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें 171 भागीदार शामिल हुए। इनमें जो विषय शामिल किए गए उनमें बिजली की चोरी- तकनीकी एवं कानूनी उपाय, विद्युत खरीद समझौता, ऊर्जा लेखा परीक्षा, लेखाकरण एवं मांग प्रबंधन, वितरण तंत्र में विनिर्देश, मानक एवं निर्माण पद्धतियां, कुशल प्रचालन के लिए विद्युत एवं वितरण ट्रांसफार्मर, मीटरिंग क्षेत्र में नए घटनाक्रम, बिलिंग तथा राजस्व संग्रह, विद्युत क्षेत्र लेखाकरण और इएसएएआर तथा जीएएपी, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन प्रबंधन, पॉवर फैक्टर इम्प्रूवमेंट- रिऐक्टिव पॉवर कम्पेनसेशन तथा विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन शामिल हैं।

15.11 आरईसी के कर्मचारियों का ज्ञान और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 9 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 134 कर्मचारी शामिल थे।

15.12 कुल मिलाकर वर्ष 2009-10 के दौरान सायर ने 80 कार्यक्रम आयोजित किए और 2139 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। इनके विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

क्रम संख्या	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	नियमित कार्यक्रम	10	171
2.	आईपीई के सहयोग से कार्यक्रम	3	48
3.	डीआरयूएम कार्यक्रम	32	968
4.	सायर द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	218
5.	अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	6	97
6.	प्रायोजित/ग्राहकोन्मुख कार्यक्रम	12	424
7.	आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम	3	79
8.	इन-हाउस कार्यक्रम	9	134
	जोड़	**80**	**2139**

16 जोखिम प्रबंधन

16.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

इस कंपनी की एक आपदा प्रबंधन नीति है जिसके अंतर्गत आपदा देयता प्रबंधन और डिरैवेटिव लिखत आते हैं। आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति काम कर रही है। इसमें एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), कार्यकारी निदेशक (वित्त) और महाप्रबंधक वित्त, उत्पादन एवं टी एंड डी प्रभाग शामिल हैं। यह समिति जोखिम के संदर्भ में तरलता, ब्याज दरों तथा करेंसी रेट्स पर नजर रखती है। लिक्विडी गैप एनालिसिस की मदद से तरलता जोखिम पर नजर रखी जाती है और यह समिति एक मिली जुली नीति के द्वारा तरलता जोखिम प्रबंधन करती है। इस रणनीति में परिलक्षित संवितरण एवं परिपक्वता दायित्वों के आधार में भविष्य में संसाधन जुटाने का काम किया जाता है। ब्याज दर जोखिम, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के जरिए मॉनीटर किया जाता है और उधार दरों तथा उधारी लागत एवं ऋण लेने की शर्तों की समीक्षा करके प्रबंधन किया जाता है।

16.2 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के जरिए विनिमय दर और ब्याज दर जोखिम से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अुनसार कुल मिलाकर 40.32 अरब जापानी येन और 64.16 मिलियन यूरो की देनदारी का बचाव (हेजिंग) सुनिश्चित कर लिया गया।

17. आईएसओ 9001:2000 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आरईसी ने अपने कारपोरेट ऑफिस के 6 बड़े प्रभागों और देशभर में स्थित सभी परियोजना कार्यालयों में आईएसओ 9001:2000 मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था लागू कर दी है। सिर्फ हाल ही में खोला गया रांची परियोजना कार्यालय इसका अपवाद है।

18. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों को पेशेवर बनाने और नए लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से इस कंपनी ने खुले विज्ञापन के जरिए 9 कार्यपालक नियुक्त किए और 16 कार्यपालक 1.04.2009 से 31.03.2010 के बीच कैम्पस रिक्रूटमेंट के जरिए भर्ती किए गए।

वित्त वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर अर्थात 31.03.2010 को कंपनी में कुल 673 कर्मचारी थे, जिसमें 370 कार्यपालक और 303 गैर कार्यपालक शामिल हैं।

18.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण

कंपनी द्वारा नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में सरकार द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इन वर्गों के ग्रुपवार विवरण और 31.03.2010 को कुल संख्या नीचे दी जा रही है :-

ग्रुप	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज. जा.
ए	332(316)	30 (25)	9(6)
बी	153(148)	19(22)	3(4)
सी	87(112)	17(19)	0(1)
डी	101(105)	31 (31)	3(4)
कुल योग	**673(681)**	**97(97)**	**15(15)**

(कोष्ठक में दी गयी संख्या पिछले साल की स्थिति दर्शाती है)

18.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में समर्थ बनाने, उन्हें अनेक कौशलों से लैस करने के लिए प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास

को वर्ष के दौरान प्रथामिकता देना जारी रहा। आकलित आवश्यकता के आधार पर और उन्हें पूरा करने के माध्यम के रूप में कंपनी ने देश विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए अपने 95 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा 18 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए, जिनमें 479 कर्मचारी शामिल हुए। इनमें 7 पाठ्यक्रम केवल आरईसी कर्मचारियों के लिए सायर हैदराबाद ने चलाए। कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिलाने के उद्देश्य से कई अधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विदेश भेजा गया। इनमें जापान, जिनेवा, बांग्लादेश आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर इन उपायों से कंपनी को मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में निर्धारित मापदंडो से बेहतर काम-काज करने में सहायता मिली। 1300 श्रम दिवसों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में आरईसी ने पूरे साल के दौरान 2342 श्रम दिवस काम किया।

18.3 कर्मचारी कल्याण

कारपोरेट कार्यालय और आंचलिक/परियोजना कार्यालयों (सायर, हैदराबाद सहित) के अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के उद्देश्य से इस कंपनी ने अपने पैनल में ज्यादा अस्पतालों को शामिल किया। पैनल में "सीधी अदायगी" स्कीम के अंतर्गत 26 और अस्पताल शामिल किए गए।

18.4 महिला प्रकोष्ठ

आरईसी के महिला प्रकोष्ठ ने सोमवार, 8 मार्च, 2010 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

18.5 औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंध स्वस्थ सद्भावनापूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। कर्मचारी कल्याण से संबद्ध महत्वपूर्ण विषयों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन से सलाह मशविरे की प्रक्रिया को जारी रखी गया, जिससे अधिकांश मुद्दों पर सहमति प्राप्त की जा सकी, जो कंपनी में व्याप्त परस्पर विश्वास और सदभावपूर्ण संबंधों को प्रतिबिम्बित करता है। प्रेरित कर्मचारियों ने टीम भावना से काम किया और पिछले वर्ष के अपने रिकॉर्ड से बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कीं।

18.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें निपटाने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। इस समिति का कार्यक्षेत्र और बढ़ा दिया गया और इसमें लोक शिकायतें भी शामिल की गयीं। हफ्ते का एक दिन बैठक दिवस निर्धारित कर दिया गया है, जिस दिन कारपोरेट आफिस तथा आंचलिक/परियोजना कार्यालयों के प्रभागाध्यक्ष शिकायतों की सुनवाई करेंगे।

18.7 खेलकूद गतिविधियां

आरईसी ने केंद्रीय विद्युत क्षेत्रक उपक्रमों के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र खेलकूद नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर सीपीएसयू टेबल टेनिस/शतरंज/कैरम टूर्नामेंटों में अपनी टीमें भेजीं।

19 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन कर्मचारियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2009–10 और उसके किसी भाग के लिए अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:–

(आंकड़े रुपए में)

क्रम संख्या	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य सुविधाएं/ लाभ	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन/ अनुग्रह राशि	योग
1.	श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	22,07,758	3,90,716	25,000	26,23,474
2.	श्री एच. डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	27,70, 562	1,92,862	3,10,151	32,73,575
3.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी)	20,35,531	1,66,909	2,03,702	24,06,142
4.	श्री रमा रमन, कार्यकारी निदेशक	18,47,581	6,73,694	2,71,022	27,92,297
5.	श्री आर. अनबालगन, मुख्य प्रबंधक	22,85,499	9,53,502	6,96,964	39,35,965

20. सतर्कता गतिविधियां

20.1 सतर्कता प्रभाग, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (जो प्रकार्यात्मक निदेशक स्तर का है), ''सतर्कता निवारण'' पर जोर देने का निरंतर प्रयास करता है, ताकि प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके और स्वविवेक से काम करने के लिए गुंजाइश न्यूनतम रहे। यह प्रशासन और वित्तीय कार्यों से संबंधित मामलों में अधिकारों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए अनुशासन सुनिश्चित करता है।

20.2 आरईसी के सतर्कता तंत्र में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक अपर महाप्रबंधक और तीन प्रबंधक/वरिष्ठ अधिकारी हैं। हालांकि यह एक छोटा तंत्र है, लेकिन यह कार्यात्मक प्रभागों के साथ बातचीत करके कंपनी के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने में प्रभावी प्रबंधकीय तंत्र है जिससे नीतियों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाता है। इस समय कंपनी के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई सीबीआई केस नहीं है। दो अनुशासनिक मामले और दो शिकायतें लंबित थीं।

20.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2009 का आयोजन 3 से 7 नवम्बर 2009 को किया गया। इस दौरान निवारक उपायों के जरिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आरईसी के विभिन्न कार्यालयों में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और व्याख्यानों की व्यवस्था की गयी। निवारक सतर्कता में तंत्र सुधार और सूचना टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया।

20.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी के संवेदनशील पदों की पहचान कर ली गयी है और उसकी सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को दे दी गयी है। मानव संसाधन विकास विभाग को सलाह दी गयी है कि वे इन पदों पर लम्बे समय से काम कर रहे अधिकारियों को बदलते रहें।

20.5 सतर्कता के प्रतिकूल जो भी सूचना प्राप्त हुई उसकी सावधानी से जांच की गयी। निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में विभिन्न प्रभागों की नीतियों/प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा की गयी और सुधार

के सुझाव दिए गए। सतर्कता प्रभाग ने कार्यालय तंत्र और प्रक्रियाओं को चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनाने के उपाय शुरू किए। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त सभी परिपत्रों को सतर्कता प्रभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित किया गया और इन्हें सभी आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों/सायर की सूचना के लिए आरईसी इंटरानेट पर भी नियमित रूप से डाला जाता है।

20.6 नई दिल्ली स्थित कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों/केन्द्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान की सहमत सूची को सीबीआई की स्थानीय शाखा से बातचीत करके अंतिम रूप दिया गया। इसमें मुंबई का मामला शामिल नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय को समय-समय पर आंकड़ों संबंधी निर्धारित विवरणी भेजी गयी।

20.7 टोह लेने के एक उपाय के रूप में सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न आंचलिक/परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया। कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी के 95 प्रतिशत से अधिक मामलों की जांच की गयी और जहां भी जरूरी हुआ, स्पष्टीकरण मांगा गया। वार्षिक संपत्ति विवरणियों के कम्प्यूटरीकरण का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जिसमें कर्मचारी वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करेंगे और उसकी एक प्रति मानव संसाधन प्रभाग को देंगे। इसके बाद मानव संसाधन प्रभाग इन आंकड़ों को साफ्टवेयर में डालेगा।

20.8 सतर्कता प्रभाग के काम-काज की केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, आरईसी के निदेशक मंडल और अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक ने नियमित रूप से समीक्षा की। इसके अलावा आरईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निरंतर समीक्षा जारी रखी।

21. राजभाषा कार्यान्वयन

21.1 राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसरण में वार्षिक कार्यक्रम 2009-10 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान आरईसी के दिन-प्रतिदिन के काम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन स्कीमें आरईसी में भी लागू की जा चुकी हैं।

21.2 (1) इस निगम ने महाप्रबंधकों/ कार्यकारी निदेशकों, मध्य स्तर के प्रबंधकों और गैर कार्यपालकों के लिए हिंदी पखवाडे के दौरान नौ प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गयी। हिन्दी पखवाड़ा 16.09.2009 से 30.09.2009 तक मनाया गया।

(2) 16.09.2009 को नराकास (उपक्रम), दिल्ली के तत्वावधान में हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

(3) 20.11.2009 को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं को आरईसी अध्यक्ष श्री पी. उमा शंकर के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर पी.सी. टण्डन और जाने माने हिन्दी कवि श्री सारस्वत मोहन मनीषी उपस्थित थे।

(4) श्री मनीषी और अन्य कई जाने-माने कवियों ने कविता पाठ करके उपस्थित समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया।

(5) वर्ष के दौरान मूलरूप से हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

21.3 वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें आयोजित की गयीं, जिनमें लक्ष्य पूरे करने के रास्ते में आ रही मुश्किलों को दूर करने के उपायों और प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गयी।

21.4 कारपोरेट आफिस के विभिन्न प्रभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए 6 आवधिक निरीक्षण किए गए। इस दौरान खामियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए। वर्ष के दौरान 7 परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। कुछ परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों का सहयोग भी लिया गया। विद्युत मंत्रालय और राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने 21.10.2009 और 28.01.2010 को आरईसी के कारपोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया। विद्युत मंत्रालय ने भी 13.08.2009 को अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कारपोरेट आफिस में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा की।

21.5 देहरादून के भारतीय राजभाषा विकास संस्थान ने इस निगम को राजभाषा श्री सम्मान प्रदान किया। नराकास, चंडीगढ़ ने वर्ष 2008-09 के दौरान अच्छे कामकाज के लिए पंचकुला स्थित आंचलिक कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया।

21.6 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कारपोरेट आफिस में आठ हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं, जिनमें 111 अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए।

21.7 निगम ने अपने परिसर में "विद्युत क्षेत्र के लिए शब्दावली निर्माण" विषय पर विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में 16 से 18 नवम्बर, 2009 तक एक बैठक आयोजित की।

21.8 पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद में हिन्दी और अंग्रेजी का निर्धारित अनुपात बनाए रखा गया। पुस्तकालय हिन्दी की साहित्यिक पुस्तकों, पत्रिकाओं और संदर्भ ग्रंथों से लैस है।

21.9 आरईसी की वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनी हुई है और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाता है। सभी कंप्यूटरों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा उपलब्ध हैं। सभी प्रकाशन, रिपोर्टें, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, समझौता ज्ञापन, टेंडर, वार्षिक रिपोर्टें आदि द्विभाषी रूप से जारी की जाती हैं। हिन्दी में पत्राचार को बढावा देने के लिए इंटरानेट पर सभी मानक फार्मेट डाले जा चुके हैं। सायर की प्रशिक्षण सामग्री की सात पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध हैं।

श्री पी.उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी और श्री हरि शंकर ब्रह्मा, सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, **समझौता ज्ञापन 2010-11** का आदान प्रदान करते हुए

22. विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2008-09 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मापदंडों के अनुसार आरईसी के निष्पादन को "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गयी है। यह लगातार 16वां वर्ष है जब 1993-94 से आरईसी को "उत्कृष्ट" रेटिंग मिलती रही है। वित्त वर्ष 2010 के लिए भी यह कंपनी अपने निष्पादन के आधार पर "उत्कृष्ट" रेटिंग पाने की स्थिति में है।

23. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति

आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित सीएसआर नीति इस प्रकार है:-

"उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और पूरे समाज के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बने रहने वाला कारपोरेट संगठन।"

इस नीति के विवरण आरईसी की वेबसाइट पर डाल दिये गए हैं, जो www.recindia.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

23.1 सीएसआर गतिविधियां

लगातार दूसरे साल आरईसी ने अपने कर पश्चात लाभ का 0.25 प्रतिशत भाग सीएसआर गतिविधियों के लिए आबंटित कर दिया है। वित्त वर्ष 2010 के लिए यह राशि रुपये 318 लाख है। सीएसआर गतिविधियों को सही तरीके से चलाने के लिए आरईसी फाउंडेशन नाम की एक अलग सोसाइटी बना दी गयी है। अनेक प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से एक वह परियोजना है जो उन बच्चों की मदद के लिए बनायी जा रही है,जो साम्प्रदायिक गडबड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसे "प्रोजेक्ट एसिस्ट" कहा जाता है और इसे साम्प्रदायिक सद्भावना का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)कार्यान्वित कर रहा है। आरईसी ने एक और परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को अमर सेवा संगम चेन्नई लागू कर रहा है। एक अन्य परियोजना के अंतर्गत आरईसी ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन बांटने के लिए तीन वाहन उपलब्ध कराए हैं।

माननीय विद्युत राज्य मंत्री, श्री भरत सिंह सोलंकी 11 सितंबर, 2009 को प्रगति मैदान में आरईसी पेविलियन **इंडिया इलेक्ट्रीसिटी 2009** का अवलोकन करते हुए

24. निदेशक मंडल

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉ.ज.मो. फाटक आईएएस(महाराष्ट्र कैडरः 78 बैच), को इस कंपनी का 15 जून, 2010 अपराह्न से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उसी तारीख को (पूर्वाह्न) श्री पी. उमा शंकर आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पदभार से मुक्त हो गए ।

इस कंपनी की संस्था अंतर्नियमावली की धारा 82(4) के प्रावधानों के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री वी. एन. धूत और डॉक्टर देवी सिंह आगामी वार्षिक आम बैठक के दिन बारी-बारी से रिटायर हो जाएंगे और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे।

बोर्ड की बैठक का दृश्य

25. सहायक कंपनियां

आपकी कंपनी ने विशिष्ट व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पांच सहायक कंपनियों का गठन किया है। इन कंपनियों के नाम, गठन की तारीख और उनमें शेयरधारिता के प्रतिशत के विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम	गठन की तारीख	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	08.01.2007	100%
2.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)* (आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	23.04.2007	100%
3.	तलचर 2 ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल)* (आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	01.05.2007	100%
4.	आरईसी पॉवर ड्रिस्टीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	12.07.2007	100%
5.	रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) (आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	19.11.2009	100%

* एनकेटीसीएल और टीटीसीएल को क्रमशः 20.05.2010 और 27.04.2010 को रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को हस्तांतरित किया जा चुका है।

25.1 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड(आरईसीटीपीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल ने सफल बोलीदाता रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल) और तलचर 2 ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) के हस्तांतरण के लिए 18.12.2009 को आशय पत्र जारी कर दिया था। ये दोनों सहायक कंपनियां अर्थात् टीटीसीएल और एनकेटीसीएल क्रमशः 27.4.2010 और 20.05.2010 को रिलायंस पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को सौंप दी गयीं।

आरईसीटीपीसीएल ने आरईसी को मिली तीसरी ट्रांसमिशन परियोजना अर्थात् 765 केवी एस/सी लाईन एक रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए विकासकर्ता के चयन का काम शुरू कर दिया है। इस काम में आरईसीटीपीसीएल की सहायता के लिए तकनीकी परामर्शदाता और बिड प्रोसेस कन्सेलटेंट पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। 26.02.2010 को रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन के जवाब में ग्लोबल इन्वीटेशन जारी कर दिया गया। आरएफक्यू के उत्तरों को 26.04.2010 को खोला गया। 35 बोलीदाताओं ने अपने प्रस्ताव दिए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

25.2 2009-10 के दौरान वित्तीय निष्पादन

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के वित्तीय प्रचालनों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:-

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (रुपये)	31.03.2009 को समाप्त वर्ष (रुपये)
कुल आय	300,034,552	–
कुल व्यय	22,542,251	21,297,234
घटाएं: तीनों पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को आबंटित खर्च		
(क) नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनकेटीसीएल)	10,199,137	12,114,371
(ख) तलचर 2 ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड(टीटीसीएल)	9,154,380	9,182,863
(ग) रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल)	3,124,417	–
(घ) कंपनी द्वारा अनाबंटित आमेलित	64,317	–
कर पूर्व लाभ	299,970,235	–
कर के लिए प्रावधान	101, 959,883	–
तुलनपत्र को ले जाया गया कर पश्चात लाभ	198,010, 352	–

आरईसीटीपीसीएल की तीनों सहायक कंपनियों एनकेटीसीएल, टीटीसीएल और आरएसटीसीएल ने अभी व्यापारिक संचालन शुरू नहीं किया है। अतः इन सहायक कंपनियों के लिए 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु लाभ-हानि खाता तैयार नहीं किया गया। इसकी जगह निर्माण अवधि के दौरान होने वाले खर्च का वक्तव्य तैयार किया गया। 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान एनकेटीसीएल, टीटीसीएल और आरएसटीसीएल के लिए रुपये 1,02,89,726, रुपये 92,11,685 और रुपये 31,06,104 का कुल खर्च हुआ, जिसे सहायक कंपनियों पर प्रगति में पूंजी निर्माण कार्य के अंतर्गत दिखाया गया है।

25.3 आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

वर्ष 2009-10 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने चार डिस्कॉम कंपनियों एमएसईडीसीएल, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, बीईएससीओएम और मणिपुर के बिजली विभाग से चार राज्यों के 30 जिलों में 24755 गांवों के थर्ड पार्टी निरीक्षण के ऑर्डर प्राप्त किए। इनसे कंपनी को 21 करोड़ रुपये की सकल आय होगी। कंपनी ने सामग्री निरीक्षण शाखा भी खोली है जो आरजीजीवीवाई और एफआरपी निर्माण कार्यों की उत्पादन स्थल पर सामग्री जांच करेगी। कंपनी ने आईटी कार्यान्वयन और कन्सेलटेंसी परियोजनाएं लेने के लिए 16 बिजनेस सहयोगियों/एजेंसियों का एक पैनल तैयार किया है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान इस कंपनी ने लगभग 15,000 गांवों और 990 फीडरों का तृतीय पक्ष निरीक्षण पूरा किया। इसके अलावा 45 हजार वितरण ट्रांसफार्मरों का सामग्री निरीक्षण भी किया गया।

25.4 2009-10 के दौरान वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने 10.01 करोड़ रुपये की आमदनी की और उसका कर पूर्व लाभ एवं कर पश्चात् लाभ क्रमशः रुपये 1.57 करोड़ और रुपये 1.03 करोड़ रहा। यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कंपनी का कारोबार दोगुना हो गया और उसका नेटवर्थ आरईसी द्वारा दी गयी रुपये 0.05 करोड़ की राशि की शुरूआती पूंजी से बढ़कर रुपये 4.18 करोड़ हो गया। वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी ने सम मूल्य पर 100 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किया था और वर्ष 2009-10 के लिए भी निदेशक मंडल ने 100 प्रतिशत की दर से लाभांश का प्रस्ताव किया है।

26 उन शेयरों का विवरण जिनके लिए दावा नहीं किया गया

इस कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का पहला सार्वजनिक निर्गम बाजार में पेश किया, जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 नए शेयर शामिल थे। इसी निर्गम में इतने ही शेयरों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद इस कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम पेश किया, जिसमें 12,87,99,000 नए शेयर और 4,29,33,000 शेयर भारत के राष्ट्रपति की ओर से बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार दावारहित शेयरों का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
आईपीओ-1.04.2009 से 31.03.2010			
1.	1.04.2009 को शेयरहोल्डरों की कुल संख्या और दावारहित शेयरों की संख्या	659	56019
2.	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया	242	21,509
3.	शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावा रहित शेयर अंतरित किए गए	242	21,509
4.	31.03.2010 को शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया दावारहित शेयर	417	34,510

क्रम संख्या	विवरण	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
एफपीओ–6.03.2010 से 31.03.2010			
1.	06.03.2010 को शेयरहोल्डरों की कुल संख्या और दावारहित शेयरों की संख्या	205	50,790
2.	शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान दावारहित शेयरों के अंतरण के लिए अनुरोध किया।	119	32,370
3.	शेयरधारकों की संख्या जिन्हें दावारहित शेयर अंतरित किए गए।	119	32,370
4.	31.03.2010 को शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया दावारहित शेयर	86	18420

27. वित्तीय विवरण/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत दस्तावेज

इस निगम द्वारा आवेदन करने पर भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने 18.05.2010 के पत्र के जरिए आपकी कंपनी को वित्तवर्ष 2009-10 के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण संलग्न करने से छूट दे दी है। यह छूट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (8) के अनुसरण में दी गयी है। तदनुसार तुलनपत्र, लाभ-हानि खाते और निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें कंपनी के तुलनपत्र के साथ संलग्न नहीं की गयी हैं लेकिन अगर कंपनी का कोई सदस्य चाहे तो ये दस्तावेज उसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जैसा कि केंद्रीय सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सहायक कंपनियों के वित्तीय आंकड़े समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के रूप में दिए गए हैं और ये वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से हैं। कंपनी के वार्षिक खाते (सहायक कंपनियों के भी) किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। लेखाकरण मानक 21 (एएस 21) जिसे कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के जरिए निर्धारित किया गया है, के अनुसरण में कंपनी ने जो समेकित वित्तीय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं उनमें सहायक कंपनियों के बारे में वित्तीय विवरण भी शामिल हैं।

28. वैधानिक एवं अन्य सूचना आवश्यकताएं

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण समझौते के सिलसिले में जो सूचनाएं सरकारी दिशा निदेर्शों आदि के अनुसार देनी पड़ती हैं **वे इस रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रकार से हैः-**

विवरण	संलग्नक
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
कारपोरेट सुशासन के अनुपालन में कंपनी की रिपोर्ट	II
कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन पर प्रमाणपत्र	III
सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1) (ड़) के अनुसरण में वक्तव्य	IV

29. सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स के.जी. सोमानी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली और मैसर्स बंसल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स नई दिल्ली को आपकी कंपनी का वर्ष 2009-10 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों की लेखा परीक्षा कर ली है और उन्होंने लेखा परीक्षित खातों पर किसी तरह की आपत्ति नहीं की है। **रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं :-**

(क) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित खाते और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट;

(ख) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

(घ) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित खाते और नकद प्रवाह विवरण;

(ड.) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित एनबीएफसी कंपनियों के लिए लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उनके साथ नत्थी किए जाने वाला संलग्नक;

(च) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण।

30. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 9.07.2010 की टिप्पणियां **संलग्न हैं।** लेखापरीक्षा के आधार पर इसमें कहा गया है कि उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आई है जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत उन्हें सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत पड़े।

31. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू करने के लिए निगम ने जरूरी कार्रवाई की है। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ खोल दिया गया हैं और वह सूचना के सभी अनुरोधों पर विचार करता है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 4.1 (बी) के अंतर्गत सभी 17 मदों पर आरईसी की वेबसाइट पर सूचनाएं उपलब्ध हैं और उन्हें अद्यतन किया जा रहा है।

आरईसी में सूचना अधिकार तंत्र

कारपोरेट कार्यालयः

(क) **सहायक जनसूचना अधिकारी**
श्री विनय कुमार केसरवानी,
प्रबंधक (विधि)

(ख) **जनसूचना अधिकारी**
श्री बी.आर. रघुनंदन,
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(ग) **अपीलीय अधिकारी**
श्री कमल दयानी,
कार्यकारी निदेशक

32. आभार

निदेशकगण विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय,वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग, समर्थन और कंपनी और संसाधन के मामलों में प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और अन्य ऋण लेने वालों के प्रति कंपनी में निरंतर रुचि और विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशक आरईसी बांडों के सम्मानित निवेशकों, कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में बैंकों, जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जीआईसीए और एशियाई विकास बैंक की सतत सद्भाव की सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी और मैसर्स बंसल एंड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार उत्कृष्ट निष्पादन के लिए गत रिकॉर्डों को पार करने तथा अपेक्षाकृत अधिक सफलता पाने और उत्कृष्ट कामकाज करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों की सराहना करते और उन्हें धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

नई दिल्ली
जुलाई 22, 2010

(डॉ. ज.मो. फाटक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सारणी-1

आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्रमांक	राज्य	परियोजनाओं की सं0.	ऋण राशि (लाख रुपयों में)	लाभांवितों की संख्या			
				पंपसेट	दलित बस्ती	गांव	आवास
क.	**टी एंड डी परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	78	143978.87	-	-	-	-
2	छत्तीसगढ़	10	48291.11	-	-	-	-
3	हरियाणा	52	208952.48	-	-	-	-
4	हिमाचल प्रदेश	22	54110.04	-	-	-	-
5	जम्मू एवं काश्मीर	11	2851.16	-	-	-	-
6	महाराष्ट्र	36	340839.51	-	-	-	-
7	नगालैंड	1	3253.51	-	-	-	-
8	उड़ीसा	5	28017.83	-	-	-	-
9	पंजाब	27	254919.44	-	-	-	-
10	राजस्थान	54	88763.29	-	-	-	-
11	तमिलनाडु	65	68524.60	-	-	-	-
12	उत्तर प्रदेश	59	286227.89	-	-	-	-
13	पश्चिम बंगाल	3	48050.16	-	-	-	-
14	पुदुचेरी - संघ राज्य-क्षेत्र	2	12506.79	-	-	-	-
15	निजी	2	98868.00	-	-	-	-
	उप-योग - (क)	**427**	**1688154.68**	-	-	-	-
ख.	**उत्पादन परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	1	168900.00	-	-	-	-
2	अरूणाचल प्रदेश	1	230000.00	-	-	-	-
3	बिहार	1	374675.00	-	-	-	-
4	छत्तीसगढ़	2	269700.00	-	-	-	-
5	गुजरात	2	181468.00	-	-	-	-
6	हरियाणा	1	80000.00	-	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	1	2437.00	-	-	-	-
8	जम्मू एवं कश्मीर	0	67000.00	-	-	-	-
9	झारखण्ड	1	100000.00	-	-	-	-
10	महाराष्ट्र	2	207500.00	-	-	-	-
11	उड़ीसा	2	165000.00	-	-	-	-
12	पंजाब	3	57552.00	-	-	-	-
13	राजस्थान	1	176000.00	-	-	-	-
14	सिक्किम	1	21800.00	-	-	-	-
15	तमिलनाडु	1	211400.00	-	-	-	-
16	उत्तरांचल - पीएसयू	1	74700.00	-	-	-	-
17	पश्चिम बंगाल	0	15000.00	-	-	-	-
	उप-योग - (ख)	**21**	**^2403132.00**	-	-	-	-
ग.	**अल्पावधि ऋण**						
1	हरियाणा	2	60000.00	-	-	-	-
2	केरल	2	30000.00	-	-	-	-
3	पंजाब	2	35000.00	-	-	-	-
4	राजस्थान	3	59000.00	-	-	-	-
5	तमिलनाडु	3	75000.00	-	-	-	-
6	उत्तर प्रदेश	15	150000.00	-	-	-	-
	उप-योग - (ग)	**27**	**409000.00**	-	-	-	-
घ	**आरजीजीवीवाई परियोजनाएं**						
1	कर्नाटक	1	3839.09	-	-	296	96394
2	केरल	6	11457.34	-	-	592	68937
3	मणिपुर	5	20202.98	-	-	1038	115881
	उप-योग - (घ)	**12**	***35499.41**	-	-	****1926**	*****281212**
च	**आईसी एवं डी परियोजनाएं**						
1	आंध्र प्रदेश	0	979.08	-	-	-	-
2	हरियाणा	5	30920.73	-	-	-	-
	उप-योग - (च)	**5**	**31899.81**	-	-	-	-
समग्र योग (क+ख+ग+घ+च)		**492**	**4567685.90**	-	-	****1926**	*****281212**
घटाएं: आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी (आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत रकम के 90% का सममूल्य)			31949.47	-	-	-	-
आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी को छोड़कर निवल स्वीकृति			**4535736.43**	-	-	-	-

^ आंध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र,पंजाब और पश्चिम बंगाल में पहले से स्वीकृत पांच परियोजनाओं के समक्ष अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है।

* आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजी आर्थिक सहायता और ऋण शामिल हैं।

** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युत-विहीन तथा विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं।(इसमें 387 अविद्युतीकृत/विद्युतविहीन गांव सम्मिलित हैं)

*** इसमें बीपीएल आवास शामिल हैं।

सारणी-2

आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान श्रेणी-वार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि (लाख रुपयों में)	लाभांवितों की संख्या			
					पंपसेट	दलित बस्ती	गांव	आवास
क	पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं							
1	परियोजनाः गहन विद्युतीकरण	पीःआईई	35	49517.29	-	-	-	-
2	विशेष परियोजना कृषिः पंपसेट ऊर्जायन	एसपीएःपीई	103	96473.52	-	-	-	-
3	परियोजनाःतंत्र सुधार	पीःएसआई-वितरण	122	346633.00	-	-	-	-
4	परियोजनाःतंत्र सुधार	पीःएसआई-वितरण (एचवीडीएस)	29	170548.46	-	-	-	-
5	परियोजनाःतंत्र सुधारः बल्क ऋण	पीःएसआईःबल्क	30	117775.42	-	-	-	-
6	परियोजनाःतंत्र सुधारः पारेषण	पीःएसआई-पारेषण	108	907206.99	-	-	-	-
	उप-योग		427	1688154.68	-	-	-	-
ख	परियोजनाः उत्पादन	पीःउत्पादन	21	^2403132.00				
ग	आरजीजीवीवाई	पीःआरएचएचई	12	*35499.41	**1926	***281212	-	-
घ	अल्पावधि ऋण	एसटीएल	27	409000.00	-	-	-	-
च	आईसी एंड डी परियोजनाएं	आईसी एंड डी	5	31899.81				
	समग्र योग		**492**	**4567685.90**	**1296	***281212	-	-
	घटाएंः आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी (आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत रकम के 90% का सममूल्य)			**31949.47**	-	-	-	-
	आरजीजीवीवाई के तहत सब्सिडी को छोड़कर निवल स्वीकृति			**4535736.43**	-	-	-	-

^ आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र ,पंजाब और पश्चिम बंगाल में पहले से स्वीकृत पांच परियोजनाओं के समक्ष अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल है।

* आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत परियोजना लागत में पूंजी आर्थिक सहायता और ऋण शामिल हैं।

** इसमें अविद्युतीकृत, विद्युत-विहीन तथा विद्युतीकृत दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं।(इसमें 387 अविद्युतीकृत/विद्युतविहीन गांव सम्मिलित हैं)

*** इसमें बीपीएल आवास शामिल हैं।

सारणी-3

31.03.2010 तक पिछले 40 वर्षों के दौरान आरईसी परियोजनाओं के तहत राज्यवार संचयी मंजूरी

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण
1	आंध्र प्रदेश	6161	2465501.00
2	अरूणाचल प्रदेश	229	425816.00
3	असम	446	213585.00
4	बिहार	1753	773202.00
5	छत्तीसगढ़	49	800355.00
6	दिल्ली	31	441806.00
7	गोवा	16	2007.00
8	गुजरात	1927	1489327.00
9	हरियाणा	1498	1059433.00
10	हिमाचल प्रदेश	513	253163.00
11	जम्मू व काश्मीर	599	321999.00
12	झारखंड	40	503184.00
13	कर्नाटक	2932	1096699.00
14	केरल	1762	550273.00
15	मध्य प्रदेश	5281	981236.00
16	महाराष्ट्र	5662	3282155.00
17	मणिपुर	156	59731.00
18	मेघालय	114	75364.00
19	मिजोरम	76	38583.00
20	नगालैंड	119	31914.00
21	उड़ीसा	1714	765642.00
22	पंजाब	1603	1690343.00
23	राजस्थान	3881	2056866.00
24	सिक्किम	45	35937.00
25	तमिलनाडु	3793	2566614.00
26	त्रिपुरा	181	63295.00
27	उत्तर प्रदेश	3306	1961967.00
28	उत्तरांचल	92	421550.00
29	पश्चिम बंगाल	1486	1197948.00
30	डीवीसी	1	48726.00
31	निजी उत्पादन	25	880443.00
32	सीसीआई-निजी पार्टी	0	1519.00
33	निजीपार्टी पारेषण	2	98868.00
34	नीपको	0	10000.00
35	पांडिचेरी-संघ राज्य-क्षेत्र	2	12507.00
	योग	**45495**	**26677559**.00

सारणी-4

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रम-वार संवितरण एवं कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2010 तक बकाया राशि दर्शाता विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	एसटीएल/ ऋण वापसी	वर्ष 2009-10 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2009-10 के अंत में बकाया राशि
								वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	99608	54306	506	0	154420	1439350	63463	639387	799963
2	अरूणाचल प्रदेश	385	0	203	0	588	22597	4330	13843	8754
3	असम	0	0	4959	0	4959	37870	21832	26477	11393
4	बिहार	0	0	7536	0	7536	65054	12	22348	42706
5	छत्तीसगढ़	5274	19480	0	0	24754	310815	30557	79276	231539
6	गोवा	0	0	0	0	0	1479	0	1479	0
7	गुजरात	1634	28148	808	0	30590	642679	24255	464084	178595
8	हरियाणा	163830	21547	673	60000	246050	625340	35480	166494	458846
9	हिमाचल प्रदेश	5789	10892	1232	0	17913	209766	19983	95757	114009
10	जम्मू व काश्मीर	2491	16500	3620	0	22611	115031	7317	47434	67597
11	झारखंड	3704	0	6369	0	10073	134757	0	15334	119423
12	कर्नाटक	14783	0	445	0	15228	417257	15216	284156	133101
13	केरल	0	2633	121	30000	32754	371422	22061	307027	64395
14	मध्य प्रदेश	8335	25648	3318	0	37301	263768	6571	146038	117730
15	महाराष्ट्र	176432	203236	1927	0	381595	1536191	32332	619807	916384
16	मणिपुर	0	0	606	0	606	16446	26	3095	13351
17	मेघालय	0	0	1255	0	1255	42655	54	12221	30434
18	मिजोरम	0	611	799	0	1410	25345	10495	15153	10192
19	नगालैंड	2698	0	580	0	3278	17693	562	6904	10789
20	उड़ीसा	5581	5638	10917	0	22136	138879	451	92004	46875
21	पंजाब	58514	11984	0	35000	105498	844335	76915	409312	435023
22	राजस्थान	151162	500	1813	29000	182475	1311707	50607	515504	796203
23	सिक्किम	0	53986	444	0	54430	123930	153	2979	120951
24	तमिलनाडु	67172	163678	1329	75000	307179	950648	52206	236264	714384
25	त्रिपुरा	0	0	481	0	481	11871	508	11055	816
26	उत्तर प्रदेश	45463	64934	1995	150000	262392	960151	78441	440447	519704
27	उत्तरांचल	6080	6000	978	0	13058	252005	14715	48410	203595
28	पश्चिम बंगाल	16781	150027	5870	0	172678	461259	10979	31858	429401
29	पवन ऊर्जा	0	0	0	0	0	3013	1133	1291	1722
	योग	**835716**	**839748**	**58784**	**379000**	**2113248**	**11353313**	**580654**	**4755438**	**6597875**
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी					599466				
	कुल योग					**2712714**				

सारणी-5

वर्ष 2009-10 के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत ऊर्जायित पंपसेटों तथा 31.3.2010 तक की संचयी स्थिति

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2009-10 के दौरान उपलब्धि	31.3.2010 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	88604	**1823233**
2	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	1922
4	बिहार	-	113354
5	दिल्ली	-	-
6	गोवा	-	-
7	गुजरात	-	420456
8	हरियाणा	6313	230241
9	हिमाचल प्रदेश	-	5935
10	जम्मू व कश्मीर	2082	12709
11	झारखंड	-	-
12	कर्नाटक	-	862387
13	केरल	-	340882
14	मध्य प्रदेश	-	1054106
15	छत्तीसगढ़	-	-
16	महाराष्ट्र	95409	1890468
17	मणिपुर	-	29
18	मेघालय	-	58
19	मिजोरम	-	-
20	नगालैंड	-	164
21	उड़ीसा	-	63015
22	पंजाब	18021	501847
23	राजस्थान	1168	491075
24	सिक्किम	-	-
25	तमिलनाडु	28423	1075093
26	त्रिपुरा	-	1530
27	उत्तर प्रदेश	-	379544
28	उत्तराखंड	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	82202
	योग:	**240020**	**9350250**

सारणी-6

आरजीजीवीवाई के तहत 10वीं योजना और 11वीं योजना में स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण

(रुपए करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य	दसवीं योजना में स्वीकृत परियोजनाएं							ग्यारहवीं योजना में स्वीकृत परियोजनाएं							कुल स्वीकृत परियोजनाएं						
		परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या**	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	परि-योजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत आवासों की संख्या (बीपीएल सहित)	शामिल बीपीएल आवासों की संख्या	स्वीकृत परियोजना की कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	आंध्र प्रदेश	17	17	0	21623	3166161	2114317	648.15	9	5	0	5858	787967	477823	191.94	26	22	0	27481	3954128	2592140	840.09
2	अरूणाचल प्रदेश	2	2	237	321	7230	4377	43.30	14	14	1892	1435	69177	36433	494.39	16	16	2129	1756	76407	40810	537.69
3	असम	3	3	903	1746	190663	148971	158.03	20	20	7622	11584	1224165	842685	1501.97	23	23	8525	13330	1414828	991656	1660.00
4	बिहार	26	25	17125	0	843499	843499	1495.80	17	13	6086	6651	5178537	1918956	1480.09	43	38	23211	6651	6022036	2762455	2975.89
5	छत्तीसगढ़	3	3	117	3504	270085	122326	148.94	11	11	1015	12829	1015460	654839	956.27	14	14	1132	16333	1285545	777165	1105.21
6	गुजरात	3	3	0	2409	243397	188471	60.84	22	22	0	15525	1352456	766679	299.59	25	25	0	17934	1595853	955150	360.43
7	हरियाणा	4	4	0	1075	116814	49198	48.48	14	14	0	4910	452872	174875	148.92	18	18	0	5985	569686	224073	197.40
8	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1118	2531	647	25.02	11	11	93	9548	33948	11801	180.23	12	12	93	10666	36479	12448	205.25
9	जम्मू व काश्मीर	3	3	103	1444	99088	59731	97.62	11	11	180	4606	196133	76999	538.31	14	14	283	6050	295221	136730	635.93
10	झारखंड	13	13	8727	4379	1469520	942319	1287.67	9	9	11010	3243	1456740	749478	1374.94	22	22	19737	7622	2926260	1691797	2662.61
11	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	631828	375.39	8	8	83	7039	612858	260111	224.71	25	25	132	28191	1932797	891939	600.10
12	केरल	1	1	0	38	23799	17834	19.75	6	6	0	592	68937	38517	114.57	7	7	0	630	92736	56351	134.32
13	मध्य प्रदेश	8	8	115	9653	565912	311295	395.57	24	24	691	24441	2087624	1064947	1137.77	32	32	806	34094	2653536	1376242	1533.34
14	महाराष्ट्र	4	4	0	4052	355590	262538	78.86	30	30	6	36240	2278152	1613853	634.58	34	34	6	40292	2633742	1876391	713.44
15	मणिपुर	2	2	186	270	25136	14447	64.07	7	7	696	1108	167012	92922	293.72	9	9	882	1378	192148	107369	357.79
16	मेघालय	2	2	174	797	41495	23676	45.99	5	5	1769	2739	147153	92771	244.42	7	7	1943	3536	188648	116447	290.41
17	मिजोरम	2	2	90	209	15331	8618	41.75	6	6	47	361	29003	18799	62.50	8	8	137	570	44334	27417	104.25
18	नगालैंड	2	2	12	279	21701	14290	16.25	9	9	93	873	121291	55610	94.92	11	11	105	1152	142992	69900	111.17
19	उड़ीसा	4	4	2602	4637	598625	335080	434.10	27	26	15293	24355	4259667	2850783	3141.01	31	30	17895	28992	4858292	3185863	3575.11
20	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	11840	405023	148860	154.59	17	17	0	11840	405023	148860	154.59
21	राजस्थान	25	24	1705	15608	1009310	699951	453.23	15	9	2749	19233	1220132	1050167	801.26	40	33	4454	34841	2229442	1750118	1254-49
22	सिक्किम	2	2	16	158	10320	3724	26.09	2	2	9	260	17846	7734	31.01	4	4	25	418	28166	11458	57.10
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	12416	1692235	545511	447.41	26	26	0	12416	1692235	545511	447.41
24	त्रिपुरा	1	1	48	72	20548	13119	19.57	3	3	112	570	208211	181611	111.89	4	4	160	642	228759	194730	131.46
25	उत्तर प्रदेश	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.51	0	0	0	0	0	0	0	64	65	30802	3287	1694075	1120648	2719.51
26	उत्तरांचल	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89	0	0	0	0	0	0	0	13	13	1469	14105	357309	281615	643.89
27	पश्चिम बंगाल	13	13	4283	0	145918	97847	385.03	15	4	290	24775	3828087	2601887	1959.60	28	17	4573	24775	3974005	2699734	2344.63
	योग	**235**	**234**	**68763**	**111936**	**12613996**	**8310366**	**9732.90**	**338**	**312**	**49736**	**243031**	**28910686**	**16334651**	**16620.61**	**573**	**546**	**118499**	**354967**	**41524682**	**24645017**	**26353.51**

****10वीं योजना के तहत शामिल जिलों की परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया।**

सारणी-7

अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकृत कार्यों की उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा तथा आरजीजीवीवाई के तहत बीपीएल आवासों के लिए जारी निःशुल्क बिजली कनेक्शन

क्र.सं.	राज्य	2008-09 तक उपलब्धि		2009-10 तक उपलब्धि		संचयी उपलब्धि	
		अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	बीपीएल आवास
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	1778772	0	566518	0	2345290
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	215	967	215	967
3	असम	735	32718	1198	189816	1933	222534
4	बिहार	16460	542097	2584	560985	19044	1103082
5	छत्तीसगढ़	50	90894	48	145990	98	236884
6	गुजरात	0	194627	0	85931	0	280558
7	हरियाणा	0	23837	0	69453	0	93290
8	हिमाचल प्रदेश	0	392	0	148	0	540
9	जम्मू व कश्मीर	46	7986	22	14163	68	22149
10	झारखंड	6192	246656	7088	555289	13280	801945
11	कर्नाटक	58	600782	0	134949	58	735731
12	केरल	0	9990	0	6131	0	16121
13	मध्य प्रदेश	84	77125	5	75477	89	152602
14	महाराष्ट्र	0	202002	0	429026	0	631028
15	मणिपुर	93	3356	35	1640	128	4996
16	मेघालय	90	1264	47	17832	137	19096
17	मिजोरम	0	0	0	378	0	378
18	नगालैंड	0	0	14	4368	14	4368
19	उड़ीसा	1427	144128	5870	650678	7297	794806
20	पंजाब	0	0	0	19507	0	19507
21	राजस्थान	1786	493105	773	208695	2559	701800
22	सिक्किम	0	0	0	66	0	66
23	त्रिपुरा	0	0	13	22085	13	22085
24	तमिलनाडु	0	296	0	383533	0	383829
25	उत्तर प्रदेश	27680	698839	56	157263	27736	856102
26	उत्तरांचल	1401	133292	80	72382	1481	205674
27	पश्चिम बंगाल	3780	96400	326	345198	4106	441598
	योग	**59882**	**5378558**	**18374**	**4718468**	**78256**	**10097026**

अनुबंध–I

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

(सूचीकरण करार के खंड 49(IV)(एफ) के अनुसरण में)

1. औद्योगिक ढांचा

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान 9585 मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। देश में ऊर्जा की कमी पिछले वर्ष की कुल मांग के 10.1 प्रतिशत की तुलना में सीमांतक रूप से कम रही है। तथापि, वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत की उच्चतम कमी, पिछले वर्ष की शीर्ष मांग, 12.7 प्रतिशत की तुलना में सीमांतक रूप से अधिक थी।

अब तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में, वित्तीय वर्ष 2007 के अंत में 132.33 जिगावाट से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2010 के अंत तक 159.4 जिगावाट हुई है जोकि 27068 मेगावाट के संवर्धन करने के परिणामस्वरूप है। 11वीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य 78700 मेगावाट रखा गया है। भारत सरकार की ग्यारहवीं योजना हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार (वित्तीय वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2012), विद्युत क्षेत्र के लिए सकल रूप से निधियों की अनुमानित आवश्यकता रुपए 10,316,000 मिलियन है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान, वर्ष 2017 तक, परियोजित मांग आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सीईए प्राक्कलन के अनुसार,100,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी, तथा पारेषण अवधि के लिए कुल निधि की आवश्यकता लगभग रुपए 11,000,000 मिलियन होगी।

विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि 9585 मेगावाट हो गयी है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की 2180 मेगावाट, राज्य क्षेत्र की 3118 मेगावाट तथा निजी क्षेत्र की 4287 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता शामिल है। मार्च, 2010 के अंत तक कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 159398 मेगावाट थी।

(मेगावाट यूनिटों में)

क्षेत्र	10वीं योजना (2007) अंत में अधिष्ठापित क्षमता	31.10.2010 के अधिष्ठापित क्षमता	11वीं योजना में अब तक अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि	11वीं योजना (2012) में क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य
राज्य	70096	79392	9296	26783
केंद्रीय	45121	50992	5871	36874
निजी	17113	29014	11901	15043
योग	**132330**	**159398**	**27068**	**78700**

*स्रोत सीईए रिपोर्ट

उपर्युक्त के अलावा 19509 मेगावाट का कैप्टिव विद्युत उत्पादन, ग्रिड के साथ संयोजित है।

पारेषण

वित्तीय वर्ष 2010 के अंत तक पारेषण लाईनों की कुल लंबाई लगभग 2.36 लाख सर्किट किलोमीटर होने के साथ, देश में वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान लगभग 15583 सर्किट किलोमीटर लाइनें चालू की जा चुकी हैं। 10वीं योजना अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007 के अंत में पारेषण लाईनों की अधिष्ठापित लंबाई लगभग 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर थी। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष के अंत में सब-स्टेशन ट्रांसफार्मेशन क्षमता, 765केवी के 4500 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता को छोड़कर, 400केवी और 220केवी से बढ़कर 3.06 लाख एमवीए हो गयी।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान पारेषण प्रणाली विकास और संबंधित योजनाओं के लिए निवेश का अनुमान रुपए 1,400,000 मिलियन है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लिए रुपए 750,000 मिलियन तथा राज्य क्षेत्र के लिए रुपए 650,000 मिलियन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सीईए के प्राक्कलन के अनुसार, पारेषण क्षेत्र के लिए 12वीं योजना में निधियों में रुपए 2,400,000 मिलियन की आवश्यकता होगी जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के लिए रुपए 1,400,000 मिलियन तथा राज्य क्षेत्र के लिए रुपए 1,000,000 मिलियन की आवश्यकता है।

पारेषण प्रणाली के विकास में समुचित अंतर-क्षेत्रीय तथा अंतरा-क्षेत्रीय पारेषण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि एक सशक्त अखिल भारतीय ग्रिड बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क को समेकित और सुदृढ़ किया जा सके। भारत सरकार की पारेषण परिप्रेक्ष्य योजनाओं में, वर्ष 2012 तक 60,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक, पारेषण नेटवर्क को एक चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करके एक राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वितरण

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली विकास के लिए कुल निधि आवश्यकता के रूप में 2,870,000 मिलियन रुपए का अनुमान लगाया गया है जिसमें त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए प्राक्कलन के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वितरण क्षेत्र के लिए कुल निधि की आवश्यकता 3,710,000 मिलियन रुपए है।

राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य सरकार की यूटिलिटियों के सीमित संसाधनों के मामले और वितरण नेटवर्क को अद्यतन करने के लिए उनकी असमर्थता की समस्या का समाधान आर-एपीडीआरपी योजना (पुनर्गठित एपीडीआरपी) में रखा गया है। आर-एपीडीआरपी में अब क्षतियों में निरंतर कमी के रूप में वास्तविक, प्रदर्शनीय कार्य-निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें 30,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों अर्थात् कस्बों और नगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, अधिक मांग के गहन जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ उच्च लोड में घरेलू और औद्योगिक फीडरों को कृषि के फीडरों से पृथक किया जाएगा। उच्च वोल्टता वाली वितरण प्रणाली (11केवी) भी शुरू की जाएगी। आर-एपीडीआरपी के **भाग-क** का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र के लिए आधारभूत डेटा तैयार करना है, जिसमें उपभोक्ता सूचीकरण, जीआईएस मैपिंग, वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की मीटरिंग और सभी वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों के लिए स्वचालित डेटा लॉगिंग और

एससीएडीए/ डीएमएस प्रणाली आदि भी शामिल हैं। इसके **भाग-ख** का उद्देश्य 11 केवी स्तर के सब-स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों/ ट्रांसफार्मर केंद्रों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, तथा 11 केवी के स्तर की और उससे नीचे के स्तर की लाइनों का कंडक्टर बदलना और अंतिम मील वितरण ढांचे का समग्र रूप से उन्नयन करना है।

भारत सरकार आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-क के लिए 100 प्रतिशत ऋण मुहैया कराएगी और आर-एपीडीआरपी योजनाओं के भाग-ख के लिए 25 प्रतिशत तक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत तक) ऋण मुहैया कराएगी, जिनके लिए निधियां पीएफसी/आरईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसी परियोजना के भाग-ख के लिए भारत सरकार के ऋण की समस्त रकम निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित आधारभूत डेटा प्रणाली स्थापित करने और तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों के द्वारा विधिवत सत्यापित करने के पश्चात अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दी जाएगी। भाग-ख के लिए दिए गए ऋणों का 50 प्रतिशत तक (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत), तृतीय पक्षकार निरीक्षण एजेंसियों द्वारा विधिवत सत्यापन किए जाने पर, परियोजना क्षेत्र में 15 प्रतिशत तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को घटाने का लक्ष्य प्राप्त करने पर, पांच समान किस्तों में, अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

आर-एपीडीआरपी में कार्य-निष्पादन उन्मुखी के चलते वितरण मूल सुविधाओं में निवेश कर प्रोत्साहन मिलने की संभावना है जिससे वितरण मूल सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा, और क्षति कम करने का उद्देश्य तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा।

विद्युत क्षेत्र में नीति परिवेश

विद्युत क्षेत्र में समय के साथ साथ काफी सुधार हुए हैं। इनकी शुरूआत विद्युत अधिनियम, 2003 से हुई, जिसने बिजली क्षेत्र को शासित करने वाले विधिक ढांचे को संशोधित कर दिया और जिसने बड़े स्तर की विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजी आकर्षित करने की शुरूआत की। फरवरी, 2005 में राष्ट्रीय बिजली नीति अधिसूचित की गई जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ विस्तृत लक्ष्यों को परिभाषित किया गयाः (क) अगले पांच वर्षों में सभी आवासों को बिजली पहुंचाना; (ख) ऊर्जा और व्यस्ततम कमी पर काबू पाना तथा वर्ष 2012 तक विद्युत की अपेक्षित मांग को पूरी करना; (ग) विनिर्दिष्ट मानकों की विश्वसनीय एवं गुणवत्ता वाली विद्युत की कुशल तरीके से तथा वाजिब दरों पर आपूर्ति करना; (घ) वर्ष 2012 तक एक यूनिट/आवास/दिन की न्यूनतम आवश्यकता खपत की एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना; (च) बिजली क्षेत्र में घाटे की जगह मुनाफा कमाना एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता; और (छ) उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। जनवरी, 2006 में राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई, जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, निवेश आकर्षित करना, उपभोक्तओं को उचित दरों पर बिजली उपलब्ध कराना, और प्रशुल्क निर्धारण हेतु विनियामक दृष्टिकोण में निरंतरता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। बिजली के लिए, जुलाई, 2005 में एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी काम आरंभ कर दिया है। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र में दक्षता लाने और इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विद्युत वितरण सुधारों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई थी। भारत सरकार ने अन्य विभिन्न उपायों के साथ-साथ मार्च, 2003 में 'त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)' नामक एक योजना अनुमोदित की थी, जिसे और अधिक कार्य-निष्पादन आधारित तथा वित्तीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए पुनर्गठित-एपीडीआरपी के रूप में फिर शुरू किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार लाना तथा कृषि, ग्रामीण उद्योगों इत्यादि में उत्पादक खपत हेतु एक निविष्टि के रूप में बिजली उपलब्ध करवाकर तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। अप्रैल, 2005 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की गई, जिसका उद्देश्यः (क) प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम एक 33/11 केवी के उप-केंद्र के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी); (ख) किसी भी गांव अथवा पुरवे में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा (वीईआई); और (ग) जहां पर ग्रिड की संयोज्यता व्यवहार्य नहीं है वहां पर स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादन युक्त ग्रिडों को स्थापित करना है। पूंजीगत व्यय में 90 प्रतिशत की सब्सिडी आरईसी, जो संपूर्ण देश में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संस्था है, के माध्यम से दी जा रही है। कुटीर ज्योति के मानदंडों के अनुसार सभी ग्रामीण आवासों में गरीबी रेखा से नीचे के अविद्युतीकृत आवासों को रुपए 1500/- प्रति कनेक्शन की दर से 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ इस योजना के अधीन बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ग्रामीण वितरण के प्रबंधन का कार्य फ्रैंचाइजियों के माध्यम से किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना इसके परिणामतः ग्रामीण भारत में बिजली उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा निवेश बन गयी है।

नियामक पर्यावरण, विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से गतिशील है। वर्ष के दौरान सीईआरसी ने, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को अग्रेनीत करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्य मुक्त अभिगमन विनियम को संशोधित कर दिया है। सीईआरसी ने पारेषण लाइसेंस विनियम, 2009 को भी अधिसूचित कर दिया है, जो यह निर्दिष्ट करता है कि प्राधिकार समिति, प्रतियोगी बोली दिशानिर्देश के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करेगी तथा पारेषण लाइसेंस के प्रदान करने हेतु पात्रता मानदंड, प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों को भी निर्धारित करेगी। सीईआरसी ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रशुल्क विनियम को भी अधिसूचित किया है, जो नये निवेशों को संभवतः प्रोन्नत करेगा ताकि नवीकरणीय विद्युत आपूर्ति का विस्तार किया जा सके। इक्विटी पर सिद्धांत रूप में प्रतिलाभ को पहले 10 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 19 प्रतिशत (पूर्व-कर) तथा 11वें वर्ष से आगामी प्रत्येक वर्ष के लिए 24 प्रतिशत (पूर्व-कर) किया गया है। स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों तथा नवीकरणीय क्रय दायित्व के बीच असंगति के मामले का निपटान करने तथा नवीकरणीय क्रय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तंत्र को भी लागू करने के उपाय किए गये हैं।

उक्त नीतिगत उपायों से विद्युत क्षेत्र के अनेक बहुपक्षीय मुद्दों का समाधान हो गया है और ये उच्चतर स्तरों पर मार्गदर्शन करते रहेंगे।

2. अवसर

11वीं योजना (वित्तीय वर्ष 2008-2012) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में लगभग 10316 अरब भारतीय रुपए निवेश करने का प्रस्ताव है। सीईए प्राक्कलन के अनुसार, 12वीं योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2013-2017) के दौरान 100000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का आवर्धन करने तथा संबंधित पारेषण और वितरण ढांचे के साथ 11000 अरब की भारतीय रुपए की निधि आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसलिए उम्मीद है कि विद्युत क्षेत्र जीवंत रहेगा और आगामी भविष्य में महत्वपूर्ण ढ़ंग से निवेश आकर्षित करता रहेगा। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम की नोडल एजेंसी होने के नाते आरईसी प्रगति पर नजर रखेगा और निधियों का संवितरण करेगा। '2012 तक सबके लिए बिजली' उपलब्ध कराने के मिशन में अपना योगदान करते हुए आरईसी ग्राम विद्युतीकरण को अपनी सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगा।

3. उत्पादन-वार कार्य निष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में आरईसी राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज सहित ऋण देता है ताकि विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी क्षेत्रों का विकास किया जा सके। कंपनी ने ऋण नीति पहले ही तैयार कर ली है और इसे लगातार आशोधित/अद्यतन/विस्तारित किया जाता है ताकि इसे विद्युत यूटिलिटियों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके।

वर्ष के दौरान कंपनी ने 45,357 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की तथा कंपनी के प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाते हुए सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार 27,127 करोड़ रुपए (जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन दिए गए 5,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल है), का संवितरण किया ताकि विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था की जा सके। कंपनी द्वारा दी गई मंजूरी का मुख्य घटक विद्युत उत्पादन स्कीमों के लिए दी गई 24,031 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसके अलावा, पारेषण और वितरण (टी एंड डी) स्कीमों के लिए 16,881 करोड़ रुपए, अल्पकालिक ऋण के तहत 4090 करोड़ रुपए, आईसी एंड डी परियोजनाओं के लिए 319 करोड़ रुपए, और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 8,349 करोड़ रुपए, पारेषण एवं वितरण स्कीमों के तहत 8,405 करोड़ रुपए, अल्पकालिक ऋण के तहत 3,790 करोड़ रुपए तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के तहत 6,583 करोड़ रुपए (5,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी सहित) शामिल हैं।

4. खतरे, जोखिम और सरोकार

हमारी कंपनी ने राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य यूटिलिटियों पर बकाया ऋणों का सार्थक रूप से केंद्रीकरण किया है तथा यदि इन उधारकर्ताओं पर हमारे ऋण निष्प्रभावी होते हैं तो, हमारी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न बैंकों से धन जुटाने की हमारी योग्यता पर, हमारी कंपनी सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बैंकों द्वारा उनकी अनाश्रयता के संबंध में प्रतिबंध लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के परिवर्तन से, प्रतिबंध लग जाएगा, जो हमारे विकास और लाभ को बुरी तरह प्रभावित करेगा। विद्युत क्षेत्र, वित्त उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है तथा हमारी लाभप्रदता और विकास, प्रभावपूर्ण तरीके से मुकाबला करने तथा निधियों की कम प्रभावी लागत को बनाये रखने की हमारी योग्यता पर आधारित होगा।

5. दृष्टिकोण

11वीं योजना में 78700 मेगावाट की रिकार्ड क्षमता के संवर्धन का लक्ष्य किया गया था तथा सीईए के प्राक्कलन के अनुसार 12वीं योजना में 100000 मेगावाट का संवर्धन होगा। इस प्रकार 11वीं और 12वीं योजनाओं के 10 वर्षों की अवधि में विद्युत ढांचे का समूह बनाने से 21,316 अरब से अधिक भारतीय रुपए का संभावित निवेश देखने को मिलेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन नियमित करने पर बल दिया गया है। जैसा कि अर्थव्यवस्था में सतत् रूप से विकास होने के साथ-साथ देश में विद्युत खपत में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए, क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण सदैव उज्ज्वल और सक्रिय है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने प्रबंधन की नीतियों का पालन करने, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी और त्रुटियों को रोकने एवं उनका पता लगाने, लेखा रिकार्डों की सत्यता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित, जहां तक संभव हो सके, अपने व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक भाग के रूप में विभिन्न नीतियां एवं क्रियाविधियां तैयार की हैं।

कंपनी में एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है, जो प्रबंधन द्वारा तैयार नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन की जांच करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग, वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आरईसी के प्रचालनों के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यह प्रभाग भुगतान और व्यय की जांच-पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने और उन्हें रोकने तथा कंपनी के वित्तीय और तकनीकी रिकार्डों की जांच करने के द्वारा और प्रचालनों की परिशुद्धता तथा दक्षता में सुधार लाने में सहायता करता है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित आंचलिक कार्यालयों/परियोजना कार्यालयों, सीआईआरई और कारपोरेट कार्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की द्विवार्षिक, वार्षिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है।

7. प्रचालन कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय-निष्पादन पर चर्चा

वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत ऋण 45357.36 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2008-09 में (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सभी आर्थिक सहायता को छोड़कर) यह 40745.84 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान संवितरण भी बढ़कर 27127.24 करोड़ रुपए हो गया जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन आर्थिक सहायता सहित) 22277.86 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2009-10 के दौरान वसूल की जाने वाली रकम 12461.02 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 9788.90 करोड़ रुपए थी। 31.03.2010 के अनुसार चूक करने वाले उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली रकम 166.60 करोड़ रुपए है। कंपनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 12496.12 करोड़ रुपए की वसूली की थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान 9796.97 करोड़ रुपए की वसूली की थी।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रचालन आय में 1792.59 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान 4757.17 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 में 6549.76 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी का कर-पूर्व लाभ 2008-09 के 1920.11 करोड़ की तुलना में वर्ष 2009-10 में 2649.19 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 में कंपनी का निवल लाभ 2001.42 करोड़ रुपए था, जोकि गत वर्ष की तुलना में 729.34 करोड़ रुपए ज्यादा है। दिनांक 31 मार्च, 2010 के अनुसार कंपनी की निवल पूंजी 11080.33 करोड़ रुपए थी।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

आरईसी के कार्यपालकों में व्यावसायिकता लाने के लिए और उसमें युवा कार्यपालकों को शामिल करने के लिए 1.4.2009 से 31.3.2010 के दौरान आरईसी ने खुले विज्ञापन के माध्यम से 09 कार्यपालकों और कैंपस भर्ती के माध्यम से 16 कार्यपालकों को नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर अर्थात् 31.3.2010 को कुल जनशक्ति 673 थी, जिसमें 370 कार्यपालक और 303 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

कंपनी ने देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं

आदि में 95 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी में ही 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 479 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में सीआईआरई, हैदराबाद में आयोजित 7 कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो केवल आरईसी के कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए थे। एक साथ देखें तो, इन उपायों ने कंपनी को समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों (1300 श्रम-दिवसों के समक्ष वर्ष के दौरान हमने 2342 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया) को सार्थक रूप से निष्पादित करने के लिए सक्षम किया है। वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए कई अधिकारियों को विदेशों में अर्थात् जापान, जेनेवा, बांग्लादेश आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया।

9. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

मई, 2008 में आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निम्नवत है।

''एक उत्तरदायी निगमित संस्था बने रहना, जिसको उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और समग्र समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का ध्यान है।''

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, आरईसी ने पिछले वित्तीय वर्ष के कर पश्चात लाभ(पीएटी) के 0.25 प्रतिशत की समकक्ष राशि अर्थात रुपए 318 लाख को वित्तीय वर्ष 2010 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों हेतु आबंटन के रूप में अलग रख दिया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य को एक कार्यनीतिक एवं विशिष्ट तरीके से करने के लिए 'आरईसी फाउंडेशन' के नाम से एक अलग सोसायटी गठित की गई है। बहुत से प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट देश में साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हुए बच्चों को सहायता देना है। 'प्रोजेक्ट असिस्ट' नामक इस परियोजना को राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संस्था (एनएफसीएच) द्वारा लागू किया जा रहा है। एक अन्य पहल में, आरईसी ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण प्रायोजित किया है ताकि उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इस परियोजना को अमर सेवा संगम, चेन्नई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक अन्य परियोजना में, आरईसी ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 'मिड-डे मील' के तहत भोजन वितरण करने के लिए तीन वाहन उपलब्ध किए हैं।

अनुबंध–II

निगमित सुशासन की रिपोर्ट

एक सूचीबद्ध कंपनी और एक अच्छे निगमित एंटिटी के रूप में आरईसी अंतरात्मा, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व पर आधारित अच्छी निगमित परिपाटियों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निरंतर दीर्घकालिक समृद्धि और लाभकारिता प्राप्त करने के लिए उसके सभी हितधारकों में विश्वास पैदा करने का मार्ग प्रशस्त हो ।

सूचीबद्ध करार के अनुसार, निगमित सुशासन के प्रावधानों का पालन करने के साथ-साथ सरकारी कंपनी के रूप में लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का भी यह कंपनी अनुसरण करती है।

निगमित सुशासन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है और निगमित सुशासन के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र भी अलग से संलग्न किया गया है।

1. निगमित सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने, उनको प्रोन्नत एवं संरक्षित करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी ग्रामीण और शहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण तंत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित तथा प्रोन्नत करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक अनुकूल एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

(क) बोर्ड की संरचना:

आरईसी के निदेशक मंडल में **8 (आठ)** सदस्य हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित **3(तीन)** प्रकार्यात्मक निदेशक और पांच गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक हैं, जिनमें से एक भारत सरकार का नामिती और चार स्वतंत्र निदेशक हैं। ये निदेशक बोर्ड को व्यापक अनुभव, ज्ञान तथा कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों के बारे में संक्षिप्त विवरण इसी रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:-

प्रकार्यात्मक निदेशक:

डॉ. ज. मो. फाटक	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
श्री एच.डी. खुंटेटा	-	निदेशक (वित्त)
श्री गुलजीत कपूर	-	निदेशक (तकनीकी)

गैर-प्रकार्यात्मक निदेशक:

श्री देवेन्द्र सिंह	-	सरकारी नामिती निदेशक
श्री वेणुगोपाल एन. धूत	-	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. एम. गोविन्द राव	-	स्वतंत्र निदेशक
श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	-	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. देवी सिंह	-	स्वतंत्र निदेशक

ख) गैर-प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण :

आरईसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 23.03.2009 को आयोजित अपनी बैठक में मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-प्रकार्यात्मक/स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क की अदायगी करने का निर्णय नीचे दिए अनुसार किया :

क्रम सं.	बैठकें	रकम
1.	निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए	15,000/- रुपए
2.	समिति की बैठक में भाग लेने के लिए	15,000/- रुपए

(ग) निदेशक मंडल और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दिनांक 20.04.2009, 25.05.2009, 15.07.2009, 28.07.2009, 01.09.2009, 19.09.2009, 16.10.2009, 29.10.2009, 24.11.2009, 01.12.2009, 30.12.2009, 13.01.2010, 23.01.2010, 16.02.2010 और 19.03.2010 को निदेशक मंडल की 15 बैठकें आयोजित की गई।

निदेशक मंडल की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल चार माह से कम का था। निदेशक मंडल को कंपनी में उपलब्ध सभी संगत सूचना प्राप्त करने की पूरी तरह पहुंच है, जिसमें सूचीबद्ध करार में निर्धारित सूचना भी शामिल है। कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, ताकि उन्हें सही और तत्परता से निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

(ii) वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया, पिछली वार्षिक साधारण बैठक की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (सरकारी लिमिटेड कंपनियों में)/ समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरहोल्डर शिकायत समिति (आरईसी से भिन्न) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया जा रहा है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें		पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति (19.09.2009 को आयोजित)	दिनांक 31.03.2010 को अन्य कितनी कंपनियों के निदेशक हैं	दिनांक 31.03.2010 के अनुसार ऐसी अन्य समितियों की सं., जिसके वे	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			अध्यक्ष के रूप में हों	सदस्य के रूप में हों
1.	श्री पी. उमा शंकर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)*	15	15	हां	3	शून्य	शून्य
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	15	15	हां	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी)	15	15	हां	शून्य	शून्य	शून्य

4.	श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक	15	12	हां	1	शून्य	शून्य
5.	श्री वेणुगोपाल एन. धूत, स्वतंत्र निदेशक	15	3	नहीं	11	1	1
6.	डॉ. एम. गोविंद राव, स्वतंत्र निदेशक	15	13	हां	1	शून्य	शून्य
7.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन, स्वतंत्र निदेशक	15	13	हां	1	1	शून्य
8.	डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	15	14	हां	1	शून्य	शून्य

*** श्री पी.उमा शंकर ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार 15.06.2010 (पूर्वाह्न) को त्याग दिया। डॉ. ज.मो.फाटक को 15.06.2010 (अपराह्न) से कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।**

निदेशक मंडल के सदस्यों में से कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है।

(iii) लागू कानूनों का अनुपालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी पर लागू कानूनों और ऐसे लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की एक संकेतक सूची की पहचान की थी। इसके अलावा, दिनांक 21.02.2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने उसमें दिए गए फार्मेट की समीक्षा की, जिसमें लागू सांविधिक अनुपालनों की प्रकृति के वास्तविक विवरण और तिमाही के दौरान उनके अनुपालन की तारीख/ विवरण भी दिए गए हैं। निदेशक मंडल ने प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों के आधार पर लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा की और दिनांक 31.03.2010 तक ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें पालन न किया गया हो।

(घ) आचरण संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शिता प्रक्रिया बढ़ाने के कंपनी के मिशन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तैयार की है। इस आचरण संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

सूचीबद्ध करार के खंड 49 के अधीन अपेक्षित घोषणा

'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता' के अधीन आने वाले सभी सदस्य वित्त वर्ष 2009-10 के लिए उपर्युक्त आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है'।

ह./-
पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(च) इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए संहिता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने गोपनीयता बनाए रखने और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का दुरुपयोग रोकने के लिए एक व्यापक इनसाइडर ट्रेडिंग निवारण संहिता तैयार की है। कंपनी के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और पदनामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह कंपनी में अपने कार्यचालन के दौरान प्राप्त ऐसी सूचना की पूर्ण गोपनीयता की सुरक्षा करे, कंपनी में अपने पद का दुरुपयोग न करे तथा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने अथवा किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी से संबंधित सूचना अथवा अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करे। संहिता में कंपनी के शेयरों से संबंधित कार्य करने और अनुपालन न करने के परिणामों के संबंध में अपनाए जाने वाले और प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो आंतरिक व्यापार को रोकने संबंधी संहिता का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है। इस संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार, जब भी कोई मूल्य संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई, तब व्यापार खिड़की (ट्रेडिंग विंडो) बंद कर दी गई थी। व्यापार खिड़की बंद करने के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचना समय से पहले जारी कर दी गई थी और जब खिड़की बंद हो जाए, तब कंपनी के शेयरों के लेन देन रोकने के लिए संहिता के अधीन पदनामित कर्मचारियों को रोकते हुए उपयुक्त घोषणाएं भी की गई थीं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

3.1 निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं :

- लेखापरीक्षा समिति
- डिबेंचर को छोड़कर उधार लेने संबंधी उप-समिति
- आरईसी ऋणों के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति
- शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति
- ऋण समिति
- मानव संसाधन संबंधी उप-समिति
- पारिश्रमिक समिति
- एफपीओ समिति
- विद्युत परियोजनाओं में पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए उप समिति

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वर्तमान लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. एम. गोविंद राव	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त), कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखापरीक्षा) और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के स्थायी आमंत्रिती है। जब कभी समिति को आवश्यकता होती है तो उसे इनपुट प्रदान करने के लिए वरिष्ठ प्रकार्यात्मक निदेशकों को आमंत्रित किया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैः

(क) कंपनी अधिनियम की धारा 292ए के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ख) सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना और लोक उद्यम विभाग(डीपीई), 2007 द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को जारी निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों का चरणबद्ध रूप में अनुपालन करना;

(ग) कंपनी की लेखापरीक्षा न की गई/ लेखापरीक्षित तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना/ रिकार्ड में शामिल करना।

वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 24.05.2009, 15.07.2009, 28.07.2009, 01.09.2009, 29.10.2009, 12.11.2009 और 13.01.2010 को सात बैठकें आयोजित की गई। वर्ष 2009-10 के दौरान जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, उनका विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम और पदनाम	समिति में पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. एम. गोविंद राव, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	7	6
श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	6
डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	7

डॉ. एम. गोविंद राव, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति दिनांक 19.09.2009 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डरों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

3.1.2 डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी उप-समिति

डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का गठन निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 29.04.2005 की बैठक में किया। डिबेंचरों को छोड़कर उधार संबंधी निदेशक मंडल की उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. ज.मो.फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 निदेशक है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल है। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.1.3 आरईसी ऋणों के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 21.07.2006 को आयोजित अपनी बैठक में अल्पकालिक ऋणों के उधार की दरों की समीक्षा करने के लिए उधार की दर की समीक्षा संबंधी उप-समिति का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, सावधि ऋण संबंधी उधार दरों की समीक्षा करने के लिए समिति का कार्य क्षेत्र निदेशक मंडल द्वारा 26.10.2006 को हुई अपनी बैठक में बढ़ा दिया गया था। उधार दरों की समीक्षा करने संबंधी इस उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. ज.मो.फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इन बैठकों का कोरम 2 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल है। वर्ष के दौरान दिनांक 16.04.2009, 20.05.2009, 11.08.2009, 10.09.2009, 18.09.2009, 23.09.2009, 21.10.2009 और 09.12.2009 को इस उप-समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.4 शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति

(i) **शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति का गठन**

यह समिति शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र न मिलने, घोषित लाभांश आदि के प्राप्त न होने जैसे शेयरहोल्डरों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य विशेष रूप से देखती है। इस समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक हैं। शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री देवेंद्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) शेयरहोल्डर/ निवेशक शिकायत समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की लंबित शिकायतों की प्रक्रिया और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 20.05.2009, 27.07.2009, 20.10.2009 और 13.01.2010 को शेयरहोल्डरों और निवेशकों की शिकायत समिति की चार बैठकें आयोजित की गई। श्री बी.आर. रघुनंदन, कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसरण में कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

(ii) **शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति**

दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का समीचीनता और शीघ्रता से निपटान किया है। दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान इक्विटी शेयर/ सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित शेयरहोल्डरों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतें	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	1832
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1832
दिनांक 31.03.2010 को लंबित शिकायतें	शून्य

3.1.5 ऋण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26.05.2008 को आयोजित अपनी बैठक में ऋण समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन निम्नलिखित ऋणों की स्वीकृति के लिए किया गया है:-

(i) केंद्रीय/राज्य सरकार के विद्युत यूटिलिटीज को 20,000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में 150 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक; और

(ii) निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटीज को 4000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अंदर प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए तक।

ऋण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. ज.मो.फाटक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

इस समिति का कोरम तीन निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष और सरकारी नामिती निदेशक भी शामिल है। वर्ष के दौरान इस समिति की दिनांक 20.04.2009, 20.05.2009, 13.07.2009, 17.08.2009, 01.09.2009, 19.9.2009, 16.10.2009, 24.11.2009, 30.12.2009, 13.01.2010, 25.02.2010 और 19.03.2010 को 12 बैठकें आयोजित की गई।

3.1.6 मानव संसाधन संबंधी उप-समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 09.07.2008 को आयोजित अपनी बैठक में मानव संसाधन संबंधी उप-समिति का गठन किया। इसका गठन मानव संसाधन नीतियों के विकास, समीक्षा और संशोधन करने के लिए किया गया था, जिसमें पावर फाइनेंस कारपोरेशन, एनटीपीसी आदि जैसे सरकारी क्षेत्रक उद्यमों की तर्ज पर मोटे तौर पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ/ सुविधाओं से संबंधित नीतियां भी शामिल हैं। समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

मानव संसाधन संबंधी उप-समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार हैः-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री पी.आर. बालासुब्रमणियन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्री विनोद बिहारी, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) इस समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित होने वाले अधिकारी हैं। इस समिति का कोरम दो सदस्य हैं, जिसमें समिति का अध्यक्ष भी शामिल है। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.1.7(i) सूचीकरण करार के अनुसार पारिश्रमिक समिति :

आरईसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए, निदेशक मण्डल, निदेशकों के भत्तों को निर्धारित नहीं करता है। **अतः, इस किस्म की पारिश्रमिक समिति का कंपनी में गठन नहीं किया जाता है।** स्वतंत्र निदेशकों को केवल निदेशक मंडल की बैठकों और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित अधिकतम सीमा के भीतर निदेशक मंडल द्वारा तय की गई दर पर बैठकों के शुल्कों का भुगतान किया जाता है।

तथापि, निगमित सुशासन संहिता के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैः

(क) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	जोड़
1.	श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	22,07,758	3,90,716	25,000	**26,23,474**
2.	श्री एच. डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त)	27,70,562	1,92,862	3,10,151	**32,73,575**
3.	श्री गुलजीत कपूर, निदेशक (तकनीकी)	20,35,531	1,66,909	2,03,702	**24,06,142**

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार हैः-

(राशि रुपयों में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
1.	श्री वेणुगोपाल एन धूत *	3/-	-	**3/-**
2.	डॉ. एम. गोविंद राव	1,95,000	90,000	**2,85,000**
3.	श्री पी.आर. बालासुब्रामणियन	1,95,000	90,000	**2,85,000**
4.	डॉ. देवी सिंह	2,10,000	1,05,000	**3,15,000**

*श्री वी.एन. धूत वर्ष के दौरान बैठक में उपस्थित होने के लिए मानदेय की अदायगी के रूप में प्रति बैठक केवल एक रुपए ले रहे हैं।

(ग) श्री देवेन्द्र सिंह, सरकारी नामिती निदेशक होने के कारण कंपनी से कोई पारिश्रमिक और बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

(ii) लोक उद्यम विभाग के अनुसार पारिश्रमिक समितिः

लोक उद्यम विभाग ने कार्यालय ज्ञापन तारीख 26.11.2008, 9.2.2009 और 2.4.2009 के तहत 1.1.2007 से निदेशक मंडल स्तर तथा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालक निदेशकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। लोक उद्यम विभाग ने पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापनों द्वारा यह भी निदेश दिया है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जो विहित सीमाओं के अंदर कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा इसके वितरण के लिए नीति निर्धारण करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार, आरईसी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2009-10 से आगे के लिए निष्पादन संबद्ध भुगतान का निश्चय करने के लिए 20.4.2009 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

इस पारिश्रमिक समिति की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी.आर. बालासुब्रामिणयन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

समिति का कोरम दो सदस्यों का है जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) स्थायी रूप से भाग लेने वाले हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.1.8 अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम(एफपीओ)से संबंधित सभी फैसले करने के लिए निदेशक मंडल ने तारीख 16.10.2009 को हुई अपनी बैठक में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम समिति का गठन किया। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

समिति का कोरम दो निदेशकों का था, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। वर्ष के दौरान दिनांक 25.01.2010, 14.02.2010, 25.02.2010 (दो बैठकें उसी दिन) और 05.03.2010 को पांच बैठकें की गईं। इसके बाद 19 मई, 2010 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा एफपीओ कमेटी को विघटित कर दिया गया।

3.1.9 विद्युत परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए प्रस्तावों पर विचार करने एवं उन पर सिफारिश करने संबंधी समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 19 मार्च, 2010 को हुई निदेशक मंडल की 362वीं बैठक में निदेशक मंडल की एक उप समिति का गठन किया गया था, जो उचित समझे गए रूप में विस्तृत निबंधनों और शर्तों पर पूंजी निवेश के प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने, उन पर ध्यान देने के लिए तथा आगे विचार करने के उपायों की निदेशक मंडल को सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी।

विद्युत परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए प्रस्तावों पर विचार करने और उस पर सिफारिश करने संबंधी उप समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	डॉ. देवी सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नही हुई।

3.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा गठित समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 20.04.2009 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया था:-

(i) ऐसी अनुलब्धियों तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति पर लाभों और अन्य मदों का विवरण और तौर तरीके तैयार करना, विशेषतः ऐसी मदों, जिन्हें 20 अप्रैल, 2009 को आयोजित निदेशक मंडल की 348वीं बैठक में शामिल नहीं किया गया था।

(ii) उपर्युक्त क्रम सं.(1) पर उल्लिखित मदों में संशोधन करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्येक के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सिफारिशें करना।

तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उपर्युक्त मदों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित समिति गठित की है:-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री पी.आर. बालासुब्रह्मणियन	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एच.डी.खुंटेटा	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री गुलजीत कपूर	निदेशक(तकनीकी)	सदस्य

समिति की बैठक का कोरम 2 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं और कार्यकारी निदेशक (एचआर) स्थायी आमंत्रिती होंगे। वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नही हुई।

4. शेयर अंतरण समिति

ऊपर 3.1.1 से 3.1.9 तक यथा उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों की एक शेयर अंतरण समिति भी है। निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 28.07.2008 को आयोजित बैठक में शेयर अंतरण समिति का पुनः गठन किया था। प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक विभाजन/समेकन और अंतरण के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

शेयर अंतरण समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री बी.आर. रघुनंदन	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	महाप्रबंधक (वित्त) - संसाधन

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रति व्यक्ति प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर से अधिक शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/ समेकन के लिए प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. सहायक कंपनियां

सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित के अनुसार कंपनी की कोई 'महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी' नहीं है। गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त आरईसी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए थे। सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणामों की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और इंतजाम कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाए गए थे।

6. वार्षिक आम बैठक

संख्या	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
38वीं	2006-07	पंजीकृत कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	27.09.2007, अपराह्न 3.00 बजे	नहीं
39वीं	2007-08	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	24.09.2008, पूर्वाह्न 10.00 बजे	नहीं
40वीं	2008-09	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	19.09.2009, पूर्वाह्न 11.00 बजे	हां

7. डाक मतपत्र

आरईसी के संस्था ज्ञापन (एमओए) के मुख्य उद्देश्यों के खंड में संशोधन करने के लिए कंपनी का डाक मतपत्रों के जरिए विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि संस्था ज्ञापन के विद्यमान खंड III (क) के उपखंड 9 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त उप-खंड 10 अंतःस्थापित किया जा सके।

"(10) ऐसे क्रियाकलापों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना, जिनका वित्तीय परियोजनाओं (जिनमें ये शामिल हैं लेकिन यहीं तक सीमित नहीं) के साथ आगे और या पीछे संबंध (फार्वर्ड और बैकवर्ड लिंकेज) हो, जैसे विद्युत परियोजनाओं में ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कोयला और अन्य खनन क्रियाकलाप, विद्युत क्षेत्र के लिए अन्य ईंधन की आपूर्ति की व्यवस्था का विकास और ऐसी अन्य

सक्षम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, जो विद्युत क्षेत्र का तेजी से और प्रभावी ढंग से विकास करने के लिए अपेक्षित हों।'

श्री संजय ग्रोवर, एफसीए, एफसीएस, व्यावसायिक कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र से किए गए मतदान की प्रक्रिया को संचालित कर सकें और सदस्यों से भरे हुए मतपत्र फार्म प्राप्त कर और उनकी संवीक्षा कर सकें।

डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान परिणाम नई दिल्ली में 19 सितंबर, 2009 को हुई कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया। मतपत्र के माध्यम से मतदान के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	मतों की संख्या
1.	पक्ष में डाले गए मत	3,815	73,10,79,018	73,10,79,018
2.	विरोध में डाले गए मत	66	5,759	5,759
3.	अविधिमान्य मत	279	27,318	27,318

8. प्रकटन

(i) संबंधित पार्टियों अर्थात प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन से संबंधित कोई अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है, जिनसे कंपनी के हितों के साथ कोई भारी विवाद उत्पन्न हो सकता हो। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है।

(ii) व्हिसल ब्लोअर नीति अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। कंपनी को इस संबंध में नीति अभी तैयार करनी है।

(iii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के पास जाने के लिए मना नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल सभी सुझाई गई मदें अपनाई हैं।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ : कंपनी शेयरों की खरीद-बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक कार्य-व्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके संबंधियों की शेयरधारिता हो।

(vi) प्राप्त घोषणा-पत्रों के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर नातेदारी नहीं हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन यथापेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(i) लेखा बहियों में नामे डाली गई व्ययों की वे मदें जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं हैं - शून्य

(ii) वे उपगत व्यय जो व्यक्तिगत स्वरूप के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्षस्थ प्रबंधन के लिए किए गए हैं - शून्य

(iii) वर्ष 2009-10 के लिए कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 0.68% है (पूर्व वर्ष का 0.74%) तथा वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय व्ययों की प्रतिशतता के रूप में 0.71% है (पूर्व वर्ष का 0.77% है)।

गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाए/नहीं अपनाए जाने संबंधी सूचना नीचे दी जा रही है:-

गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं

i. **निदेशक मंडल :** कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल सभी स्वतंत्र निदेशक पहली बार दिसंबर, 2007/ जनवरी, 2008 में नियुक्त किए गए थे और कुल मिलाकर नौ वर्ष की अवधि से आगे इसमें वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

ii. **पारिश्रमिक समिति :** निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्णय कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंपनी की वित्त वर्ष 2009-10 के संबंध में कोई पारिश्रमिक समिति नहीं है। तथापि, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के तहत लोक उद्यम विभाग के निदेशानुसार, आरईसी बोर्ड ने 20.04.2009 को वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पूल तथा विहित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के बीच उसके वितरण हेतु नीति का निश्चय करने के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की है।

iii. **शेयरधारकों के अधिकार :** प्रत्येक शेयरधारक को विगत छह माह में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के सारांश सहित अर्धवार्षिक वित्तीय निष्पादन भेजने की अब तक कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम मुख्य समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं।

iv. **लेखापरीक्षा अर्हता:** कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है।

v. **निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण :** यह आवश्यकता आधारित है।

vi. **निदेशक मंडल के गैर-प्रकार्यात्मक सदस्यों के मूल्यांकन की प्रणाली :** इस समय ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।

vii. **व्हिसल ब्लोअर नीति :** कंपनी ने कोई पृथक 'व्हिसल ब्लोअर' नीति स्वीकार नहीं की है। तथापि, कंपनी द्वारा अंगीकृत 'कपट निवारण संबंधी नीति' के प्रावधानों के अंतर्गत, व्हिसल ब्लोअर तंत्र कपट का पता लगाने, उसे रोकने तथा उसकी सूचना देने के लिए विद्यमान है। यह नीति किसी ऐसे कपट या संदेहास्पद कपट पर लागू होती है जिसमें कर्मचारियों और साथ ही शेयरधारकों, परामर्शदाताओं, विक्रेताओं, उधारदाताओं, उधार लेने वालों, ठेकेदारों, कंपनी के साथ व्यवसाय कर रही बाहरी एजेंसियों, ऐसी एजेंसी के कर्मचारी और/या कंपनी के साथ व्यापार संबंध वाले कोई अन्य पक्षकार अंतर्बलित हैं। कपट या संदेहास्पद कपट की सभी रिपोर्टों की इस प्रयोजन के लिए नामित नोडल अधिकारी(यों) द्वारा अति शीघ्रता से छानबीन की जाती है।

9. संचार के साधन :

कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकें और प्रकटनों की संसूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित होती है जिसमें अन्य बातों के साथ, लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), लेखापरीक्षक रिपोर्ट अंतर्विष्ट होती है जिसे सदस्यों और उसके हकदार अन्य व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

कंपनी निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संस्थागत निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखती है।

निगम के तिमाही एवं वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं और दि इकनोमिक टाइम्स, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान (हिंदी), नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदू इत्यादि जैसे वित्तीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम निगम की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

10. सीईओ/ सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार अपेक्षित श्री पी. उमा शंकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिनांक 19 मई, 2010 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया जब 31.3.2010 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों पर विचार किया गया।

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

(i) 2009-10 की वार्षिक आम बैठक

दिनांक	समय	स्थान
8 सितंबर, 2010	11.00 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली - 110010

(ii) वर्ष 2010-11 के लिए कैलेंडर

विशिष्टियां	तारीख
लेखाकरण अवधि	1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011
पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित परिणाम	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिन के भीतर घोषणा
चौथी तिमाही के परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के भीतर लेखा परीक्षित वार्षिक खातों की घोषणा
वार्षिक आम बैठक (अगले वर्ष)	सितंबर 2011 (अनंतिम)

(iii) लाभांश का भुगतान

क. वित्त वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरणः

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 और कंपनी (लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण) के साथ पठित कंपनी संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2009-10 के लिए जनवरी 2010 मास में 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) का अंतरिम लाभांश अदा किया।

(2) अंतिम लाभांश का विवरणः

निदेशक मंडल ने दिनांक 19 मई, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2009-10 के लिए 3.50 रुपए प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश दिनांक 08.09.2010 को आयोजित की जाने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 6.50 रु. प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य पर) होगा।

ख. पिछले पांच वर्षों के लिए लाभांश का विवरण

वर्ष	कुल अदा की गई पूंजी (करोड़ रुपए)	अदा किए गए लाभांश की कुल रकम (करोड़ रुपए)	लाभांश की दर %	भुगतान की तारीख (अंतरिम और अंतिम)
2004-05	780.60	234.50	30.04%	24 फरवरी, 2005 (अंतरिम) और 29 सितंबर, 2005 (अंतिम)
2005-06	780.60	191.26	24.50%	2 मार्च, 2006 (अंतरिम) और 25 सितंबर, 2006 (अंतिम)
2006-07	780.60	177	22.67%	5 अक्तूबर, 2007 (अंतिम)
2007-08	858.66	257.60	30%	1 अक्तूबर, 2008 (अंतिम)
2008-09	858.66	386.40	45%	5 मार्च, 2009 (अंतरिम) और 25 सितंबर, 2009 (अंतिम)

(iv) खाता बंदी की तारीख :

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 26.08.2010 से 08.09.2010 तक (जिसमें दोनों दिन शामिल है) बंद रखे जाएंगे।

(v) अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए रिकार्ड तारीख

वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए रिकार्ड तारीख 25 अगस्त, 2010 है।

(vi) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं :

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कोड
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	आरईसीलिमिटेड
2.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532955

(vii) स्टॉक कोड : आईएनई020बी01018

(viii) बाजार मूल्य आंकड़े

बीएसई

मास	उच्च (रुपए)	निम्न (रुपए)	बंद होने के समय मूल्य
अप्रैल, 09	114.70	94.10	103.15
मई, 09	154.20	104.50	147.20
जून, 09	173.25	142.10	163.10
जुलाई, 09	207.80	147.20	203.05
अगस्त, 09	224.75	178.05	222.40
सितंबर, 09	225.00	191.30	201.65
अक्तूबर, 09	215.50	188.30	200.05
नवंबर, 09	247.00	192.15	244.80
दिसंबर, 09	266.00	225.70	243.50
जनवरी, 10	274.50	232.20	240.20
फरवरी, 10	251.00	205.15	244.00
मार्च, 10	257.20	225.05	249.90

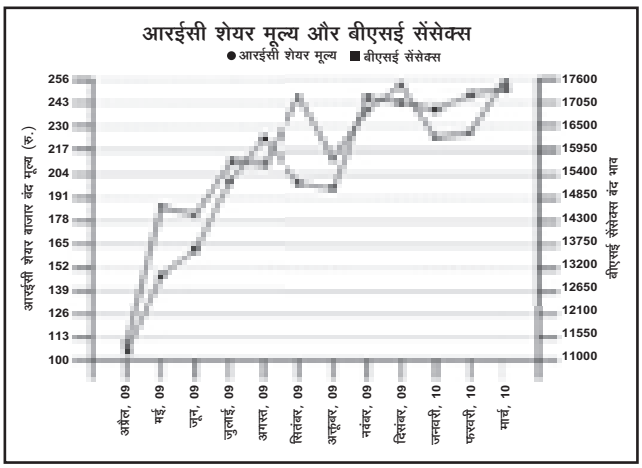

एनएसई

मास	उच्च (रुपए)	निम्न (रुपए)	बंद होने के समय मूल्य
अप्रैल, 09	114.65	94.50	103.10
मई, 09	154.20	104.20	146.50
जून, 09	173.50	142.05	163.45
जुलाई, 09	207.80	147.05	202.70
अगस्त, 09	224.50	178.00	222.10
सितंबर, 09	224.65	190.60	201.40
अक्तूबर, 09	215.35	188.15	200.05
नवंबर, 09	247.35	198.00	244.95
दिसंबर, 09	265.90	225.05	242.80
जनवरी, 10	274.80	232.20	239.65
फरवरी, 10	251.85	206.15	243.20
मार्च, 10	257.10	230.00	250.65

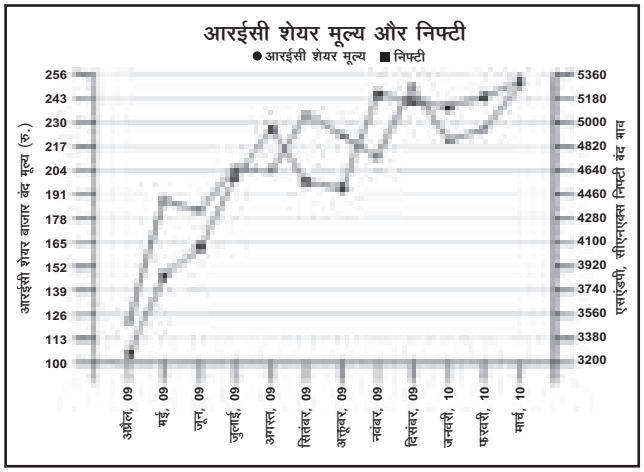

(ix) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लाट 17 से 24, विट्ठलराव नगर, मधापुर,
हैदराबाद-500081, भारत, दूरभाष : 91 40 23420815-824
फैक्स : 91 40 23420814, ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvy.com

(x) शेयर अंतरण प्रणाली

फिजिकल सेग्मैंट वाले शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी अंतरिती से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इनका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक फिजिकल शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में, **प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के** वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन हेतु अनुरोध के अनुमोदन के लिए शेयर अंतरण एवं निवेशक सेवा समिति भी गठित की गई है।

इसके अतिरिक्त, व्यवसायी कंपनी सचिव से शेयर अंतरण औपचारिकताओं के सम्यक अनुपालन की पुष्टि करते हुए छःमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज प्रमाणपत्र सूचीकरण करार के खंड 47(ग) के अनुसरण में नियत समय में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत कर दिया है।

(xi) शेयरधारिता का वितरण

- 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की सं.	शेयधारकों की सं.	शेयधारकों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	राशि (रु.)	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	269338	97.72	25366362	253663620	2.57
5001-10000	3845	1.39	2596920	25969200	0.26
10001-20000	982	0.36	1414017	14140170	0.14
20001-30000	378	0.14	932458	9324580	0.10
30001-40000	195	0.07	687491	6874910	0.07
40001-50000	141	0.05	646038	6460380	0.07
50001-100000	225	0.08	1595990	15959900	0.16
100001 और उससे अधिक	522	0.19	954219724	9542197240	96.63
जोड़	**275626**	**100**	**987459000**	**9874590000**	**100**

- 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का प्रतिरूप

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	659607000	66.80
बैंक	906411	0.09
हिन्दू अविभक्त परिवार	1703013	0.17
विदेशी संस्थागत निवेशक	176033824	17.83
निगमित निकाय	46503203	4.70
अनिवासी भारतीय	553542	0.06
निवासी भारतीय	34859233	3.53
न्यास	171482	0.02
समाशोधन सदस्य	485702	0.05
म्युचुअल फंड	48490447	4.91
भारतीय वित्तीय संस्थान	18144822	1.84
विदेशी राष्ट्रिक	200	नगण्य
विदेशी कारपोरेट निकाय	121	नगण्य
जोड़	**987459000**	**100**

(xii) शेयरों का डिमेटीरियलाइज्ड

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमेटीरियलाइज्ड सेगमेंट में हैं और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जो यह पुष्टि करती है कि कुल निर्गत/प्रदत्त पूंजी वास्तविक रूप में 31.03.2010 तक एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास धारित डिमेटीरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के करार के अनुसार है, व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त की गई थी और नियत समय में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई थी।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार डिमेटीरियलाइज्ड और फिजिकल रूप में धारित शेयरों की संख्याः-

श्रेणी	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
फिजिकल	6898	9301	नगण्य
एनएसडीएल	195866	977563339	99
सीडीएसएल	72862	9886360	1
जोड़	**275626**	**987459000**	**100**

(xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

(xiv) संयंत्र की अवस्थिति : लागू नहीं

(xv) पत्राचार के लिए पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत

(xvi) कंपनी सचिव और लोक प्रवक्ता

श्री बी.आर. रघुनंदन
दूरभाष : 91 11 24367305
फैक्स : 91 11 24362039
ई-मेलः brraghu@recl.nic.in

अनुबंध – III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीकरण के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 7.2.1 में उल्लेख किया गया है, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जिनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 7.2.1 में उल्लेख किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी की अपेक्षानुसार हमने समीक्षा की है और यह देखा है कि कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार किसी भी निवेशक की कोई शिकायत एक माह से अधिक की अवधि के लिए लंबित नहीं थी।

हम यह और उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता अथवा दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन नहीं है, जिसके अनुसार प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

दिनांक : 10 जून, 2010
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2010 के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	1	**98,745.90**	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**10,09,287.59**	5,33,142.00
		11,08,033.49	6,19,008.00
ऋण निधियां:			
प्रतिभूत ऋण	3	**46,24,473.81**	37,61,365.25
अप्रतिभूत ऋण	4	**9,70,349.03**	7,32,230.45
		55,94,822.84	44,93,595.70
आस्थगित कर देयता (-) परिसंपत्तियां	8	**-736.76**	95,668.52
जोड़		**67,02,119.57**	52,08,272.22
निधियों का उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां:	5		
सकल ब्लॉक		**8,337.61**	7,110.87
घटाएं मूल्यह्रास		**1,628.10**	1,447.62
निवल ब्लॉक		**6,709.51**	5,663.25
चालू पूंजीगत कार्य		**2,281.41**	2,427.04
निवेश	6	**90,985.87**	1,00,486.36
ऋण	7	**66,45,261.38**	51,38,144.58
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**1,39,031.22**	1,88,604.14
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**57,929.02**	45,843.37
ऋण तथा अग्रिम		**11,409.90**	5,698.35
		2,08,370.14	2,40,145.86
घटाएं: वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान:	10		
देयताएं		**1,96,134.15**	2,44,645.91
प्रावधान		**55,354.59**	33,948.96
		2,51,488.74	2,78,594.87
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**-43,118.60**	-38449.01
कुल		**67,02,119.57**	52,08,272.22

लेखा पर टिप्पणियां 17

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच. डी खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 मई, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	1.03.2009 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालन आय (निवल)	11	**6,54,975.79**	4,75,717.01
अन्य आय	12	**15,784.49**	17,410.79
जोड़		**6,70,760.28**	4,93,127.80
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**3,89,607.06**	2,88,734.95
स्थापना व्यय	14	**11,710.10**	8,722.35
प्रशासन व्यय	15	**2,767.61**	2,240.55
बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	**1,507.73**	979.50
अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		**22.18**	237.05
निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान		**-**	105.34
मूल्यह्रास		**215.50**	136.16
जोड़		**4,05,830.18**	3,01,155.90
पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ		**2,64,930.10**	1,91,971.90
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**10.67**	(38.73)
कर पूर्व लाभ		**2,64,919.43**	1,92,010.63
कर हेतु प्रावधानः			
कर - चालू वर्ष		**69,558.67**	50,688.31
- पिछले वर्ष		**2.83**	2.15
- पिछले वर्षों का समायोजन		**-4,835.11**	-
- आस्थगित कर - चालू वर्ष		**51.46**	13,960.70
अनुषंगी लाभ कर		**-**	151.71
जोड़		**64,777.85**	64,802.87
कर पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**2,00,141.58**	1,27,207.76
जोड़ें : आस्थगित कर देयता की वापसी - पिछले वर्ष		**32,576.87**	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल रकम		**2,32,718.45**	1,27,207.76
विनियोजनः			
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(8) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित		**45,803.00**	34,000.00
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित		**10,760.00**	8,000.00
अंतरिम लाभांश		**25,759.80**	17,173.20
कारपोरेट लाभांश कर			
- अंतरिम लाभांश		**4,377.03**	2,918.58
प्रस्तावित लाभांश		**34,561.07**	21,466.50
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**5,740.16**	3,648.23
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**50,000.00**	25,500.00
तुलन-पत्र को ले जाया गया अधिशेष		**55,717.39**	14,501.25
जोड़		**2,32,718.45**	1,27,207.76
प्रत्येक 10/- रूपये के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन-राशि रूपये में *[लेखे पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17)]*		**23.06**	14.81

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखे का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच. डी खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 मई, 2010

अनुसूची '1' पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
प्राधिकृत		
10 रूपये प्रत्येक के 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) इक्विटी शेयर	**1,20,000.00**	1,20,000.00
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त		
10 रूपये प्रत्येक के 987459000 (पिछले वर्ष 858,660,000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,745.90**	85,866.00
जोड़	**98,745.90**	85,866.00

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	01.04.2009 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2010 को अंत शेष
(क) पूंजीगत आरक्षित				
(i) पूंजीगत आरक्षित(यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम*	72,216.48	2,51,940.52	1,955.19	**3,22,201.81**
उप-जोड़ (क)	82,716.48	2,51,940.52	1,955.19	**3,32,701.81**
(ख) अन्य आरक्षित				
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	2,83,779.77	45,803.00	-	**3,29,582.77**
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित	34,369.13	10,760.00	-	**45,129.13**
(iii) सामान्य आरक्षित**	1,04,887.38			**1,04,887.38**
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
- लाभ और हानि खाते से अंतरित		50,000.00		**50,000.00**
- आस्थगित कर देयता की वापसी		63,879.87		**63,879.87**
	1,04,887.38	1,13,879.87	-	**2,18,767.25**
(iv) लाभ और हानि खाता**	27,389.24	55,717.39	-	**83,106.63**
उप-जोड़ (ख)	4,50,425.52	2,26,160.26	-	**6,76,585.78**
जोड़ (क+ख)	**5,33,142.00**	**4,78,100.78**	**1,955.19**	**10,09,287.59**

* परिवर्धनों में कर-पश्चात लाभ से अंतरित रकम और शेयर प्रीमियम की वह रकम शामिल है, जो पिछले वर्ष में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में देयता के अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम की पुनरांकित की निवल रकम पर प्राप्त हुई है। घटाने/समायोजन में वह रकम शामिल है, जो शेयरों के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को जारी करने से आरईसी के निर्गम शेयर से संबंधित व्यय है।

** लाभ एवं हानि लेखे में 32,576.87 लाख रुपए और आस्थगित कर देयता की वापसी के कारण सामान्य आरक्षित 63,879.87 लाख रुपए की रकम शामिल है, जो लेखा संबंधी टिप्पणी की अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 21(ख) में बताए गए अनुसार विशेष आरक्षित निधि के रूप में सृजित की गई है।

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**1,66,842.86**	2,05,325.00
भारतीय जीवन बीमा से ऋण (प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**3,20,000.00**	3,35,000.00
आईआईएफसीएल से ऋण (उपलब्ध पुनः वित्त की सुविधा को समरूप आधार पर वर्तमान और भावी प्रतिभूति की पूलिंग के अनुसार रक्षित किया गया।	**87,000.00**	-
बांड के द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		
(प्राप्य के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जो कि निजी स्थापन की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है)		
क) दीर्घावधि		
I. करमुक्त प्रतिभूत बांड		
41वी श्रृंखला - 22.02.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	-	7,500.00
53वी श्रृंखला - 23.03.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**	5,000.00
II. करयोग्य प्रतिभूत बांड		
64वी श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	-	15,000.00
66वी श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	-	13,900.00
69वी श्रृंखला - 23.01.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**53,536.00**	66,920.00
72वी श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**11,370.00**	38,570.00
73वी श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**	23,390.00
75वी श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
77वी श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**	98,550.00
78वी श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**1,79,570.00**	1,79,570.00
79वी श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
80वी श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
81वी श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**	31,480.00
82वी श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**	88,310.00
83वी श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**	68,520.00
84वी श्रृंखला - 04.04.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य	**1,00,000.00**	1,00,000.00
85वी श्रृंखला - 13.06.2018 को सममूल्य पर 9.68% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
86वी श्रृंखला - 24.07.2013 को सममूल्य पर 10.75% विमोच्य	**72,790.00**	72,790.00
86-ए श्रृंखला - 29.07.2018 को सममूल्य पर 10.70% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
86बी-I श्रृंखला - 14.08.2011 को सममूल्य पर 10.95% विमोच्य	**92,420.00**	92,420.00
86बी-II श्रृंखला - 14.08.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**35,410.00**	35,410.00
86बी-III श्रृंखला - 14.08.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**43,200.00**	43,200.00
87-I श्रृंखला - 30.09.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**37,020.00**	37,020.00
87-II श्रृंखला - 30.09.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**65,740.00**	65,740.00
87ए-I श्रृंखला - 24.10.2013 को सममूल्य पर 11.35% विमोच्य	**24,970.00**	24,970.00
87ए-II श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.20% विमोच्य	**3,640**	3640
87ए-III श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.15% विमोच्य	**6,180**	6,180
87बी श्रृंखला - 03.11.2011 को सममूल्य पर 11.75% विमोच्य	**94,090**	94,090
87सी-I श्रृंखला - 26.05.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**22,910**	22,910

87सी-II श्रृंखला - 26.11.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**59,150.00**	59,150.00
87सी-III श्रृंखला - 26.11.2013 को सममूल्य पर 11.50% विमोच्य	**86,000.00**	86,000.00
88वी श्रृंखला - 15.01.2019 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**1,49,500.00**	1,49,500.00
89-I श्रृंखला - 02.06.2012 को सममूल्य पर 7.00% विमोच्य	**67,150.00**	-
89-II श्रृंखला - 02.06.2014 को सममूल्य पर 7.70% विमोच्य	**25,500.00**	-
90वीं श्रृंखला - 03.08.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**2,00,000.00**	-
90वीं ए-I श्रृंखला - 05.08.2012 को सममूल्य पर 7.15% विमोच्य	**1,00,000.00**	-
90वीं ए-II श्रृंखला - 05.08.2014 को सममूल्य पर 8.00% विमोच्य	**1,00,000.00**	-
90वीं बी-I श्रृंखला - 04.09.2014 को सममूल्य पर 8.35% विमोच्य	**88,390.00**	-
90वीं बी-II श्रृंखला - 04.09.2019 को सममूल्य पर 8.72% विमोच्य	**86,820.00**	-
90वीं सी-I श्रृंखला - 06.10.2012 को सममूल्य पर 7.90% विमोच्य	**1,41,750.00**	-
90वीं सी-II श्रृंखला - 06.10.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**1,04,000.00**	-
91वीं -I श्रृंखला - 17.11.2012 को सममूल्य पर 7.75% विमोच्य	**94,300.00**	-
91वीं -II श्रृंखला - 17.11.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**99,590.00**	-
92वीं -I श्रृंखला - 22.01.2013 को सममूल्य पर 7.60% विमोच्य	**92,460.00**	-
92वीं -II श्रृंखला - 22.01.2020 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**94,530.00**	-
93वीं -I श्रृंखला - 19.02.2013 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**14,150.00**	-
93वीं -II श्रृंखला - 19.02.2015 को सममूल्य पर 8.45% विमोच्य	**44,310.00**	-
पूंजीगत लाभ बांड (सममूल्य पर विमोच्य),		
श्रृंखला-I	-	1,552.60
श्रृंखला-II	-	1,639.40
श्रृंखला-III	-	6,502.30
श्रृंखला-IV	**131.80**	20,638.20
श्रृंखला-V	**42,481.00**	81,013.50
श्रृंखला-VI	**53,628.50**	4,49,421.30
श्रृंखला-VIA	-	2,85,867.00
श्रृंखला-VII	**3,40,274.40**	3,40,274.40
श्रृंखला-VIII	**2,52,523.30**	2,52,523.30
श्रृंखला-VIII 2009-10	**3,05,777.60**	-
इंफ्रॉस्ट्रक्चर बांड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I तथा II	-	924.70
श्रृंखला-III	-	533.55
श्रृंखला-IV	-	420.00
पूंजीगत लाभ बांड पर उपचित और देय ब्याज	**117.75**	-
प्रतिभूत ऋण का जोड़	**46,24,473.81**	37,61,365.25
अगले वर्ष के अंतर्गत पुनर्भुगतान/विमोचन हेतु नियत	**6,40,702.59**	9,90,348.69

अनुसूची सं0-3 की टिप्पणियां:-

क) 46,24,473.81 लाख रूपये के प्रतिभूत ऋण में निम्न शामिल हैः-

(1) 4,39,340 लाख रूपये की राशि के श्रृंखला 91 से 93 के करयोग्य प्रतिभूत बांड, जिनके संबंध में प्रभारों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है

(ख) (1) बांडों की 64वीं श्रृंखला को 27 सितंबर, 2009 को विमोचित किया गया है।

(2) बांडों की 66वीं श्रृंखला को 31 जनवरी, 2010 को विमोचित किया गया है।

(3) बांडों की 41वीं श्रृंखला को 22 फरवरी, 2010 को विमोचित किया गया है।

(4) बांडों की 64वीं, 66वीं और 41वीं श्रृंखला को प्रभार-मुक्त करने की प्रक्रिया जारी है।

(5) बांडों की 69वीं श्रृंखला (20 प्रतिशत पहली किस्त) को 23 जनवरी, 2010 को विमोचित किया गया है।

(6) बांडों की 87क-2 कीं श्रृंखला को पांचवें वर्ष के अंत में, अर्थात 24.10.2013 को विकल्प के लिए रखा/समझा गया है। बांडों की 72वीं श्रृंखला के 272 करोड़ रुपए को बांडधारियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिनांक 18.08.2009 को विमोचित कर दिया गया था और शेष 11,370 लाख रुपए की राशि को दिनांक 18.08.2011 को विमोचित किया जाएगा।

(ग) 69वीं, 73वीं और 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर पांच समान किस्तों में विमोच्य हैं (69वें श्रृंखला के बॉण्डों की पहली किस्त का 20% - 133.84 करोड़ रुपए दिनांक 23 जनवरी, 2010 को विमोचित कर दिए गए हैं।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बांड 5½ वर्ष तक एसटीआरपीपी के द्वारा 10 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में विमोच्य होंगे।

(ड.) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं 83वीं, 85वीं, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-II, 87ए-III, 88वीं, 90वीं, 90बी-II, 90सी-II, 91-II, तथा 92-II, श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017, 28.02.2018, 13.06.2018, 29.07.2018, 14.08.2018, 30.09.2018, 24.10.2018, 15.01.2019, 03.08.2019, 04.09.2019, 06.10.2019, 17.11.2019 तथा 22.01.2020 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(च) 84वीं, 86वीं, 86बी-II, 87-I, 87ए-I, 87सी-III, 89-II, 90ए-II, 90बी-I तथा 93-II, श्रृंखला 5 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 04.04.2013, 24.7.2013, 14.8.2013, 30.9.2013 24.10.2013, 26.11.2013, 02.06.2014, 05.08.2014, 04.09.2014 तथा 19.02.2015 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(छ) 86बी-I, 87बी, 89-I, 90ए-I, 90सी-I, 91-I, 92-I तथा 93-I श्रृंखला 3 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 14.08.2011, 03.11.2011, 02.06.2012, 05.08.2012, 06.10.2012, 17.11.2012, 22.01.2013 तथा 19.02.2013 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(ज) 87ए-I श्रृंखला के बांड में 3 वर्षों की समाप्ति पर अर्थात 24.10.2011 को पुट/कॉल करने के विकल्प हैं।

(झ) 87सी-I श्रृंखला 18 महीनों की समाप्ति पर अर्थात 26.05.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ञ) 87सी-II श्रृंखला 24 महीनों की समाप्ति पर अर्थात् 26.11.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ट) पूंजीगत लाभ कर छूट बांड को 3/5/7 वर्षों की अवधि हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बांडों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (09-10) में जारी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड श्रृंखला 8 (09-10) की अवधि 3 वर्ष है जो 6.25% की वार्षिक दर से देय है। इंफ्रॉस्ट्रक्चर बांड को 6.00% से 9.00% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों पर 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किया गया है। इन बांडों में आबंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**4,941.84**	6,474.48
सावधि ऋण		
(क) बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**4,14,300.00**	2,74,780.00
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**-**	1,30,000.00
नकद ऋण सीमाएं	**63,000.00**	-
विदेशी मुद्रा ऋण		
(क) दीर्घावधि		
ईसीबी -सिंडिकेट किया गया बैंकों से ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**78,839.17**	43,941.29
केएफडब्ल्यू ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**41,771.66**	18,400.36
कमर्शियल पेपर	**2,45,000.00**	1,29,500.00
बांडों के द्वारा ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
21वीं श्रृंखला - 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**-**	6,908.00
22वीं श्रृंखला - 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**	4,900.00
23वीं श्रृंखला-I - 05.12.2011 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-II - 21.02.2012 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बांड		
74वीं श्रृंखला - 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**	25,000.00
उपचित और देय ब्याज	**270.04**	-
कुल अप्रतिभूत ऋण	**9,70,349.03**	7,32,230.45
अगले वर्ष के अंतर्गत चुकौती/विमोचन हेतु देय	**3,60,828.16**	3,25,388.00

टिप्पणीः- रूपये 2.00 लाख के बांड 31.3.2010 को आरईसी लिमिटेड सीपी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

अनुसूची '5' 31 मार्च, 2010 के अनुसार अचल परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				निवल ब्लॉक	
	01.04.2009 के अनुसार	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2010 के अनुसार इतिशेष	31.03.2009 तक	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2010 के अनुसार मूल्यह्रास	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	3,188.87	223.07	-	3,411.94	-	-	-	-	3,411.94	3,188.87
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	145.51	14.19	1.41	-	15.60	129.91	131.32
भवन	2,216.12	9.58	-	2,225.70	498.24	34.74	-	532.98	1,692.72	1,717.88
फर्नीचर एवं जुड़नार	565.12	18.12	1.60	581.64	283.06	31.63	1.17	313.52	268.12	282.06
ईडीपी उपस्कर	528.76	551.47	2.05	1,078.18	350.55	79.26	2.05	427.76	650.42	178.21
कार्यालय उपस्कर	331.92	24.96	4.68	352.20	194.14	14.64	1.46	207.32	144.88	137.78
वाहन	107.00	0.43	33.92	73.51	82.14	4.09	30.34	55.89	17.62	24.86
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - फर्नीचर	9.11	3.09	-	12.20	9.11	3.09	-	12.20	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - ईडीपी	1.37	5.19	-	6.56	1.37	5.19	-	6.56	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां - कार्यालय उपस्कर	12.24	5.03	-	17.27	12.24	5.03	-	17.27	-	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	4.85	428.05	-	432.90	2.58	36.42	-	39.00	393.90	2.27
कुल जोड़	7,110.87	1,268.99	42.25	8337.61	1447.62	215.50	35.02	1,628.10	6,709.51	5,663.25
गत वर्ष	8,383.36	271.19	1543.69	7110.87	1357.78	136.16	46.32	1,447.62	5,663.25	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	2,427.04	821.60	967.23	2281.41	-	-	-	-	2,281.41	2,427.04
गत वर्ष	764.49	1,764.59	102.04	2427.04	-	-	-	-	2,427.04	

टिप्पणीः अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये एएस-26 के अनुसार हैं। इनका भुगतान पांच वर्षों के अंदर किया गया कार्यशील पूंजी में मुख्य रूप से वह भूमि शामिल है, जिसका कब्जा प्राधिकारियों और अन्य सिविल निर्माण कार्य करने वालों से लिया जाना है।

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
(क) दीर्घावधि (अनुद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8% के पावर बांड-II, जो 1.4.05 से 30 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 19 बांड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 21 बांड)	**89,604.00**	99,036.00
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड	**1,184.37**	1,315.36
रूपये 9.80 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,20,85,400 यूनिटें		
(पिछले वर्ष रूपये 9.09 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,44,70,381 यूनिटें) (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रूपये है)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड में निवेश 10/- रूपये प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर	**125.00**	125.00
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लि. में निवेश 10/- रूपये प्रत्येक के 625000 इक्विटी शेयर चुकता	**62.50**	-
उप जोड़ (क)	**90,975.87**	1,00,476.36
(ख) अनुषंगी कंपनियों में निवेश		
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में निवेश 10 रूपये प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजैक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश 10 रूपये प्रत्येक के प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
उप जोड़ (ख)	**10.00**	10.00
जोड़ (क+ख) (अनुद्धृत)	**90,985.87**	1,00,486.36

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 के अनुसार		31.03.2009 के अनुसार
(1)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य सरकार				
	(क) अप्रतिभूत, अच्छे माने गए (संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत)		**21,34,314.13**		20,93,859.39
	(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**231.76**		1,753.81	
	घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**32.18**	**199.58**	1,717.68	36.13
(2)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/ निगम के साथ सामान के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
	अच्छे माने गए		**37,08,522.50**		23,90,960.36
(3)	अन्य(मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
	(क) अच्छे माने गए		**4,59,178.64**		2,91,026.32
	(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**1,722.33**		5,135.42	
	घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1,722.33**	-	3,083.04	2,052.38
(4)	अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**293,905.45**		2,82,546.15
	उप जोड़ (1 से 4)		**65,96,120.30**		50,60,480.73
	(i) ऋणों पर उपचित तथा देय ब्याज		**5,887.74**		1,827.98
	(ii) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**43,253.34**		75,835.87
	कुल जोड़		**66,45,261.38**		51,38,144.58

अनुसूची '8' आस्थगित कर देयता / (-) परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	**95,668.52**	**81,707.82**
घटाएं: 31.03.2009 तक की गई वापसी	**96,456.74**	-
	-788.22	**81,707.82**
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	**51.46**	**13,960.70**
जोड़	**-736.76**	**95,668.52**

अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 21, लेखाओं पर टिप्पणी का संदर्भ लें

अनुसूची '9' वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

		31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
I.	**वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	क) नकदी तथा बैंक शेष:		
	(1) हस्तगत/ट्रांसिट में नकदी/चैक (डाक टिकट तथा अग्रदाय सहित)	**0.61**	0.29
	(2) चालू खातों में		
	- भारतीय रिजर्व बैंक में	**1.87**	1.85
	- अधिसूचित बैंकों में	**63,671.45**	32,170.79
	- अधिसूचित बैंकों में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)	**418.07**	659.89
	- अधिसूचित बैंकों में (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)	**3,466.58**	55.95
	(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में		
	- आरजीजीवीवाई	-	97,649.98
	- एजीएंडएसपी	-	3,590.66
	- अन्य	**71,472.64**	54,474.73
	जोड़ (क)	**1,39,031.22**	1,88,604.14
	ख) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
	(1) सावधि जमा पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	**92.22**	136.16
	(2) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		
	- ऋणों पर	**48,796.72**	45,169.58
	- कर्मचारियों को ऋण पर	**281.73**	222.38
	(3) एसईबी/सरकारी विभागों/ अन्यों से प्राप्य	**659.00**	106.32
	(4) भारत सरकार से प्राप्य		
	- आरजीजीवीवाई व्यय	**295.04**	208.93
	- आरजीजीवीवाई अनुदान	**7,804.31**	-
	जोड़ (ख)	**57,929.02**	45,843.37
II.	**ऋण तथा अग्रिम**		
	क) ऋण		
	(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)	**177.58**	238.53
	(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)	**515.90**	853.41
	ख) अग्रिम		
	(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)		
	(1) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	**2,387.54**	522.37
	(2) कमर्शियल पेपर पर पूर्वदत्त वित्तीय प्रभार	**5,174.37**	4,083.72
	(3) वसूली योग्य आयकर	**3,154.51**	0.32
	जोड़ (ग)	**11,409.90**	5,698.35
	जोड़ - (क+ख+ग)	**2,08,370.14**	2,40,145.86

अनुसूची '10' वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 के अनुसार		31.03.2009 के अनुसार
1)	**वर्तमान देयताएं**				
	(क) अग्रिम प्राप्तियां		**912.07**		2,525.41
	(ख) अन्य देयताएं		**5,940.00**		4,226.04
	- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के देय				
	(ग) (1) संवितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान	**19,61,406.91**		14,60,887.62	
	(2) अनुदान पर ब्याज	**5,090.52**		3,633.68	
	योग	**19,66,497.43**		14,64,521.30	
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-19,59,821.07**		-13,59,454.04	
	अवितरित अनुदान		**6,676.36**		1,05,067.26
	(घ) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
	- बांडों पर	**1,56,827.23**		1,17,683.76	
	- सरकारी/एलआईसी ऋणों पर	**13,839.41**	**1,70,666.64**	12,841.89	1,30,525.65
	(च) बांडों पर दावा नहीं किया गया ब्याज तथा मूलधन				
	- ब्याज	**1,523.38**		1,243.49	
	- मूलधन	**9,950.98**	**11,474.36**	83.10	1,326.59
	(छ) देय उपदान		**464.72**		974.96
	जोड़ (1)		**1,96,134.15**		2,44,645.91
2)	**प्रावधान**				
	(क) आय कर	**1,79,170.80**		1,09,648.13	
	घटाएं : अग्रिम आय कर तथा टीडीएस	**1,76,205.63**		1,08,775.66	
	आय कर के लिए शेष प्रावधान		**2,965.17**		872.47
	(ख) स्टाफ हित		**5,703.46**		4,819.63
	(ग) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**3,975.17**		1,791.40
	(घ) वेतन संशोधन		**3,306.24**		1,280.00
			7,281.41		3,071.40
	घटाएं : समायोजन योग्य अग्रिम		**-968.77**		-
	प्रोत्साहन, अनुग्रह और वेतन संशोधन के लिए शेष प्रावधान		**6,312.64**		3,071.40
	(ड.) धन कर		**36.00**		33.82
	(च) अनुषंगी लाभ कर		**36.09**		36.09
	(छ) प्रस्तावित लाभांश		**34,561.07**		21,466.50
	(ज) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**5,740.16**		3,648.23
	(झ) आकस्मिक व्यय		**-**		0.82
	जोड़ (2)		**55,354.59**		33,948.96
	जोड़ (1+2)		**2,51,488.74**		2,78,594.87

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**ऋण देने के प्रचालनों में**				
	ऋणों पर ब्याज				
	- दीर्घावधि वित्त-पोषण	**6,08,425.48**		4,38,541.59	
	घटाएं: समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	**977.48**	**6,07,448.00**	1,346.05	4,37,195.54
	- अल्पावधि वित्त-पोषण		**35,637.42**		29,297.94
			6,43,085.42		4,66,493.48
ख.	**दीर्घावधि पट्टा राजस्व**		-		544.60
ग.	**प्रसंस्करण शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, लीड फीस, एलसी कमीशन**		**4,253.88**		1,343.18
घ.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		**1,784.80**		353.64
च.	**आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन/अन्यों हेतु एजेंसी प्रभार**		**5,851.69**		6,982.11
	जोड़		**6,54,975.79**		4,75,717.01

अनुसूची '12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**निवेश/जमा प्रचालनों पर**				
	म्युचुअल फंड पर लाभांश	**978.98**		-	
	जमाओं पर ब्याज	**2,035.78**		3,718.69	
	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**7,734.24**	**10,749.00**	8,704.32	12,423.01
	(टीडीएस 448.83 लाख रूपये, गत वर्ष 961.78 लाख रूपये)				
ख.	**अन्य आय**				
	विनिमय दर में अंतर		-		1,142.17
	वापस किया गया अधिक प्रावधान		**3,476.05**		3,610.99
	आय कर वापसी पर ब्याज		**855.06**		-
	स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		**66.22**		49.62
	अनुषंगी कंपनियों से ब्याज		**39.93**		16.21
	जोखिम निधि में निवेश पर लाभांश		**67.11**		11.02
	विविध आय		**527.93**		156.70
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**3.19**		1.07
	जोड़		**15,784.49**		17,410.79

अनुसूची '13' ब्याज तथा अन्य प्रभार

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
निम्न से ब्याज		
- सरकारी ऋण	**421.27**	534.07
- आरईसी बांड	**2,93,774.77**	2,03,485.20
- बैंक/वित्तीय संस्थान	**69,780.32**	73,794.15
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	**10,956.78**	7,712.49
- कमर्शियल पेपर	**13,680.74**	2,134.76
	3,88,613.88	2,87,660.67
एआरईपी आर्थिक सहायता पर ब्याज	**64.26**	122.22
गारंटी शुल्क	**442.10**	797.45
अन्य वित्तीय प्रभार	**486.82**	154.61
जोड़	**3,89,607.06**	2,88,734.95

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**8,707.29**	5,226.13
छुट्टी और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय	**1,109.41**	1,144.31
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**897.54**	1,466.36
स्टाफ कल्याण व्यय	**995.86**	885.55
जोड़	**11,710.10**	8,722.35

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

		31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष
किराया-कार्यालय		163.13		175.16
दरें तथा कर		89.12		40.68
विद्युत तथा जल प्रभार		64.96		54.91
बीमा प्रभार		2.93		4.44
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन		159.30		242.32
- ईआरपी तथा डेटा केंद्र	121.99		-	
- अन्य	58.04	339.33	29.53	271.85
मुद्रण तथा स्टेशनरी		155.01		192.50
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	81.88		55.53	
- अन्य	533.76	615.64	468.24	523.77
डाक, तार तथा टेलीफोन		183.61		106.56
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		222.01		202.75
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		26.51		23.11
विविध व्यय		746.26		324.66
परामर्शी प्रभार		147.58		73.53
दान तथा धर्मार्थ		10.00		246.59
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1.52		0.04
जोड़		2,767.61		2,240.55

अनुसूची '16' बांड/ऋण लिखत निर्गम पर व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
बांड हैंडलिंग प्रभार	439.91	321.29
बांड ब्रोकरेज खाता	667.04	366.68
बांड स्टॉम्प ड्यूटी	157.33	21.05
अन्य	243.45	270.48
जोड़	1,507.73	979.50

अनुसूची '17' खातों पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
(क)	निगम के समक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, 31.03.2010 को माध्यस्थम मामलों समेत विभिन्न अदालतों में लंबित 406.36 लाख रुपए सहित) (पिछले वर्ष 3460.53 लाख रुपए) और	494.49	3,469.37
(ख)	संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	599.26	1,165.97
(ग)	अन्य	1,76,559.67	1,34,263.00

उपर्युक्त(क)में संदर्भित राशि न्यायालय/माध्यस्थम मामलों के निपटाने में परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 1(ग) में उल्लिखित राशि में निगम द्वारा अपने उधारकर्ताओं को स्वीकृण ऋण से विद्युत उत्पादन उपस्कर खरीदने के लिए साख-पत्र खोलने हेतु विभिन्न बैंकों को जारी किए जाने वाले आश्वासन-पत्रों के अनुसार 1,73,970 लाख रुपए शामिल हैं। 1,557.65 लाख रुपए उस ब्याज दर में अंतर से संबंधित हैं जो उन प्राइवेट पार्टियों पर प्रभारित की जा रही है जिनका कोई ग्रेड नहीं रहा है और (जिनके ऋणों पर न्यूनतम ग्रेड वाले उधारकर्ताओं पर लागू होने वाली उच्चतम दर पर प्रभारित की जा रही है।) 668.50 लाख रुपए उस मांग से संबंधित हैं, जो आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन जारी नोटिस के जरिए मूल्यांकन वर्ष 2008-09 के लिए जुटाए और 363.52 लाख रुपए कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के कर-निर्धारण को पूरा करने पर आयकर द्वारा की गई मांग के अनुसार आयकर विभाग को अदा किए गए थे, जिसके संबंध में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दाखिल की गई है और इस रकम को चालू देयताओं में अग्रिम आयकर और तुलन-पत्र में प्रावधान अनुसूची के रूप में दर्शाया गया है।

2. यह निगम वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। क्योंकि आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(आई)सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

3. सभी "व्यवस्थित महत्वपूर्ण" सरकारी स्वामित्व के एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि शासी एनबीएफसी के विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक 'रूपरेखा' प्रस्तुत की जाए। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट किया था कि जिस तारीख से हमारे निगम द्वारा इन विनियमों का अनुपालन किया जाना था, उसके संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हमारे निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने/उसके अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को उपर्युक्त रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उसने बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (वित्त वर्ष 2017 तक) शासी एनबीएफसी के विनियमों का अनुपालन करने से छूट मांगी है।

इसके अलावा, 13 दिसंबर, 2006 और 21 फरवरी, 2009 को हमारे निदेशक मंडल ने विवेकपूर्ण मापदंडों को हमारे द्वारा अपनाए जाने के संबंध में अनुमोदन दे दिया था। हमारे विवेकपूर्ण मापदंड हमारे प्राइवेट और राज्य क्षेत्रक उधारकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक हैं। प्राइवेट क्षेत्रक उधारकर्ताओं के लिए हमारा प्रकटन हमारे निगम के स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत तक किसी एक उधारकर्ता के लिए सीमित है और कंपिनयों के एक समूह के लिए हमारे निगम के स्वामित्व की निधियों का 50% तक सीमित है। राज्य क्षेत्रक उधारकर्ताओं को ऋण दिए जाने के संबंध में हमारी अधिकतम उधार सीमा हमारे निगम के निवल मूल्य के 100% से 250% तक के बीच है, जो संबंधित राज्य यूटिलिटियों के समूह के एनटिटि के मूल्यांकन और ऑन बंडलिंग स्थिति पर निर्भर करता है।

4. कुछ ग्रामीण विद्युत (आरई) सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि के सृजन में कुल 301.45 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष - 500.89 लाख रुपए) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

5. कुछ कर्जदारों से बाकी राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

6. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर प्रावधानों के अनुसार बांडधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर कर काट लिया जाता है, क्योंकि ऐसे बांड मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं।

7. निगम द्वारा अधिगृहीत भूमि और भवन आदि के संबंध में 3,630.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3996.51 लाख रुपए) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख की औपचारिकताएं पूरी की जाने वाली हैं।

8. लेखा नीति सं.10.02 के अनुसार 31.3.2010 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में (संस्थागत और 54 ईसी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बांड दोनों के लिए) शेष राशि 3,431.32 लाख रुपए (गत वर्ष 5,025.32 लाख रुपए) है।

9. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

10. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथा अपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

11. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

12. इस वर्ष कोई बांड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

13. वर्ष के दौरान निगम ने अदला-बदली स्वैप(केवल कूपन)कारोबार के कारण 765.69 लाख रुपए(पिछले वर्ष 420.16 लाख रुपए)तक उधार की लागत को कम कर दिया है, जिसका लेन-देन रुपए के उधार से संबद्ध है।

निगम ने अदला-बदली कारोबार (केवल कूपन) तथा विदेशी मुद्रा अदला-बदली कारोबार के लेन-देन में प्रवेश किया । 31.03.2010 को उपरोक्त अदला-बदली कारोबार के संबंध में बाजार स्थिति का निवल मार्क 16,544.12 लाख रुपए(पिछले वर्ष 24,271.25 लाख रुपए अनुकूल) रहा है।

14. निदेशकों का पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**75.53**	44.33
अनुलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**10.10**	15.18
सेवानिवृत्ति लाभ	**शून्य**	6.70
जोड़	**85.63**	66.21

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार रुपए 780/- प्रति माह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा तक निजी यात्रा(ओं) सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय 4.38 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10.66 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि 10.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 14.17 लाख रुपए) थी।

15. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
(क)	लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	**18.75**	16.79
(ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क (वित्त वर्ष 2008-09 के संबंध में लेखापरीक्षकों को अदा किए गए 2 लाख रुपए को छोड़कर*)	**4.00***	2.25
(ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	**0.39**	1.75
(घ)	अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (एफपीओ प्रमाणीकरण हेतु भुगतान सहित, जिसे प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में दर्शाया गया है।**)	**16.37****	2.32
	जोड़	**39.51**	23.11

16. विदेशी मुद्रा में व्ययः

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	**70.58**	शून्य
ब्याज	**28.87**	161.66
वित्त प्रभार	**411.95**	79.03
अन्य प्रभार	**61.54**	53.22
जोड़	**572.94**	293.91

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं है।

17. निवेश में 1208.54 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,447.04 लाख रुपए) शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल फंड (एसआईबी फंड) जोखिम पूंजीगत निधि' की यूनिटों में कंपनी के योगदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि के योगदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1,208.54 लाख रुपए	भारत	9.74 %

भविष्य में अंशदान की कोई वचनबद्धता नहीं है।

18. संबंधित पक्षकार प्रकटनः

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एच.डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)
श्री गुलजीत कपूर	निदेशक (तकनीकी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक टिप्पणी संख्या 14 में दर्शाया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों से प्राप्य अग्रिम टिप्पणी संख्या 14 में दर्शाया गया है।

ख. अन्य संबंधित पक्षकार जिनके साथ लेनदेन हैः-

	अनुषंगी कंपनी	संबंध
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी
2.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगीः

	अनुषंगी कंपनी	संबंध
1.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (31 मार्च, 2010 के पश्चात बेची गई)	साथी अनुषंगी
2.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (31 मार्च, 2010 के पश्चात बेची गई)	साथी अनुषंगी
3.	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	साथी अनुषंगी (19.11.2009 से)

ग. अनुषंगियों से प्राप्य ऋण तथा अग्रिमः

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम राशि	
		31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
1.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**1432.78**	193.16	**1432.78**	193.16
2.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**-6.76**	3.78	**-6.76**	71.85
3.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**3.61**	3.27	**3.61**	3.27
4.	तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	**0.49**	0.44	**0.49**	0.44

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन

(रुपए लाख में)

	लेनदेन की प्रकृति	अनुषंगी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1.	ऋण तथा अग्रिम	1229.47 (पिछले वर्ष 111.21)	(शून्य) (शून्य)
2.	अप्रतिभूत ऋण	(शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)	(शून्य) (पिछले वर्ष 8.01)
3.	पारिश्रमिक	(शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)	85.63 (पिछले वर्ष 66.21)

19. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडीः-

निगम द्वारा एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता रखा जा रहा है और भारत सरकार द्वारा एजीएंडएसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं में संवितरण करने के लिए)दी गई है। यह उस निवल मूल्य पर दिया गया है, जिसकी गणना भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा.सं.32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अनुसार सांकेतिक दरों और अवधि के आधार पर की गई है, भले ही पात्र योजना की वास्तविक अदायगी अनुसूची, ऋण स्थगन अवधि तथा वापसी की अवधि कुछ भी हो। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक के बीच अंतर का पता संबद्ध योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

20. लेखांकन मानक-26 ''अमूर्त परिसंपत्तियां'' में यथा अपेक्षित परिसपंत्तियों के संबंध में प्रकटीकरणः-

क. परिशोधन दर — 20%
यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए अथवा कमहै तो 100%।

ख. परिशोधन विधि — सीधी रेखा।

मिलान विवरण (लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
i)	सकल कैरिंग राशि	**432.90**	4.86
ii)	संचित मूल्यह्रास	**39.00**	2.59
iii)	सकल कैरिंग राशि - प्रारंभिक शेष	**4.85**	3.54
iv)	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	**2.58**	1.98
v)	कैरिंग राशि	**2.27**	1.56
vi)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**428.05**	1.31
vii)	घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**36.42**	0.60
viii)	तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**393.90**	2.27

21. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान कर रहा है।

(क) 31.03.2010 को आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्तियों) के मुख्य घटक निम्नानुसार हैंः-

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)		
अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**623.54**	482.37
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान	**251.12**	198.29
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (वर्ष 2006-07 से पहले की अवधि से संबंधित कटौतियों का दावा नहीं किया गया है)	**263.28**	263.28
निवेशों में गिरावट पर प्रावधान	**8.21**	44.76
अन्यों हेतु प्रावधान	**0.00**	144.68
जोड़	**1146.15**	1133.38
आस्थगित कर देयताएं (-)		
मूल्यह्रास	**-409.39**	-345.15
आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(viii) के अधीन आरक्षित निधि	-	-96456.74
जोड़	**-409.39**	-96801.89
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**736.76**	-95668.51

(ख) कंपनी ने विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता (डी टी एल) का सृजन आरंभ कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2006-07 से आगे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। विशेष आरक्षित निधि के संबंध में आस्थगित कर देयता सामान्य आरक्षित निधि से रकम को अंतरित करके की गई है, जो वित्त वर्ष 2005-06 से सृजित की गई थी और वित्त वर्ष 2006-07 में भी सृजित की गई थी।

कंपनी ने एक बोर्ड संकल्प पारित किया है कि वह उस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का इरादा नहीं रखती है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि को वापिस नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुसार स्थायी अंतर बन जाता है। तदनुसार, यह कंपनी उपर्युक्त आरक्षित निधि के संबंध में कोई आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

अब, विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए और आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता सृजित न करने के इसी स्तर के अन्य संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी को भी ध्यान में रखते हुए, इस निगम का विचार है कि आईसीएआई के लेखांकन मानक-22 के अनुसार आस्थगित कर देयता की कोई जरूरत नहीं है। तदनुसार निगम ने आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण 15,564.67 लाख रुपए की आस्थगित कर देयता का 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में सृजन नहीं किया है और इस खाते में पिछले वर्षों में सृजित किए गए 96,456.74 लाख रुपए

की आस्थगित कर देयता को भी वापिस कर दिया है। आस्थगित कर देयता की वापसी वित्त वर्ष 2005-06 तक के लिए 63,879.87 लाख रुपए का सामान्य आरक्षित निधि में जमा करके और वित्त वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के लिए 32,576.87 लाख रुपए के लाभ एवं हानि विनियोजन के माध्यम से की गई है।

यदि कंपनी ने पिछले वर्षों में भी यही लेखांकन तरीका अपनाया होता तो 31.03.2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ 184,576.91 लाख रुपए होता जबकि सूचित लाभ 200,141.58 लाख रुपए बताया गया है और आरक्षित और अधिशेष 8,97,266.18 लाख रुपए होता जबकि 31.03.2010 को आरक्षित और अधिशेष 10,09,287.59 लाख रुपए बताया गया है।

22. विभिन्न निर्धारण वर्षों के अग्रिम नियमन और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार निगम ने 5,690.16 लाख रुपए आयकर वापसी और उस पर आयकर विभाग से प्राप्त होने वाले व्याज के रूप में हिसाब में लिए हैं जिसमें से इस वर्ष के दौरान उसमें से 2,562.12 लाख रुपए प्राप्त किए गए हैं।

23. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन(आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना इस प्रकार की गई है:

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
अंश		
लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कर-पश्चात लाभ	**200,141.58**	127,207.76
हर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**86,78,34,723**	85,86,60,000
प्रति शेयर आधारभूत तथा कम किया गया अर्जन (रुपए प्रति शेयर)	**23.06**	14.81

24. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों(एसईबी)का, जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्गठन किया गया है और नए निकायों का गठन किया गया है। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं नए निकायों को अंतरित की गई हैं और अधिकांश मामलों में इस निगम, नए निकायों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

25. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के बीच होने पर उनके मध्य देयताओं को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए + उपचित होने वाले ब्याज वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा।

26. 2006-07 तक आरजीजीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए के खर्च को उसके अनुदान से की गई जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित किर लिया गया है और विद्युत मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया गया है। प्रबंधन मानता है कि यह राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

27. कारपोरेशन के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01 जनवरी, 2007 से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमानों (अनुलब्धियों सहित) के लंबित अंतिम के परिकलन के अनुसार वर्ष के दौरान संशोधित वेतन के बकायों के समक्ष, औसत वेतन के आधार पर 2,026.24 लाख रुपए का अनुमानित प्रावधान (गत वर्ष 463.16 लाख रुपए) किया गया है तथा तदनुसार अकार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए ऐसी कोई अधिसूचना उपलब्ध नहीं है किंतु उन्हें भी ऐसी अधिसूचना के अनुसार बकाया देने के लिए विचार किया गया है, सहित वेतन संशोधन हेतु वेतन के समक्ष 3,306.24 लाख रुपए (गत वर्ष 1,280 लाख रुपए) का संचयी प्रावधान किया गया है। अनुमानित संशोधित वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लाभ का बीमांकित मूल्यांकन कर लिया गया है।

28. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**25759.80**	17173.20
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**25759.80**	17173.20
अंतशेष	-	-
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**21466.50**	25759.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**34561.07**	21466.50
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**21466.50**	25759.80
अंतशेष	**34561.07**	21466.50
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**3648.23**	4377.88
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**10117.19**	6566.81
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**8025.26**	7296.46
अंत शेष	**5740.16**	3648.23

29. निगम ने एएस-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

क. भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2010 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम का सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और निपटान लाभ की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

घ. यात्रा छुट्टी रियायत (एलटीसी)

कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध कराने के लिए निगम की एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

ड. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में **परिभाषित विभिन्न लाभों** की सारांशीकृत स्थिति और उनके विश्लेषण की स्थिति निम्नानुसार हैः

लाभ तथा हानि खातों में मान्यकृत व्ययः

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)
(क) चालू सेवा लागत	**139.91**	116.14	**57.10**	46.79	**0.78**	0.72
(ख) ब्याज लागत	**198.00**	110.43	**168.36**	128.48	**1.31**	1.07
(ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**(243.67)**	(135.04)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत बीमांकित (लाभ) हानि	**277.02**	(65.04)	**452.80**	385.24	**3.26**	3.26
(ड.) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	948.48	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(च) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत व्यय	**371.26**	974.96	**678.25**	560.51	**5.36**	5.05

बीमांकन आंकड़ों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाने वाला व्यय	:	371.26 लाख रुपए
घटाएंः नए कर्मचारियों के संबंध में उपदान न्यास द्वारा अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान	:	8.17 लाख रुपए
जोड़ेंः अनुमान के आधार पर दिनांक 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के कारण मान्यकृत रकम	:	101.63 लाख रुपए
लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत निवल व्यय	:	**464.72 लाख रुपए**

तुलन-पत्र में मान्यकृत रकम

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)
(क) वर्ष की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3142.92**	2640.04	**2742.05**	2244.78	**19.16**	17.48
(ख) वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2779.83**	1672.62	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ग) अंतर (ख - क)	**(363.09)**	(967.42)	**(2742.05)**	(2244.78)	**(19.16)**	(17.48)
(घ) मान्यकृत निवल परिसंपत्तियां/(देयता)* (उपदान न्यास की)	**(363.09)**	(967.42) *	**(2742.05)**	(2244.78)	**(19.16)**	(17.48)

बीमांकन आंकड़ों के अनुसार तुलन-पत्र में मान्यकृत की जाने वाली देयता	:	363.09 लाख रुपए
जोड़ेंः अनुमान के आधार पर दिनांक 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के कारण मान्यकृत देयता	:	101.63 लाख रुपए
तुलन-पत्र में मान्यकृत कुल देयता	:	**464.72 लाख रुपए**

परिभाषित लाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)
(क) अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2640.04**	1577.53 *	**2244.78**	1835.43	**17.49**	15.29
(ख) ब्याज लागत	**198.00**	110.42	**168.36**	128.48	**1.31**	1.07
(ग) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	948.48	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) चालू सेवा लागत	**139.91**	116.14	**57.10**	46.79	**0.78**	0.72
(ड.) प्रदत्त लाभ	**(105.42)**	(41.29)	**(180.98)**	(151.17)	**(3.68)**	(2.86)
(च) निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	**270.39**	(71.24)	**452.80**	385.24	**3.27**	3.26
(छ) अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ/ दायित्व का वर्तमान मूल्य* (उपदान न्यास का)	**3142.92**	2640.04*	**2742.05**	2244.77	**19.16**	17.48

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)	**(31.03.10)**	(31.03.09)
(क) अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य* (उपदान न्यास का)	**2640.04**	1577.53*	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ख) योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**243.68**	135.03	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	**8.17**	7.54	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) प्रदत्त लाभ	**(105.42)**	(41.29)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ड.) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(6.63)**	(6.19)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(च) अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य* (उपदान न्यास का)	**2779.84**	1672.62*	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान ट्रस्ट में 464.72 लाख रुपए (गत वर्ष 974.69 लाख रुपए), पीआरएमएफ में 497.27 लाख रुपए (गत वर्ष 409.34 लाख रुपए) और ओडीआरबी में 1.67 लाख रुपए (गत वर्ष 2.19 लाख रुपए) की अंशदान देयता का प्रावधान किया।

कर्मचारी के अन्य हितः

वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए 209.69 लाख रुपए (बीमांकित मूल्यन के अनुसार 182.20 लाख रुपए और कर्मचारियों द्वारा 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा छोड़ने के संबंध में 27.49 लाख रुपए) (गत वर्ष 160.09 लाख रुपए) और चिकित्सा अवकाश के लिए 155.44 लाख रुपए (गत वर्ष 583.36 लाख रुपए) की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया।)

'कर्मचारियों के हित' पर लेखांकन मानक-15 (परिशोधित 2005) के अनुसार बीमांकित मूल्यन के आधार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत को शामिल किया गया है। तदनुसार वर्ष के लिए 19.77 लाख रुपए (गत वर्ष 21.22 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि खातों में प्रभारित किया गया।

पीआरएमएफ पर एक प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोतरी/कमी के प्रभावः

(रुपए लाख में)

ब्यौरे	1% (+)	1% (-)
क) सेवा एवं ब्याज लागत	24.71 (गत वर्ष 22.64)	(20.69) (गत वर्ष (19.10))
ख) पीबीओ (समापन)	369.61 (गत वर्ष 174.70)	(309.62) (गत वर्ष (152.05))

बीमांकन संबंधी पूर्व धारणाएं

ब्यौरे	उपदान	पीआरएमएफ	ओडीआरबी
क) प्रयुक्त पद्धति	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख) छूट दर	7.50(गत वर्ष 7.00)	7.50(गत वर्ष 7.00)	7.50(गत वर्ष 7.00)
ग) परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	9.23 (गत वर्ष 8.56)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)
घ) भावी वेतन/लागत वृद्धि	5.50 (गत वर्ष 5.50)	5.50 (गत वर्ष 5.50)	5.50 (गत वर्ष 5.50)

- लेखाकरण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर, प्रतिलाभ की अभिगृहीत दर है।
- प्रमुख पूर्वानुमान छूट तथा संवर्धन दर से संबंधित हैं। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखाकरण तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवर्धन दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

30. (क) भारत सरकार ने आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियां विभिन्न एजेंसियों को संवितरण करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखी जाती हैं। अवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान 880.73 लाख रुपए (गत वर्ष 2,933.95 लाख रुपए) के 154.34 लाख रुपए के टीडीएस सहित (गत वर्ष 658.95 लाख रुपए) के अर्जित किए गए ब्याज को आरजीजीवीवाई के अनुदान लेखे में डाला गया है तथा आरईसी द्वारा ऐसे टीडीएस क्रेडिटों को अंततः सरकारी कोष में डाल दिया गया है।

(ग) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखाकरण नीति 2.1.ख के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर आरजीजीवीवाई स्कीम के संबंध में एजेंसी प्रभारों (अर्थात सेवा कर सहित परियोजना लागत का एक प्रतिशत) की आय मान्यकृत करनी शुरू कर दी है, जबकि पहले इसकी नीति सब्सिडी/ऋण के संवितरण के आधार पर इसे मान्यकृत करने की थी। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के परिणामतः चालू वर्ष के लाभ में 118.36 लाख रुपए (सेवा कर के बाद निवल) की कमी आई है।

31. वर्ष के दौरान निगम ने अपने अधिशेष निधियों का निवेश लिक्विड स्कीम तथा लिक्विड प्लस स्कीम के पब्लिक म्युच्युअल निधियों में किया। वर्ष के दौरान ही उसे विनिवेशित कर दिया गया।

32. कारपोरेशन ने वैकल्पिक बुक बाइंडिंग पद्धति के माध्यम से प्रत्येक दस रुपए मूल्य के 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ)फरवरी, 2010 में जारी किया। इस इश्यू में 12,87,99,000 इक्विटी शेयर के नए शेयर भी शामिल हैं और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। नए इक्विटी शेयर मार्च, 2010 में आबंटित किए गए। तदनुसार इश्यू की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी 85,866 लाख रुपए से बढ़कर 98,745.90 लाख रुपए हो गई है और 249,918.17 लाख रुपए की रकम (इश्यू पर व्यय की निवल रकम 1,955.19 लाख रुपए) को प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में शामिल कर लिया गया है। इक्विटी शेयरों के नए इश्यू की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग दस्तावेज प्रस्ताव में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया।

33. ईआरपी प्रणाली पर खर्च किए गए 912.77 लाख रुपए को 24 अक्तूबर, 2009 से इस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की मियाद 5 वर्ष मानी गई है । इसमें तेज प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखा गया है। इसका अवशिष्ट मूल्य शून्य समझा गया है।

34. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सेग्मेंट रिपोर्टिंग के लिए निगम के कार्यों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा विद्युत उत्पादन ऋण, पारेषण एवं वितरण ऋण और अन्य। निगम के कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं। यह निगम घरेलू भौगोलिक खंडों में ही कार्य करता है। 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में खंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**खंड राजस्व**		
	1. उत्पादन ऋण	2,51,383.31	1,50,698.45
	2. पारेषण और वितरण ऋण	3,43,912.46	2,72,254.16
	3. अन्य	75,464.51	70,175.19
	जोड़	**6,70,760.28**	4,93,127.80
ख.	**खंड परिणाम**		
	1. उत्पादन ऋण	1,13,713.91	49,569.10
	2. पारेषण और वितरण ऋण	1,33,679.24	1,17,796.74
	3. अन्य	32,252.34	36,047.51
	जोड़	**2,79,645.49**	2,03,413.35
ग.	अनाबंटित व्यय	14,726.06	11,402.72
घ.	कर-पूर्व लाभ	**2,64,919.43**	1,92,010.63
ड.	कर के लिए प्रावधान	64,777.85	64,802.87
च.	कर-पश्चात लाभ	**2,00,141.58**	1,27,207.76
छ.	**खंड परिसंपत्तियां**		
	1. उत्पादन ऋण	23,84,757.07	18,59,147.42
	2. पारेषण और वितरण ऋण	36,41,732.67	28,39,523.12
	3. अन्य	7,48,536.22	6,27,398.33
	जोड़	**67,75,025.96**	53,26,068.87
ज.	**खंड देयताएं**		
	1. उत्पादन ऋण	20,38,372.36	15,89,107.23
	2. पारेषण और वितरण ऋण	31,12,772.91	24,27,083.87
	3. अन्य	6,39,811.73	5,36,269.05
	जोड़	**57,90,957.00**	45,52,460.15

35. निगम ने ईआरपी डेटा केंद्र के लिए कार्यालय स्थान ले लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 177.97 लाख रुपए की इस रकम के संबंध में पट्टे की अदायगी अनुसूची 15 में ''प्रशासन व्यय'' शीर्ष के अंदर दर्शाई गई है। इन पट्टा करारों के संबंध में भावी पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगी का परिपक्वता विवरण	ईआरपी के लिए डेटा केंद्र हेतु	स्थान के लिए
एक वर्ष से अनधिक के लिए	39.89	136.67
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से अनधिक के लिए	154.93	601.27
पांच वर्ष से अधिक के लिए	शून्य	376.66
जोड़	**194.82**	1114.60

36. प्रतिरक्षण रणनीति के भाग के रूप में कंपनी ने कुछ मामलों में निश्चित दर पर ब्याज तय किया है, जो घरेलू रुपए में है और जिसमें ब्याज दर की घट-बढ़ को लाभ में लेकर न्यून लागत पर उधार दिया गया है। बकाया उधार का आईएनआर मूल्य 31.03.2010 को 125,000 लाख रुपए कर दिया गया है ।

विदेशी मुद्रा में उधार लेने के संबंध में कंपनी ने क्रास करेंसी स्वैप निष्पादित किया है ताकि विनिमय दर और ब्याज की घटती-बढ़ती दर के जोखिम को पूर्णतः सीमित किया जा सके। 31 मार्च, 2010 को ऐसे क्रॉस करेंसी स्वैप की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

संविदाओं की संख्या	विदेशी मुद्रा में दिनांक 31.03.2010 को बाकी उधार	आईएनआर के समतुल्य
3	जेपीवाई 40,319 मिलियन	165,865 लाख
1	यूरो 64,16 मिलियन	41,772 लाख

भारतीय रुपए में स्वैप किए गए विदेशी मुद्रा ऋण का भाग स्वैप लेन-देन में निर्धारित दर पर बताया गया है और इसे वर्ष के अंत की दर पर परिवर्तित नहीं किया गया है।

37. बांड की श्रृंखला और अन्य प्रतिभूत उधार को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान और भविष्य दोनों में प्राप्त होने वाले प्रभारों के द्वारा सुरक्षित बनाया गया है। यह प्रतिभूत 25 जनवरी, 2008 को संयुक्त आडमान करार पर किया गया है। लेकिन 4,30,509 लाख रुपए की कुछ विशिष्ट प्राप्त किए जा सकने योग्य रकम को करार की शर्तों के अनुसार आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आडमान किया गया है। आईआईएफसीएल से उपलब्ध 87,000 लाख रुपए का पुनः वित्तपोषित ऋण भी इसी करार के अधीन आएगा, जिसमें प्रतिभूतियों की पूलिंग की जाएगी और आईआईएफसीएल को इन ट्रस्टियों के प्राप्त किए जा सकने योग्य प्रभारों पर पारि-पासु प्रभार देने होंगे।

38. 31 मार्च, 2010 को निगम का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 16.05 प्रतिशत है (जो पिछले वर्ष 11.60 प्रतिशत था)।

39. चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऋण भुगतान की फिर से समय तालिका नहीं बनाई गई। पिछले वर्ष में पुनः अनुसूचित ऋण का संचलन इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	खातों की संख्या	31.03.2009 के अनुसार	खातों की संख्या
आरंभिक शेष		9		11
मूलधन	**2,28,029.89**		2,33,649.93	
ब्याज	**1,01,169.91**		1,10,172.55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		0		0
उपचित ब्याज	**30,237.55**		34,630.97	
वर्ष* के दौरान प्राप्त				
मूलधन	**29,681.03**		5,620.05	
ब्याज	**55,150.67**		43,633.61	
अंतशेष		8		9
मूलधन	**1,98,348.86**		2,28,029.88	
ब्याज	**76,256.79**		1,01,169.91	

* इसमें पूर्व प्रदत्त एक मामला भी शामिल है (पिछले वर्ष दो मामले है)।

40. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, वर्तमान आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः दर्ज किया गया है।

41. आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

42. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खातों का एक अभिन्न भाग है और उन्हें विधिवत अधिप्रमाणित किया गया है।

43. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-4 के अनुसार तुलन-पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यापार की प्रोफाइल

1. पंजीकरण ब्यौरे:

पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
तुलन-पत्र तिथि:	31	03	2010
	दिनांक	माह	वर्ष

राशि (लाख रुपए में)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **12,879.90**

3. निधियां जुटाने तथा नियोजन की स्थिति

कुल देयताएं	**6702856.33**	**कुल परिसंपत्तियां**	**6702856.33**
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त पूंजी	98,745.90	आरक्षित तथा अधिशेष	10,09,287.59
प्रतिभूत ऋण	46,24,473.81	अप्रतिभूत ऋण	9,70,349.03
आस्थगित कर देयता	शून्य		
निधियों का उपयोग:			
निवल अचल परिसंपत्तियां (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी सहित)	8,990.92	निवेश	90,985.87
वर्तमान निवल परिसंपत्तियां	(43,118.60)	ऋण	66,45,261.38
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	736.76	विविध व्यय	शून्य
संचित हानियां	शून्य		

4. कंपनी का कार्य-निष्पादन (लाख रुपए में)

कारोबार	670,760.28	कुल व्यय	405,840.85
कर-पूर्व लाभ	264,919.43	कर-पश्चात लाभ	200,141.58
ईपीएस रुपए में	23.06	लाभांश दर	6.50 रु. प्रति शेयर

(10/- रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर पर)

5. कंपनी के प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के जेनरिक नाम

मद कोड सं. लागू नहीं वित्तीय सेवाएं

1 से 17 तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

बी.आर. रघुनंदन	**एच.डी. खुंटेटा**	**पी. उमा शंकर**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

बंसल एंड कंपनी	**कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(डी.एस. रावत)	**(भुवनेश महेश्वरी)**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 83030	सदस्यता संख्या 88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन	फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

31.03.2010 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) लेखांकन परम्परा : वित्तीय विवरण को लेखांकन की उपचित पद्धति पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा आधार पर तैयार किया जाता है और ये भारत में सामान्यतः स्वीकार्य तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप ही है।

(ख) अनुमानों का उपयोग : वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के प्रबंधन के द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया, जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं

2. राजस्व मान्यता

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकसम्मत मानदंडों का निरूपण किया है जो व्यापक रूप से एनबीएफसी हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों पर आधारित हैं। लेखांकन आरईसी के इन विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान किए जाने हेतु इनकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (1) आरईसी की लागत तथा व्यय (2) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (3) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (4) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे ऋणों के संबंध में जहां शर्तों पर पुनः बातचीत/पुनः निर्धारण/पुनः संरचना चल रही हो, आय की पहचान उपचित आधार पर तब की जाती है जब संगत रूप से यह आशा की जाती है कि कर्जदारों से देयों की प्राप्ति में कोई अनिश्चितता नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जा चुका है तथा तदनुरूपी समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक पुनर्विचार-विमर्श अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनर्संरचना शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यकृत किया जाता है।

ग. **निवेशों से आय**

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड के यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा;

परंतु कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय को उपचित आधार पर तब हिसाब में लिया जाएगा जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में इसे घोषित किया गया हो और यह सुनिश्चित हो गया हो कि आरईसी को इसकी अदायगी प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखतों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित है और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता है और बकाया नहीं है।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः-

(i) **मानक परिसंपत्तियां :** 'मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है ऐसी परिसंपत्तियां जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की अदायगी और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली हों या जिन्हें नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार समझी गई मानक परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया हो;

और

'समझी गई मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है:

एक ऐसी सुविधा जो आरईसी को अदा नहीं की गई देयताओं पर अदायगी करने के लिए केंद्रीय योजना आबंटन से कटौती करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों के अनुरूप राज्य यूटिलिटी को दी गई हो।

(ii) **उप-मानक परिसंपत्तियां:** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो अठारह महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों;

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां, जिनके संबंध में ब्याज और या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः अनुसूचित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो बशर्ते कि बातचीत या पुनः अनुसूची या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(ग) ऋण परिसंपत्तियों के मानक ढांचे का पुनः सूचीकरण या पुनर्गठन या पुनः बातचीत को उस स्थिति में पुनः वर्गीकृत नहीं समझा जाएगा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित परियोजना को व्यवहार्य पाया गया हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां :** 'सदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है ऐसी परिसंपत्ति जो 18 माह से अधिक अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि वाली परिसंपत्तियां :** 'हानि वाली परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है-

(क) ऐसी संपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टेखाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो पांच वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

विवेकसम्मत मानदंडों तथा प्रावधान किए जाने के मानदंडों के उपयोग के प्रयोजन हेतु-

i. राज्य/केंद्रीय क्षेत्र के निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को ऋण-वार लिया जाता है।

ii. अन्य निकायों को प्रदान की गई सुविधाओं को कर्जदार-वार लिया जाता है।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:-

(i) **हानि परिसंपत्तियां** - समूची परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाए के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां-**

(क) उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा, जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य का अनुमान एक वास्तविक आधार पर लगाया जाएगा। केंद्रीय योजना आबंटन अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋण में से कटौती के संबंध में केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी अथवा राज्य सरकार के वचन-पत्र से कवर ऋण को प्रतिभूत माना जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद(क) के अतिरिक्त जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में माना गया है	प्रावधान की प्रतिशतता
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां** - 10% का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप- मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उच्चीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

3. अचल परिसंपत्ति

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रो-राटा आधार पर मुहैया कराया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के रूप में 16.12.1993 से पूर्व पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को तब प्रचलित दरों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा प्रभारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो। इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई 5000/- रुपए तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

एक अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को आएंगे। इन परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेशों को लागत घटाएं प्रावधान (म्यूचुअल निधियों, जिनका हिसाब एनएपी पर लगाया जाता है, को छोड़कर), यदि कोई हो, पर ऐसे निवेश के मूल्य में कमी के साथ दिखाया जाता है। वर्तमान निवेश को, लागत अथवा उचित मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुट-पुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाने वाला) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता हो।

8. परिसंपत्तियों को क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो क्षति हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसपंत्ति के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव है कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड के संबंध में ब्याज वारंट के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित ब्याज वारंट बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये नामित लेखे बहियों में प्रदर्शित नहीं होते बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय वर्ष, जिस वर्ष व्यय हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता हैं, परंतु कमर्शियल पेपरों पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जो उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

10.4 आंतरिक उधार संबंधी ब्याज दर में अदला-बदली होने पर लाभ या हानि को निपटान की तारीख के अनुसार ब्याज की लागत के लिए समायोजित किया जाता है।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचयन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्वप्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय / व्यय को इसी वर्ष हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया हो

12.2 प्रत्येक मामले में 5,00,000/- रुपए से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का पता बीमांकित मूल्यांकन पर लगाया जाता है और इसका भुगतान पृथक रूप से किया जाता है।

13.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ को संबंधित सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में गैर-छूट वाली राशि पर एक प्रभार माना जाता है।

13.3 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है जिस पर वास्तविक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन को प्रारंभ में कारोबार की तारीख के दिन विद्यमान विनिमय दर में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण/देयताओं को वर्ष के अंत में विद्यमान विनिमय दर के संदर्भ में परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामत: विनिमय में होने वाले घट-बढ़ को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14.2 भारतीय रुपए में बदले गए विदेशी मुद्रा ऋण के अंश को इस प्रकार के लेनदेन में परिवर्तन के लिए निर्धारित दर पर परिवर्तित किया गया बताया गया है और इसे वर्ष के अंत में प्रचलित दरों में परिवर्तित नहीं किया गया है।

15. सरकार से निधि/ अनुदान

आगे संवितरण करने के लिए प्राप्त अनुदान की असंवितरित निधियों को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी निधियों पर जहां कहीं ब्याज अर्जित किया जाता है, उसे संबंधित अनुदान खाते में अथवा ''अन्य आय'' खाते में, यदि अनुदान की शर्तों में ऐसी अपेक्षा हो, डाला जाता है।

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर-पूर्व निवल लाभ	**2,64,919.43**		1,92,010.63	
निम्नलिखित हेतु समायोजनः				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**-1.67**		-1.03	
2. मूल्यह्रास	**215.50**		136.16	
3. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**-**		105.34	
4. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**22.18**		237.05	
5. अधिक प्रावधान बट्टेखाते में डाला गया	**-107.51**		-0.37	
6. 'रमाल इज ब्यूटीफुल फंड' की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**-67.11**		-11.02	
7. विनिमय दर अंतर में हानि/(लाभ)	**-**		-1,142.17	
8. अनुषंगी कंपनी - आरईसी-पीडीसीएल से लाभांश	**-5.00**		-	
9. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**0.90**		-	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभ :	**2,64,976.72**		1,91,334.59	
बढ़ोतरी/कमीः				
1. ऋण	**-15,07,138.98**		-12,06,730.45	
2. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**-12,090.02**		4,072.99	
3. अन्य ऋण और पेशगियां	**1,73,283.98**		-4,330.83	
4. वर्तमान देयताएं	**-1,22,135.08**		64,032.91	
प्रचालनों से नकदी वाह्य प्रवाह	**-12,03,103.38**		-9,51,620.79	
1. आयकर की अग्रिम अदायगी	**-67,429.97**		-48,109.26	
2. आयकर की वापसी	**2,049.58**			
3. प्रदत्त धनकर	**-32.65**		-2.15	
4. प्रदत्त अनुषंगी लाभ कर	**-**		-132.62	
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**-12,68,520.42**		-9,99,864.82
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	**8.90**		13.40	
2. स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम अदायगी सहित)	**-1,123.36**		-448.74	
3. मध्य प्रदेश सरकार के आठ प्रतिशत पावर बांड II का विमोचन	**9,432.00**		14,148.00	
4. 'रमाल इज ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों का विमोचन	**238.50**		-	
5. 'रमाल इज ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**67.11**		11.02	
6. ईईएसएल के शेयरों में निवेश	**-62.50**		-	
7. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लाभांश	**5.00**		-	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**8,565.65**		13,723.68
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बांड निर्गम	**16,59,115.39**		13,80,733.12	
2. बांडों का विमोचन	**-8,36,162.65**		-5,26,546.00	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण/एसटीएल जुटाना (निवल)	**1,06,037.86**		38,825.00	
4. विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना	**58,269.18**		45,665.12	
5. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (निवल वापसी)	**5,01,976.13**		5,44,621.74	
6. अनुदानों का संवितरण	**-6,00,367.03**		-5,11,410.03	
7. सरकारी ऋणों की चुकौती	**-1,532.64**		-1,718.00	
8. प्रदत्त अंतिम लाभांश	**-21,467.27**		-25,759.80	
9. अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-3,648.36**		-4,377.88	
10. शेयरों का निर्गम	**12,879.90**		-	
11. शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूतियों का प्रीमियम	**2,49,918.17**		-	
12. कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**3,15,000.00**		1,29,500.00	
13. कमर्शियल पेपरों की चुकौती	**-1,99,500.00**		-	
14. प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**-25,759.80**		-17,173.20	
15. अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-4,377.03**		-2,918.58	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतःप्रवाह		**12,10,381.85**		10,49,441.49
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**-49,572.92**		63,300.35
1 अप्रैल, 2009 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**1,88,604.14**		1,25,303.79
31 मार्च, 2010 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**1,39,031.22**		1,88,604.14
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**-49,572.92**		63,300.35

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच. डी खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 मई, 2010

31 मार्च, 2010 के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकसम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के अनुच्छेद 9बीबी, जो आरईसी लिमिटेड पर लागू है, के अनुसार अपेक्षित विवरण)

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्षः		
एनबीएफसी द्वारा उपयोग किए गए ऋण एवं अग्रिम		
उन पर उपचित किंतु अदा नहीं ब्याज सहित		
(क) डिबेंचर्स/बांड		
(i) प्रतिभूत	40,50,630.95	-
(ii) अप्रतिभूत	35,470.04	-
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	2,07,637.15	-
(ग) भारत सरकार से सावधि ऋण	4,941.84	-
(घ) वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण	4,07,000.00	-
(ड.) बैंकों से सावधि ऋण	5,81,142.86	-
(च) बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
(छ) बैंकों से नकद क्रेडिट	63,000.00	-
(ज) कमर्शियल पेपर	2,45,000.00	-
परिसंपत्ति पक्षः		
प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा		
(क) प्रतिभूत	41,67,701.14	
(ख) अप्रतिभूत	24,77,560.24	

सभी पट्टा परिसंपत्तियों, भाड़े पर स्टॉक तथा ऋण एवं अग्रिमों का कर्जदार समूह-वार वर्गीकरण

		प्रावधानों के निवल की राशि	
श्रेणी	**प्रतिभूत**	**अप्रतिभूत**	**जोड़**
1. संबंधित पक्ष			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	1430.12	1,430.12
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अलावा	41,67,701.14	24,77,560.24	66,45,261.38
जोड़	41,67,701.14	24,78,990.36	66,46,691.50

अन्य सूचना

ब्यौरे	**राशि**
(i) **सकल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्ष	
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	1,954.09
(ii) **निवल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्ष	-
(ख) संबंधित पक्षों के अलावा	199.58
(iii) **ऋणों की पूरी वसूली करने में उपार्जित परिसंपत्ति**	-

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

कृते बंसल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

बी.आर.रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच. डी खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी.उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 मई, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त करें कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के अनुसार यथा अपेक्षित तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 (यथासंशोधित) के अनुसार कंपनी पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

   (i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी इस लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

   (ii) हमारी राय में, और जहां तक इन बहियों की जांच से पता चलता है कि कंपनी द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

   (iii) इस रिपोर्ट में, उल्लिखित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण निगम की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;

   (iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं;

   (v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं.2/5/2001-सीएल.वी.के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के उपबंधों को लागू करने की प्रयोज्यता से छूट दी गई है;

   (vi) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दी गई राय, आस्थगित कर देयता के बारे में लेखा संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची-17 की टिप्पणी सं. 21(ख) के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता सृजित न करने वाले इसी प्रकार के अन्य संस्थानों द्वारा अपनाई आने वाली परिपाटी पर भी विचार करने के बाद कंपनी की राय है कि आईसीएआई के लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित लेखा देयता की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित की जाने वाली विशेष आरक्षित निधि के कारण 155.65 करोड़ रुपए की आरक्षित कर देयता का सृजन नहीं किया है और लेखा संबंधी टिप्पणी के टिप्पणी सं. 21(ख) के अनुसार इस खाते में पिछले वर्षों में सृजित 964.57 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता को भी वापिस कर दिया है। वित्त वर्ष 2005-06 तक 638.80 करोड़ रुपए की सामान्य आरक्षित निधि को क्रेडिट करके और वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2008-09 तक 325.77 करोड़ रुपए का लाभ एवं हानि का विनियोजन करके आस्थगित कर देयता की वापसी की गई है। यदि कंपनी ने पिछले वर्षों की भाँति आस्थगित कर देयता के सृजन के बारे में इसी प्रकार की लेखाकरण नीति अपनाई होती तो दिनांक 31.3.2010 को समाप्त वर्षों में कर पश्चात लाभ 1845.77 करोड़ रुपए हुआ होता जबकि रिपोर्ट में 2001.42 करोड़ रुपए के लाभ का उल्लेख किया गया है और आरक्षित एवं अधिशेष 8,972.66 करोड़ रुपए होता। जबकि दिनांक 31.3.2010 को रिपोर्ट में 10,092.88 करोड़ रुपए का आरक्षित और अधिशेष का उल्लेख किया गया है। इसके साथ अन्य टिप्पणियों और उन पर लेखाकरण नीतियों में कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना दी है और सही तथा निष्पक्ष विचार व्यक्त किए हैं, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

   (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप।

   (ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; तथा

   (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001113एन

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता सं.83030

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.006591एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं.88155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकर : 19.05.2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के खातों पर उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विवरण)

(i) (क) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का अभिलेख रखा है, जिसमें अचल संपत्तियों की मात्रा का विवरण और अवस्थिति सहित पूरे ब्योरे दर्शाये जाते हैं।

(ख) कंपनी के पास अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक चरणबद्ध कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए युक्तिसंगत है। इस कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा सारभूत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। ऐसे सत्यापन पर पाई गई विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से कार्रवाई की गई।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इस वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा निपटान नहीं किया गया। अतः चालू प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है।

(iii) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्षकारों को जमानती या गैर-जमानती ऋण प्रदान नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के बाद खंड 4(iii)(क), खंड 4(iii)(ख), खंड 4(iii)(ग) और खंड 4(iii)(घ) लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं लिया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत खोले गए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तदनुसार, इस आदेश के खंड 4(iii)(ड.) 4(iii)(च) तथा 4(iii)(छ) कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आंतरिक नियंत्रण सामान्यतः कंपनी के आकार और क्रियाकलाप के अनुरूप हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने की आवयकता है, ये क्षेत्र हैं:- ऋण लेखाकरण, कुछ मामलों में संबद्ध नीति के रेटिंग के साथ ऋण कीमत का मेल न खाना, विधिक मैनुअल तैयार करने सहित ऋण दस्तावेजों की स्थिति के बारे में नियंत्रण रिकार्ड, विभिन्न स्कीमों के अधीन प्राप्त होने वाले अनुदानों/सब्सिडी की प्राप्ति, संवितरण और उपयोग, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/उत्पादन कंपनियों के दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण, जिसमें दिए गए ऋणों के अनुसार सृजित प्रभारों की खोज (सर्च) रिपोर्टें प्राप्त करना भी शामिल है। लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कोई बड़ी असफलता हमें नहीं मिली।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई कारोबार संबंधी लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का यह खंड लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए के उपबंध अथवा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली के संबंधित उपबंध लागू होते हों।

(vii) निगम का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखा वर्ष के भाग के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। हमारी राय है कि आंतरिक लेखापरीक्षा को और सुदृढ़ बनाए जाने और ऋण विभाग द्वारा बार-बार लेखापरीक्षा किए जाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है।

(viii) हमारे ज्ञान तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के उत्पाद/सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ix) (क) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा रक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, सेवा कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सेवा कर तथा धन कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31.03.2010 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, धन कर, सेवा कर एवं उपकर से संबंधित ऐसी कोई भी राशि नहीं थी, जिसे विवाद के कारण जमा न करवाया गया हो।

(x) कंपनी को 31 मार्च, 2010 तक कोई संचयी हानि नहीं हुई है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश का खंड लागू नहीं होता है।

(xi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने तुलन-पत्र की तारीख तक किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांडधारकों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।

(xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, पारेषण, वितरण तथा उत्पादन कंपनियों, जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादक शामिल हैं, को शेयर अथवा अन्य किसी प्रतिभूति को रेहन रखकर संपार्श्विक प्रतिभूति सहित प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अनुरक्षण किया है।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी चिट फंड या निधि या म्युच्युअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। अतः यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन-देन या व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतः यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xvi) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया, उसी के लिए इसका उपयोग किया गया।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में शामिल की जाने वाली कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान किसी तरह के अधिमानी शेयर आबंटित नहीं किए हैं।

(xix) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी ने प्रत्येक 10 लाख रुपए के 1,35,295 संस्थागत बांड तथा प्रत्येक 10,000/- रुपए के 30,57,776 पूंजीगत लाभ कर छूट बांड जारी किए थे। कंपनी ने संस्थागत तथा पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के संबंध में प्रतिभूति को वर्तमान परिसंपत्तियों (बही ऋण) पर प्रभार और मुंबई तथा दिल्ली में कंपनी की अचल परिसपंत्तियों को कानूनी रूप से बंधक रखा गया है। परंतु 91 से 93 श्रृंखला के 43,934 संस्थागत बांड जारी किए हैं, जिनके संबंध में प्रभार पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान लगभग 195/- रुपए के प्रीमियम पर प्रत्येक 10/- रुपए के 12,87,99,000 के नए इक्विटी शेयर जारी करके धनराशि जुटाई है। प्रबंधन ने खाताबहियों में दर्ज इस राशि के पूरे उपयोग का उल्लेख किया है।

(xxi) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा की परिपाटी के अनुसार की गई लेखा बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें वर्ष के दौरान कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा की गई कपट की कोई घटना न तो हमारे ध्यान में आई है और न ही हमें उसकी कोई सूचना मिली है। प्रबंधक वर्ग द्वारा भी ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित नहीं किया गया है।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001113एन

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता सं.83030

कृते के.जी. सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.006591एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं.88155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकर : 19.05.2010

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
स्कोप कांप्लेक्स, कोर-IV,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय,

पैरा 3 में उल्लिखित विषयों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेशक, 1998 और कारपोरेशन को लागू सीमा तक उक्त निदेशों के पैरा 4 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए में किए गए प्रावधान के अनुसार कारपोरेशन ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और 10.2.1998 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है जिसकी पंजीकरण संख्या 14000011 है।

(2) अधिसूचना सं.134 से 140 दिनांक 13.1.2000 द्वारा एनबीएफसी विनियमों के संशोधनों के अनुसार, सरकारी कंपनियों को तरल आस्तियों के रखरखाव और आरक्षित निधि के सृजन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा पब्लिक निक्षेप और विवेकपूर्ण संनियमों की स्वीकृति संबंधी निदेशों के लागू होने से छूट दी गई है। गैर-बैंकिंग(गैर-निक्षेप स्वीकारक या होल्डिंग) कंपनी विवेकपूर्ण संनियम (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की छूट भी आरबीआई परिपत्र सं.145 दिनांक 1 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

(3) कारपोरेशन ने वर्ष 2009-10 के दौरान कोई पब्लिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

(4) 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, कारपोरेशन ने लेखा मानकों, आय मान्यता, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता तथा प्रकटन संनियमों का अनुपालन किया है जो कंपनी द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण संनियमों के अनुसार हैं और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में निर्दिष्ट/उल्लिखित किए गए हैं।

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.001113एन

कृते के.जी.सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.006591एन

दिनांक : 10 जून, 2010
स्थान : नई दिल्ली

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के सनदी लेखाकार संस्थान नामक व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। बताया गया कि दिनांक 19 मई, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंधित कागजपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कार्मिकों से पूछताछ तथा तदनुसार कुछ चुने हुए लेखाकरण रिकार्ड की जांच तक ही मुख्य रूप से सीमित रही है। लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में नहीं आई है, जिसके आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दे सकूं या पूरक लेखापरीक्षा कर सकूं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(नैना ए.कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.07.2010

अनुबंध - IV

सहायक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1)(ड़) के अनुसरण में विवरण

क्रम सं.	सहायक कंपनी का नाम	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड #	तलचर-II ट्रंसमिशन कंपनी लिमिटेड #	रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड #
1.	सहायक कंपनी के वित्त वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010	31.03.2010
2.	तारीख जब वे सहायक कंपनी बनी थीं	08.01.2007	12.07.2007	23.04.2007	01.05.2007	19.11.2009
3.	दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के शेयर					
	क) सं. और अंकित मूल्य	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर	प्रत्येक 10 रुपए के 50000 इक्विटी शेयर
	ख) शेयरधारण की सीमा	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
4.	जहां तक नियंत्री कंपनी के सदस्यों का संबंध है, सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) की निवल कुल रकम					
	क) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई नहीं की गई:-					
	(i) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	198,010,352रुपए	10,365,029 रुपए	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया	कंपनी द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	शून्य	32,003,084 रुपए	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) जिन पर नियंत्री कंपनी के लेखों में कार्रवाई की गई:					
	(i) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनियां बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

 # टिप्पणी 1: नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, तालचेर-2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और रायचूर शोलापुर कंपनियों के 100 प्रतिशत शेयर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित हैं, जो इस कंपनी की सीधे सहायक कंपनी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) (ग) के प्रावधानों के अनुसरण में ये कंपनियां भी 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन की भी सहायक कंपनियां हैं।

टिप्पणी 2: आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के मामले में, नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और तालचेर-2 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के अंतरण के लिए सफल बोलीदाताओं के चयन की प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई है।

बी.आर. रघुनंदन	एच.डी. खुंटेटा	पी. उमा शंकर
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समेकित

31 मार्च, 2010 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
निधियों के स्त्रोत			
शेयरधारकों की निधियां:			
पूंजी	1	**98,745.90**	85,866.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	**10,11,679.67**	5,33,456.18
		11,10,425.57	6,19,322.18
ऋण निधियां:			
प्रतिभूत ऋण	3	**46,24,473.81**	37,61,365.25
अप्रतिभूत ऋण	4	**9,70,349.03**	7,32,230.45
		55,94,822.84	44,93,595.70
आस्थगित कर देयता (-) परिसंपत्तियां	8	**-735.99**	95,668.55
जोड़		**67,04,512.42**	52,08,586.43
निधियों का उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां:	5		
सकल ब्लॉक्		**8,367.32**	7,121.48
घटाएं - मूल्यह्रास		**1,631.26**	1,448.53
निवल ब्लॉक		**6,736.06**	5,672.95
चालू पूंजीगत कार्य		**2,733.20**	2,652.75
निवेश	6	**90,975.87**	1,00,476.36
ऋण	7	**66,45,261.38**	51,38,144.58
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम:	9		
नकदी तथा बैंक शेष		**1,39,422.80**	1,88,827.09
विविध देनदार		**4,467.49**	110.71
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		**57,934.55**	45,845.95
ऋण तथा अग्रिम		**10,047.20**	5,522.32
		2,11,872.04	2,40,306.07
घटाएं वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान:	10		
देनदारियां		**1,97,848.63**	2,44,762.83
प्रावधान		**55,219.19**	33,904.86
		2,53,067.82	2,78,667.69
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		**-41,195.78**	-38,361.62
बट्टे खाते में न डालने की सीमा तक फुटकर व्यय		**1.69**	1.41
जोड़		**67,04,512.42**	52,08,586.43

खातों पर टिप्पणियां
अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खाते का एक अभिन्न भाग हैं। 17

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

कृते के.जी. सोमानी
सनदी लेखाकार

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म पंजीकरण सं. 006591एन

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म पंजीकरण सं. 001113एन

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

समेकित

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए में)

	अनुसूची संख्या	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
आय:			
प्रचालन आय (निवल)	11	**6,54,975.79**	4,75,717.01
अन्य आय	12	**19,786.71**	17,937.88
जोड़		**6,74,762.50**	4,93,654.89
व्यय			
ब्याज तथा अन्य प्रभार	13	**3,89,607.06**	2,88,734.95
स्थापना व्यय	14	**12,205.38**	8,909.75
प्रशासन व्यय	15	**3,115.60**	2,353.83
बांड/ऋण लिखत निर्गम व्यय	16	**1,507.73**	979.50
अशोध्य तथ संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		**22.18**	237.05
निवेशों में ह्रास हेतु प्रावधान		**-**	105.34
मूल्यह्रास		**217.76**	137.07
जोड़		**4,06,675.71**	3,01,457.49
पूर्वावधि मदों से पूर्व वर्ष हेतु लाभ		**2,68,086.79**	1,92,197.40
पूर्वावधि समायोजन - व्यय/(आय) (निवल)		**10.60**	-38.73
कर-पूर्व लाभ		**2,68,076.19**	1,92,236.13
कर हेतु प्रावधान			
कर - चालू वर्ष		**70,630.93**	50,768.00
- पिछला वर्ष		**2.83**	2.15
- पूर्वावधि समायोजन		**-4,835.11**	-
- आस्थगित कर - चालू वर्ष		**52.20**	13,960.73
अनुषंगी लाभ कर		**-**	152.70
जोड़		**65,850.85**	64,883.58
कर-पश्चात तथा विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**2,02,225.34**	1,27,352.55
जोड़ें: आस्थगित कर देयता रिवर्सल - गत वर्ष		**32,576.87**	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध रकम		**2,34,802.21**	1,27,352.55
विनियोजन:			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित को अंतरित		**45,803.00**	34,000.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित		**10,760.00**	8,000.00
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		**25,759.80**	17,173.20
कारपोरेट लाभांश कर			
- अंतरिम लाभ		**4,377.03**	2,918.58
प्रस्तावित लाभांश		**34,566.07**	21,471.50
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**5,741.01**	3,649.08
सामान्य आरक्षित को अंतरित		**50,075.00**	25,600.00
तुलन-पत्र में ले जाया गया अधिशेष		**57,720.30**	14,540.19
जोड़		**2,34,802.21**	1,27,352.55
प्रत्येक 10/- रुपए के प्रति शेयर पर आधारभूत तथा कम की गई अर्जन राशि रुपए में (खाते पर टिप्पणी देखें (अनुसूची-17))		**23.30**	14.83

अनुसूची 1 से 17 और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां खाते का एक अभिन्न भाग हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

कृते के.जी. सोमानी
सनदी लेखाकार

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म पंजीकरण सं. 006591एन

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म पंजीकरण सं. 001113एन

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

समेकित

अनुसूची '1' शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
प्राधिकृत		
10 रूपये प्रत्येक 1200,000,000 (पिछले वर्ष 1200,000,000) के इक्विटी शेयर	**1,20,000.00**	1,20,000.00
निर्गत, अंशदत्त तथा प्रदत्त		
10 रूपये प्रत्येक के 858,660,000 (पिछले वर्ष 858660000) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,745.90**	85,866.00
जोड़	**98,745.90**	85,866.00

अनुसूची '2' आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपए में)

	01.04.2009 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2010 को अंत शेष
(क) पूंजीगत आरक्षित				
(i) पूंजीगत आरक्षित(यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
(ii) प्रतिभूति प्रीमियम*	72,216.48	2,51,940.52	1,955.19	**3,22,201.81**
उप-जोड़ (क)	82,716.48	2,51,940.52	1,955.19	**3,32,701.81**
(ख) अन्य आरक्षित				
(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित	2,83,779.77	45,803.00	-	**3,29,582.77**
(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(7ए) के अंतर्गत अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु आरक्षित	34,369.13	10760.00	-	**45,129.13**
(iii) सामान्य आरक्षित**	1,04,987.38			**1,04,987.38**
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
- लाभ और हानि खाते से अंतरित		50,075.00		**50,075.00**
- आस्थगित कर देयता की वापसी		63,879.87		**63,879.87**
	1,04,987.38	1,13,954.87	-	**2,18,942.25**
(iv) लाभ और हानि खाता**	27,603.42	57,720.29	-	**85,323.71**
उप-जोड़ (ख)	4,50,739.70	2,28,238.16	-	**6,78,977.86**
जोड़ (क+ख)	5,33,456.18	4,80,178.68	1955.19	**10,11,679.67**

* परिवर्धनों में कर-पश्चात लाभ से अंतरित रकम और शेयर प्रीमियम की वह रकम शामिल है, जो पिछले वर्ष में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में देयता के अतिरिक्त प्रावधान के संबंध में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम की पुनरांकित की निवल रकम पर प्राप्त हुई है। घटाने/समायोजन में वह रकम शामिल है, जो शेयरों के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को जारी करने से आरईसी के निर्गम शेयर से संबंधित व्यय है।

** लाभ एवं हानि लेखे में 32,576.87 लाख रुपए और आस्थगित कर देयता की वापसी के कारण सामान्य आरक्षित 63,879.87 लाख रुपए की रकम शामिल है, जो लेखा संबंधी टिप्पणियों की अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 21(ख) में बताए गए अनुसार विशेष आरक्षित निधि के रूप में सृजित की गई है।

समेकित

अनुसूची '3' प्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
बैंक/संस्थानों से सावधि ऋण (प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**1,66,842.86**	2,05,325.00
भारतीय जीवन बीमा से ऋण (प्राप्य के प्रति प्रतिभूत)	**3,20,000.00**	3,35,000.00
आईआईएफसीएल से ऋण (उपलब्ध पुनः वित्त की सुविधा को समरूप आधार पर वर्तमान और भावी प्रतिभूति की पूलिंग के अनुसार रक्षित किया गया।	**87,000.00**	-
बांड के द्वारा ऋण (संचयी तथा गैर-संचयी)		
(प्राप्य के प्रति प्रभार द्वारा प्रतिभूत तथा/महाराष्ट्र और दिल्ली में अचल संपत्ति जोकि प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तों और संबंधित न्यासियों की संतुष्टि के अनुसार है)		
क) दीर्घावधि		
I. करमुक्त प्रतिभूत बांड		
41वीं श्रृंखला - 22.02.2010 को सममूल्य पर 8.25% विमोच्य	-	7,500.00
53वीं श्रृंखला - 23.03.2011 को सममूल्य पर 7.10% विमोच्य	**5,000.00**	5,000.00
II. करयोग्य प्रतिभूत बांड		
64वीं श्रृंखला - 27.09.2009 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	-	15,000.00
66वीं श्रृंखला - 31.01.2010 को सममूल्य पर 6.00% विमोच्य	-	13,900.00
69वीं श्रृंखला - 23.01.2014 को सममूल्य पर 6.05% विमोच्य	**53,536.00**	66,920.00
72वीं श्रृंखला - 18.08.2011 को सममूल्य पर 6.60% विमोच्य	**11,370.00**	38,570.00
73वीं श्रृंखला - 08.10.2014 को सममूल्य पर 6.90% विमोच्य	**23,390.00**	23,390.00
75वीं श्रृंखला - 17.03.2015 को सममूल्य पर 7.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
77वीं श्रृंखला - 30.06.2015 को सममूल्य पर 7.30% विमोच्य	**98,550.00**	98,550.00
78वीं श्रृंखला - 31.01.2016 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**1,79,570.00**	1,79,570.00
79वीं श्रृंखला - 14.03.2016 को सममूल्य पर 7.85% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
80वीं श्रृंखला - 20.03.2016 को सममूल्य पर 8.20% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
81वीं श्रृंखला - 20.01.2017 को सममूल्य पर 8.85% विमोच्य	**31,480.00**	31,480.00
82वीं श्रृंखला - 28.09.2017 को सममूल्य पर 9.85% विमोच्य	**88,310.00**	88,310.00
83वीं श्रृंखला - 28.02.2018 को सममूल्य पर 9.07% विमोच्य	**68,520.00**	68,520.00
84वीं श्रृंखला - 04.04.2013 को सममूल्य पर 9.45% विमोच्य	**1,00,000.00**	1,00,000.00
85वीं श्रृंखला - 13.06.2018 को सममूल्य पर 9.68% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
86वीं श्रृंखला - 24.07.2013 को सममूल्य पर 10.75% विमोच्य	**72,790.00**	72,790.00
86-ए श्रृंखला - 29.07.2018 को सममूल्य पर 10.70% विमोच्य	**50,000.00**	50,000.00
86बी-I श्रृंखला - 14.08.2011 को सममूल्य पर 10.95% विमोच्य	**92,420.00**	92,420.00
86बी-II श्रृंखला - 14.08.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**35,410.00**	35,410.00
86बी-III श्रृंखला - 14.08.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**43,200.00**	43,200.00
87-I श्रृंखला - 30.09.2013 को सममूल्य पर 10.90% विमोच्य	**37,020.00**	37,020.00
87-II श्रृंखला - 30.09.2018 को सममूल्य पर 10.85% विमोच्य	**65,740.00**	65,740.00
87ए-I श्रृंखला - 24.10.2013 को सममूल्य पर 11.35% विमोच्य	**24,970.00**	24,970.00
87ए-II श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.20% विमोच्य	**3,640.00**	3,640.00
87ए-III श्रृंखला - 24.10.2018 को सममूल्य पर 11.15% विमोच्य	**6,180.00**	6,180.00
87बी श्रृंखला - 03.11.2011 को सममूल्य पर 11.75% विमोच्य	**94,090.00**	94,090.00
87सी-I श्रृंखला - 26.05.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**22,910.00**	22,910.00
87सी-II श्रृंखला - 26.11.2010 को सममूल्य पर 11.45% विमोच्य	**59,150.00**	59,150.00

समेकित

87सी-III श्रृंखला - 26.11.2013 को सममूल्य पर 11.50% विमोच्य	**86,000.00**	86,000.00
88वीं श्रृंखला - 15.01.2019 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**1,49,500.00**	1,49,500.00
89-I श्रृंखला - 02.06.2012 को सममूल्य पर 7.00% विमोच्य	**67,150.00**	-
89-II श्रृंखला - 02.06.2014 को सममूल्य पर 7.70% विमोच्य	**25,500.00**	-
90वीं श्रृंखला - 03.08.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**2,00,000.00**	-
90वीं क-I श्रृंखला - 05.08.2012 को सममूल्य पर 7.15% विमोच्य	**1,00,000.00**	-
90वीं क-II श्रृंखला - 05.08.2014 को सममूल्य पर 8.00% विमोच्य	**1,00,000.00**	-
90वीं ख-I श्रृंखला - 04.09.2014 को सममूल्य पर 8.35% विमोच्य	**88,390.00**	-
90वीं ख-II श्रृंखला - 04.09.2019 को सममूल्य पर 8.72% विमोच्य	**86,820.00**	-
90वीं ग-I श्रृंखला - 06.10.2012 को सममूल्य पर 7.90% विमोच्य	**1,41,750.00**	-
90वीं ग-II श्रृंखला - 06.10.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**1,04,000.00**	-
91वीं -I श्रृंखला - 17.11.2012 को सममूल्य पर 7.75% विमोच्य	**94,300.00**	-
91वीं -II श्रृंखला - 17.11.2019 को सममूल्य पर 8.80% विमोच्य	**99,590.00**	-
92वीं -I श्रृंखला - 22.01.2013 को सममूल्य पर 7.60% विमोच्य	**92,460.00**	-
92वीं -II श्रृंखला - 22.01.2020 को सममूल्य पर 8.65% विमोच्य	**94,530.00**	-
93वीं -I श्रृंखला - 19.02.2013 को सममूल्य पर 7.65% विमोच्य	**14,150.00**	-
93वीं -II श्रृंखला - 19.02.2015 को सममूल्य पर 8.45% विमोच्य	**44,310.00**	-
पूंजीगत लाभ बांड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I	-	1,552.60
श्रृंखला-II	-	1,639.40
श्रृंखला-III	-	6,502.30
श्रृंखला-IV	**131.80**	20,638.20
श्रृंखला-V	**42,481.60**	81,013.50
श्रृंखला-VI	**53,628.50**	4,49,421.30
श्रृंखला-VIए	-	2,85,867.00
श्रृंखला-VII	**3,40,274.40**	3,40,274.40
श्रृंखला-VIII	**2,52,523.30**	2,52,523.30
श्रृंखला-VIII (2009-10)	**3,05,777.60**	
इंफ्रॉस्ट्रक्चर बांड (सममूल्य पर विमोच्य)		
श्रृंखला-I तथा II	-	924.70
श्रृंखला-III	-	533.55
श्रृंखला-IV	-	420.00
पूंजीगत लाभ बांड पर उपचित और देय ब्याज	**117.75**	-
प्रतिभूत ऋण का जोड़	**46,24,473.81**	37,61,365.25
अगले एक वर्ष के अंतर्गत पुनर्भुगतान/विमोचन हेतु देय	**6,40,702.59**	9,90,348.69

अनुसूची सं.-3 की टिप्पणियां:-

क) 46,24,473.81 लाख रूपये के प्रतिभूत ऋण में निम्न शामिल हैं:-

4,39,340 लाख रूपये की राशि के श्रृंखला 91 से 93 के करयोग्य प्रतिभूत बॉण्ड, जिनके संबंध में प्रभारों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) (1) बांडों की 64वीं श्रृंखला को 27 सितंबर, 2009 को विमोचित किया गया।

(2) बांडों की 66वीं श्रृंखला को 31 जनवरी, 2010 को विमोचित किया गया।

(3) बांडों की 41वीं श्रृंखला को 22 फरवरी, 2010 को विमोचित किया गया।

(4) बांडों की 64वीं, 66वीं और 41वीं श्रृंखला के चार्ज हटाने की प्रक्रिया जारी।

(5) बांडों की 69वीं श्रृंखला (20 प्रतिशत पहली किस्त) को 23 जनवरी, 2010 को विमोचित किया गया।

(6) बांडों की 87क-2 की श्रृंखला को पांचवें वर्ष के अंत में, अर्थात 24.10.2013 के पुट/कॉल आप्शन मौजूद हैं। बांडों की 72वीं श्रृंखला के 272 करोड़ रुपए को बॉण्डधारियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर दिनांक 18.08.2009 को विमोचित कर दिया गया और शेष 11,370 लाख रुपए की राशि दिनांक 18.08.2011 को विमोचित की जाएगी।

समेकित

(ग) 69वीं, 73वीं और 77वीं श्रृंखलाएं क्रमशः 6वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें वर्ष में सममूल्य पर पांच समान किस्तों में विमोच्य हैं (69वें श्रृंखला के बांडों की पहली किस्त का 20% - 133.84 करोड़ रुपए दिनांक 23 जनवरी, 2010 को विमोचित कर दिए गए हैं।

(घ) 75वीं श्रृंखला के बांड 5½ वर्षों से 10 वर्षों तक एसटीआरआरपी के द्वारा 10 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में विमोच्य होंगे।

(ड.) 78वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, 82वीं 83वीं, 85वीं, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-II, 87ए-III, 88वीं, 90वीं, 90बी-II, 90सी-II, 91-II, तथा 92-II श्रृंखला 10 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 31.01.2016, 14.03.2016, 20.03.2016, 20.01.2017, 28.09.2017, 28.02.2018, 13.06.2018, 29.07.2018, 14.08.2018, 30.09.2018, 24.10.2018, 15.01.2019, 03.08.2019, 04.09.2019, 06.10.2019, 17.11.2019 तथा 22.01.2020 को सममूल्य पर विमोच्य हैं।

(च) 84वीं, 86वीं, 86बी-II, 87-I, 87-ए, 87सी-III, 89 -II, 90ए-II, 90बी-I तथा 93-II श्रृंखला 5 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः04.04.2013, 24.07.2013, 14.08.2013, 30.09.2013, 24.10.2013, 26.11.2013, 02.06.2014, 05.08.2014, 04.09.2014 और 19.02.2015 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(छ) 86बी-1, 87बी, 89-1, 90ए-1, 90सी-1, 91-1, 92-1 एवं 93-1 श्रृंखला 3 वर्षों की समाप्ति पर क्रमशः 14.08.2011, 03.11.2011, 02.06.2012, 05.08.2012, 06.10.2012, 17.11.2012, 22.01.2013, एवं 19.02.2013 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ज) 87ए-I श्रृंखला के बांडों में 3 वर्षों की समाप्ति पर अर्थात 24.10.2011 को पुट/कॉल के विकल्प हैं।

(झ) 87सी-I श्रृंखला 18 महीनों की समाप्ति पर अर्थात 26.05.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ञ) 87सी-II श्रृंखला 24 महीनों की समाप्ति पर अर्थात् 26.11.2010 को सममूल्य पर विमोच्य है।

(ट) पूंजीगत लाभ कर छूट बांड को 3/5/7 वर्षों की अवधि हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रूप से देय 5.15% से 8.70% की दर पर तथा संचित विकल्पों के साथ जारी किया जाता है। इन बांडों में 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल का विकल्प होता है। वर्तमान वर्ष (09-10) में जारी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड श्रृंखला 8 (2009-10) की अवधि 3 वर्ष है जो 6.25% की वार्षिक दर से देय है। इंफ्रॉस्ट्रक्चर बांड 6.00% से 9.00% की वार्षिक दर पर देय विभिन्न ब्याज दरों पर 3 से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी किए गए हैं। इन बांडों में आबंटन की तिथि से 3/5 वर्ष की समाप्ति पर पुट विकल्प होता है।

अनुसूची '4' अप्रतिभूत ऋण

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
भारत सरकार से ऋण	**4,941.84**	6,474.48
सावधि ऋण		
(क) बैंकों से दीर्घावधि ऋण	**4,14,300.00**	2,74,780.00
(ख) बैंकों से अल्पावधि ऋण	**-**	1,30,000.00
नकद ऋण सीमाएं	**63,000.00**	-
विदेशी मुद्रा ऋण		
(क) दीर्घावधि		
ईसीबी-सिंडिकेट किया गया बैंकों से ऋण	**87,026.32**	87,026.32
जेबीआईसी ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**78,839.17**	43,941.29
केएफडब्ल्यू ऋण-भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत	**41,771.66**	18,400.36
कमर्शियल पेपर	**2,45,000.00**	1,29,500.00
बांडों के द्वारा ऋण		
दीर्घावधि		
(क) गैर-संचयी, भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत		
21वीं श्रृंखला - 29.12.2009 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**-**	6,908.00
22वीं श्रृंखला - 27.12.2010 को सममूल्य पर 11.5% विमोच्य	**4,900.00**	4,900.00
23वीं श्रृंखला-I - 05.12.2011 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**2,265.00**	2,265.00
23वीं श्रृंखला-II - 21.02.2012 को सममूल्य पर 12% विमोच्य	**3,035.00**	3,035.00
(ख) अन्य बांड		
74वीं श्रृंखला - 31.12.2014 को सममूल्य पर 7.22% विमोच्य	**25,000.00**	25,000.00
उपचित और देय ब्याज	**270.04**	-
कुल अप्रतिभूत ऋण	**9,70,349.03**	7,32,230.45
अगले एक वर्ष के अंतर्गत चुकौती/विमोचन हेतु देय	**3,60,828.16**	**3,25,388.00**

टिप्पणीः- रूपये 2.00 लाख के बांड 31.3.2010 को आरईसी लिमिटेड सीपी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

समेकित

अनुसूची '5' 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियाँ

(लाख रुपए में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक				निवल ब्लॉक	
	01.04.2009 के अनुसार	इस अवधि में परिवर्धन	इस अवधि में बिक्री/समायोजन	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 तक	इस अवधि के दौरान मूल्यह्रास	इस अवधि के दौरान मूल्यह्रास/समायोजन	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
फ्रीहोल्ड भूमि	3,188.87	223.07	-	3,411.94	-	-	-	-	3,411.94	3,188.87
पट्टे पर भूमि	145.51	-	-	145.51	14.19	1.41	-	15.60	129.91	131.32
भवन	2,216.12	9.58	-	2,225.70	498.24	34.74	-	532.98	1,692.72	1,717.88
फर्नीचर एवं जुड़नार	565.94	18.77	1.60	583.11	283.74	32.29	1.17	314.86	268.25	282.20
ईडीपी उपस्कर	528.76	553.16	2.05	1,079.87	350.55	79.81	2.05	428.31	651.56	178.21
कार्यालय उपस्कर	341.37	41.62	4.90	378.09	194.32	15.58	1.47	208.43	169.66	147.05
वाहन	107.00	0.43	33.92	73.51	82.14	4.09	30.34	55.89	17.62	24.86
कम मूल्य की परिसंपत्तियां-फर्नीचर	9.11	3.09	-	12.20	9.11	3.09	-	12.20	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां- ईडीपी	1.37	5.19	-	6.56	1.37	5.19	-	6.56	-	-
कम मूल्य की परिसंपत्तियां- कार्यालय उपस्कर	12.24	5.03	-	17.27	12.24	5.03	-	17.27	-	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)	5.19	428.37	-	433.56	2.63	36.53	-	39.16	394.40	2.56
कुल जोड़	7,121.48	1,288.31	42.47	8,367.32	1,448.53	217.76	35.03	1,631.26	6,736.06	5,672.95
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी (पूंजीगत अग्रिम सहित)	2,652.75	1,047.68	967.23	2,733.20	-	-	-	-	2,733.20	2,652.75

टिप्पणी: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में बाहर से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और ये एएस-26 के अनुसार हैं। इसका भुगतान पांच वर्षों में किया गया है

- पूंजीगत डब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से वह भूमि शामिल है। जिसका कब्जा अधिकारियों और अन्य विविध निर्माण कर्ताओं से लिया जाता है।

समेकित

अनुसूची '6' निवेश

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
दीर्घावधि (अनुद्धृत)		
गैर-व्यापार निवेश		
मध्य प्रदेश सरकार के 8% के पावर बांड-II जो 1.4.05 से 30 समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में परिपक्व होंगे। (4716 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 21 बांड) (पिछले वर्ष 4716 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 24 बांड)	**89,604.00**	99,036.00
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड रूपये 9.09 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,44,70,381 यूनिटें	**1,184.37**	1,315.36
(पिछले वर्ष रूपये 9.818 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' फंड की 1,44,70,381 यूनिटें) (अंकित मूल्य प्रति यूनिट 10 रूपये है)		
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड में निवेश 10/- रूपये प्रत्येक के 12,50,000 इक्विटी शेयर	**125.00**	125.00
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लि. में निवेश 10/- रूपये प्रत्येक के 625000 इक्विटी शेयर चुकता	**62.50**	-
जोड़ (अनुद्धृत)	**90,975.87**	1,00,476.36

अनुसूची '7' ऋण

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 के अनुसार		31.03.2009 के अनुसार
(1)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य सरकारें				
	(क) अप्रतिभूत, अच्छे माने गए तथा संबंधित राज्य सरकार की गारंटी वाले		**21,34,314.13**		20,93,859.39
	(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**231.76**		1,753.81	
	घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**32.18**	**199.58**	1,717.68	36.13
(2)	राज्य विद्युत बोर्ड/निगम (संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/ निगम के साथ सामान के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत) अच्छे माने गए		**37,08,522.50**		23,90,960.36
(3)	अन्य(मूर्त परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्रतिभूत)				
	(क) अच्छे माने गए		**4,59,178.64**		2,91,026.32
	(ख) संदेहास्पद वर्गीकृत	**1,722.33**		5,135.42	
	घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**1,722.33**	-	3,083.04	2,052.38
(4)	अन्य (अप्रतिभूत) - अच्छे माने गए		**2,93,905.45**		2,82,546.15
	उप जोड़ (1 से 4)		**65,96,120.30**		50,60,480.73
	(i) ऋणों पर उपचित तथा देय ब्याज		**5,887.74**		1,827.98
	(ii) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर उपचित ब्याज		**43,253.34**		75,835.87
	कुल जोड़		**66,45,261.38**		51,38,144.58

समेकित

अनुसूची '8' विलंबित कर देयता (परिसंपत्तियां)

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
प्रारंभिक शेष	**95,668.55**	**81,707.82**
घटाएं: 31.03.2009 तक की गई वापसी	**96,456.74**	-
	-788.19	**81,707.82**
जोड़ें: छमाही के दौरान परिवर्धन	**52.20**	**13,960.73**
जोड़	**-735.99**	**95,668.55**

अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 22 (ख), लेखाओं पर टिप्पणी का संदर्भ लें

अनुसूची '9' वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 के अनुसार		31.03.2009 के अनुसार
I.	**वर्तमान परिसंपत्तियां**				
	क) नकदी तथा बैंक शेष:				
	(1) हस्तगत/ट्रांसिट में नकदी/चैक (डाक टिकट तथा अग्रदाय सहित)		**0.61**		0.29
	(2) चालू खातों में				
	- भारतीय रिजर्व बैंक में		**1.87**		1.85
	- अधिसूचित बैंको में		**63,679.03**		32,177.74
	- अधिसूचित बैंको में (आरजीजीवीवाई योजना हेतु)		**418.07**		659.89
	- अधिसूचित बैंको में (एजी तथा एसपी योजनाओं हेतु निधि)		**3,466.58**		55.95
	(3) अधिसूचित बैंकों के साथ जमा खातों में				
	- आरजीजीवीवाई				97,649.98
	- एजीएंडएसपी		-		3,590.66
	- अन्य		**71,856.64**		54,690.73
	जोड़ (क)		**1,39,422.80**		1,88,827.09
	ख) विविध देनदार		**4,467.49**		110.71
	ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां				
	(1) सावधि जमा पर उपचित किंतु देय नहीं ब्याज		**97.75**		138.74
	(2) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
	- ऋणों पर		**48,796.72**		45,169.58
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर		-		-
	- कर्मचारियों को ऋण पर		**281.73**		222.38
	(3) रा.बि.बो./सरकारी विभागों से प्राप्य		**659.00**		106.32
	(4) भारत सरकार से प्राप्य				
	- आरजीजीवीवाई व्यय	**295.04**		208.93	
	- आरजीजीवीवाई अनुदान	**7,804.31**	**8,099.35**		208.93
	जोड़(ग)		**57,934.55**		45,845.95
II.	**ऋण तथा अग्रिम**				
	क) ऋण				
	(1) कर्मचारी (प्रतिभूत)		**177.58**		238.53
	(2) कर्मचारी (अप्रतिभूत)		**515.90**		853.47
	ख) अग्रिम				
	(अच्छे माने गए अप्रतिभूत)				
	(1) नकदी अथवा वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		**1,024.84**		346.28
	(2) कमर्शियल पेपर पर पूर्वदत्त वित्तीय प्रभार		**5,174.37**		4,083.72
	(3) वसूली योग्य आयकर		**3,154.51**		0.32
	जोड़ (घ)		**10,047.20**		5,522.32
	जोड़ - (क+ख+ग+घ)		**2,11,872.04**		2,40,306.07

समेकित

अनुसूची '10' वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 के अनुसार		31.03.2009 के अनुसार
1)	**वर्तमान देयताएं**				
	(क) अग्रिम प्राप्तियां		**1,551.65**		2,525.41
	(ख) अन्य देयताएं		**7,014.90**		4,342.96
	- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को देय				
	(ग) (1) संवितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान	**19,61,406.91**		14,60,887.62	
	(2) आरजीजीवीवाई अनुदान पर ब्याज	**5,090.52**		3,633.68	
	योग	**19,66,497.43**		14,64,521.30	
	घटाएं : लाभार्थियों को संवितरित	**-19,59,821.07**		-13,59,454.04	
	अवितरित अनुदान		**6,676.36**		1,05,067.26
	(घ) उपचित किंतु देय नहीं ब्याज				
	- बांडों पर	**1,56,827.23**		1,17,683.76	
	- सरकारी/एलआईसी ऋणों पर	**13,839.41**	**1,70,666.64**	12,841.89	1,30,525.65
	(च) बांड पर दावा नहीं किया गया ब्याज तथा मूलधन				
	- ब्याज	**1,523.38**		1,243.49	
	- मूलधन	**9,950.98**	**11,474.36**	83.10	1,326.59
	(छ) देय उपदान		**464.72**		974.96
	जोड़ (क)		**1,97,848.63**		2,44,762.83
2)	**प्रावधान**				
	(क) आय कर	**1,80,243.06**		1,09,727.82	
	घटाएं : अग्रिम कर - कर तथा टीडीएस	**1,77,419.14**		1,08,906.05	
	आय कर के लिए शेष प्रावधान		**2,823.92**		821.77
	(ख) स्टाफ हित		**5,703.46**		4,819.63
	(ग) प्रोत्साहन तथा अनुग्रह राशि हेतु प्रावधान		**3,975.17**		1,791.40
	(घ) वेतन संशोधन		**3,306.24**		1,280.00
			7,281.41		3,071.40
	घटाएं : समायोजनयोग्य अग्रिम		**-968.77**		-
	प्रोत्साहन, अनुग्रह और वेतन संशोधन के लिए शेष प्रावधान		**6,312.64**		3,071.40
	(ड.) धन कर		**36.00**		33.82
	(च) अनुषंगी लाभ कर		**36.09**		36.84
	(छ) प्रस्तावित लाभांश		**34,566.07**		21,471.50
	(ज) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर		**5,741.01**		3,649.08
	(झ) आकस्मिक व्यय		**-**		0.82
	जोड़ (ख)		**55,219.19**		33,904.86
	जोड़ (क+ख)		**2,53,067.82**		2,78,667.69

समेकित

अनुसूची '11' प्रचालन आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**ऋण देने के प्रचालनों में**				
	ऋणों पर ब्याज				
	- दीर्घावधि वित्तपोषण	**6,08,425.48**		4,38,541.59	
	घटाएं: समय पर भुगतान/पूर्णता आदि हेतु छूट	**977.48**	**6,07,448.00**	1,346.05	4,37,195.54
	- अल्पावधि वित्तपोषण		**35,637.42**		29,297.94
			6,43,085.42		4,66,493.48
ख.	**दीर्घावधि पट्टा राजस्व**		-		544.60
ग.	**प्रसंस्करण शुल्क, अपफ्रंट शुल्क, सेवा प्रभार आदि**		**4,253.88**		1,343.18
घ.	**पूर्व भुगतान प्रीमियम**		**1,784.80**		353.64
च.	**आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी प्रभार/अन्य**		**5,851.69**		6,982.11
	जोड़		**6,54,975.79**		4,75,717.01

अनुसूची '12' अन्य आय

(लाख रुपए में)

			31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**निवेश/जमा प्रचालनों पर**				
	म्युचुअल फंड पर लाभांश	**978.98**		-	
	जमाओं पर ब्याज	**2,036.13**		3,718.69	
	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**7,734.24**	**10,749.35**	8,704.32	12,423.01
	(टीडीएस 448.83 लाख रूपये, गत वर्ष 961.78 लाख रूपये)				
ख.	**अन्य आय**				
	विनिमय दर में अंतर		-		1,142.17
	वापस किया गया अधिक प्रावधान		**3,476.05**		3,610.99
	आय कर वापसी पर ब्याज		**855.06**		-
	स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज		**66.22**		49.62
	जोखिम निधि में निवेश पर लाभांश		**67.11**		11.02
	विविध आय		**4,569.73**		700.00
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**3.19**		1.07
	जोड़		**19,786.71**		17,937.88

समेकित

अनुसूची '13' ब्याज तथा अन्य प्रभार

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
निम्न से ब्याज		
- सरकारी ऋण	**421.27**	534.07
- आरईसी बांड	**2,93,774.77**	2,03,485.20
- बैंक/वित्तीय संस्थान	**69,780.32**	73,794.15
- बाहरी वाणिज्यिक ऋण	**10,956.78**	7,712.49
- कमर्शियल पेपर	**13,680.74**	2,134.76
	3,88,613.88	2,87,660.67
एआरईपी अर्थिक सहायता पर ब्याज	**64.26**	122.22
गारंटी शुल्क	**442.10**	797.45
अन्य वित्तीय प्रभार	**486.82**	154.61
जोड़	**3,89,607.06**	2,88,734.95

अनुसूची '14' स्थापना व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**9,202.57**	5,413.53
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय	**1,109.41**	1,144.31
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**897.54**	1,466.36
स्टाफ कल्याण व्यय	**995.86**	885.55
जोड़	**12,205.38**	8,909.75

समेकित

अनुसूची '15' प्रशासन व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष	
किराया-कार्यालय		**163.13**		175.16
दरें तथा कर		**89.12**		40.68
विद्युत तथा जल प्रभार		**64.96**		54.91
बीमा प्रभार		**2.93**		4.44
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
भवन	**159.30**		259.50	
ईआरपी तथा डेटा केंद्र	**121.99**		-	
अन्य	**107.18**	**388.47**	29.53	289.03
मुद्रण तथा स्टेशनरी		**167.72**		193.50
यात्रा तथा वाहन				
- निदेशक	**81.88**		55.53	
- अन्य	**569.15**	**651.03**	468.24	523.77
डाक, तार तथा टेलीफोन		**183.61**		105.56
प्रचार एवं संवर्धन व्यय		**222.01**		202.75
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**27.06**		23.76
विविध व्यय		**977.15**		376.22
परामर्शी प्रभार		**166.89**		117.42
दान तथा धर्मार्थ		**10.00**		246.59
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**1.52**		0.04
जोड़		**3,115.60**		2,353.83

अनुसूची '16' बांड/ऋण लिखत निर्गम पर व्यय

(लाख रुपए में)

	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
बांड हैंडलिंग प्रभार	**439.91**	321.29
बांड ब्रोकरेज खाता	**667.04**	366.68
बांड स्टॉम्प ड्यूटी	**157.33**	21.05
अन्य	**243.45**	270.48
जोड़	**1,507.73**	979.50

अनुसूची-17 खातों पर समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों में जिन सहायक कंपनियों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

सहायक कंपनियों का नाम	देश, जहां निगमित की गई	स्वामित्व हित लाभ का अनुपात
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (आरटीपीसीएल)	भारत	100%
- आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (आरपीडीसीएल)	भारत	100%
- उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लि. (एनकेटीसीएल) (आरटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) (31 मार्च, 2010 के बाद बेच दी गई)	भारत	100%
- तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीटीसीएल) (आरटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) (31 मार्च, 2010 के बाद बेच दी गई)	भारत	100%
- रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी)	भारत	100%

2. प्रति शेयर आय

ब्यौरे	वर्ष 2009-10	2008-09
कर-पश्चात निवल लाभ (लाख रु. में)	**2,02,225,34**	1,27,352.55
इक्विटी शेयरधारियों को देय निवल लाभ (लाख रु. में)	**2,02,225,34**	1,27,352.55
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**86,78,34,723**	85,86,60,000
प्रति शेयर मूल और डायल्यूटिड आय(रु.में)	**23.30**	14.83
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य(रु.में)	**10**	10

3. ऐसी आकस्मिक देयताएं जिनके संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 के अनुसार	31.03.2009 के अनुसार
(क)	निगम के समक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, 31.03.2010 को माध्यस्थम मामलों समेत विभिन्न अदालतों में लंबित 406.36 लाख रुपए सहित (पिछले वर्ष 3460.53 लाख रुपए सहित); और	**494.49**	3,469.37
(ख)	संविदाओं की अनुमानित राशि जिसे अभी पूंजी खाते में निष्पादित नहीं किया गया है एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	**599.26**	1,247.75
(ग)	अन्य	**1,76,559.67**	1,34,263.00

उपर्युक्त (क) में संदर्भित राशि न्यायालय/ माध्यस्थम मामलों के निपटाने में परिणाम पर निर्भर करती है।

उपर्युक्त 1(ग) में उल्लिखित राशि में निगम द्वारा अपने उधारकर्ताओं को स्वीकृण ऋण से विद्युत उत्पादन उपस्कर खरीदने के लिए साख-पत्र खोलने हेतु विभिन्न बैंकों को जारी किए जाने वाले आश्वासन-पत्रों के अनुसार 1,73,970 लाख रुपए शामिल हैं। 1,557.65 लाख रुपए उस ब्याज दर में अंतर से संबंधित हैं जो उन प्राइवेट पार्टियों पर प्रभारित की जा रही है जिनका कोई ग्रेड नहीं है और जिनके ऋणों पर न्यूनतम ग्रेड वाले उधारकर्ताओं पर लागू होने वाली उच्चतम दर प्रभारित की जा रही है। 668.50 लाख रुपए उस मांग से संबंधित हैं, जो आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन जारी नोटिस के जरिए मूल्यांकन वर्ष 2008-09 की है और 363.52 लाख रुपए कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 के कर-निर्धारण को पूरा करने पर आयकर द्वारा की गई मांग के अनुसार आयकर विभाग को अदा किए गए थे, जिसके संबंध में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दाखिल की गई है और इस रकम को चालू देयताओं में अग्रिम आयकर और तुलन-पत्र में प्रावधान अनुसूची के रूप में दर्शाया गया है।

4. लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
(क)	लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	**20.34**	***17.91
(ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क		
	(* वित्त वर्ष 2008-09 की कर लेखापरीक्षा के संबंध में कर लेखापरीक्षकों को अदा किए गए 2 लाख रुपए को छोड़कर)	***4.85**	2.50
(ग)	व्ययों की प्रतिपूर्ति	**0.39**	*** 1.88
(घ)	अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
	(** एफपीओ प्रमाणीकरण, जिसे सिक्यूरिटीज प्रीमियम एकाउंट में समायोजित किया गया है, हेतु भुगतान सहित)	****16.76**	2.32
	जोड़	**42.34**	*** **24.61**

***आरटीपीसीएल, एनकेटीसीएल और टीटीसीएल के लेखापरीक्षकों को की गई अदायगी (कुल 0.85 लाख रुपए) को सीडब्ल्यूआईपी में हिसाब में लिया गया है।

5. वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निगम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरबीआई की दिनांक 31.01.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं.12/ डी2.01/99-2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, उनको अस्थायी परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने, सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 (आई)

समेकित

सी के उपबंधों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

6. सभी व्यवस्थित महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व की एनबीएफसी को विवेकपूर्ण मानदंडों के ढांचे में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसंबर, 2006 को हमारे निगम को सलाह दी थी कि शासी एनबीएफसी के विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट किया था कि जिस तारीख से हमारे निगम द्वारा इन विनियमों का अनुपालन किया जाना था, उसके संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि हमारे निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने/उसके अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को उपर्युक्त रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है, लेकिन उसने बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (वित्त वर्ष 2017 तक) शासी एनबीएफसी के विनियमों का अनुपालन करने से छूट मांगी है।

   इसके अलावा, 13 दिसंबर, 2006 और 21 फरवरी, 2009 को हमारे निदेशक मंडल ने विवेकपूर्ण मापदंडों को हमारे द्वारा अपनाए जाने के संबंध में अनुमोदन दे दिया था। हमारे विवेकपूर्ण मापदंड हमारे प्रकटन, पृथक्करण, प्राइवेट और राज्य क्षेत्रक उधारकर्ताओं के लिए सीमित हैं। प्राइवेट क्षेत्रक उधारकर्ताओं के लिए हमारा प्रकटन हमारे निगम के स्वामित्व की निधियों के 25 प्रतिशत तक किसी एकल उधारकर्ता के लिए और कंपनियों के किसी एक समूह के लिए हमारे निगम के स्वामित्व की निधियों का 50% तक सीमित है। राज्य क्षेत्रक उधारकर्ताओं को ऋण दिए जाने के संबंध में हमारी अधिकतम उधार सीमा हमारे निगम के निवल मूल्य के 100% से 250% तक के बीच है, जो संबंधित राज्य यूटिलिटियों के समूह के एनटिटि मूल्यांकन और स्थिति पर निर्भर करता है।

7. कुछ ग्रामीण विद्युत (आरई) सहकारी समितियों द्वारा विशेष आरक्षित कोष के सृजन में कुल 301.45 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष - 500.89 लाख रुपए) की कमी पाई गई है और इन समितियों के साथ विशेष निधि के सृजन पर संपर्क किया जा रहा है।

8. अधिकांश कर्जदारों से बाकी राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

9. बांडों पर उपचित ब्याज के संबंध में लागू आयकर बांडधारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर कर काट लिया जाता है क्योंकि ऐसे बांड हस्तांतरणीय हैं।

10. निगम द्वारा खरीदे गए भूमि और भवन आदि के संबंध में 3,630.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3996.51 लाख रुपए) की राशि हेतु हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है।

11. लेखा नीति सं.10.2 के अनुसार 31.3.2010 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में (संस्थागत और 54 ईसी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बांड दोनों के लिए) शेष राशि 3431.32 लाख रुपए (गत वर्ष 5025.32 लाख रुपए) है।

12. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य तरीके से वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

13. परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत यथा अपेक्षित क्षति हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रबंधन के मतानुसार लेखांकन मानक-28 के अनुसार निगम की परिसंपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई है।

14. कंपनी की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं हैं।

15. इस वर्ष कोई बांड रिडेम्पशन रिजर्व (बीआरआर) सृजित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं.6/3/2001-सीएल-5 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 की धारा 45-आईए के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर सृजित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

16. वर्ष के दौरान निगम ने अदला-बदली स्वैप (केवल कूपन) कारोबार के कारण 765.69 लाख रुपए (पिछले वर्ष 420.16 लाख रुपए) तक उधार की लागत को कम कर दिया है, जिसका लेन-देन रुपए के उधार से संबद्ध है।

    निगम ने अदला-बदली कारोबार (केवल कूपन) तथा विदेशी मुद्रा अदला-बदली कारोबार के लेनदेन में प्रवेश किया। 31.03.2010 को उपरोक्त अदला-बदली कारोबार के संबंध में बाजार स्थिति का निवल मार्क टू मार्केट पोजीशन 16,544.12 लाख रुपए (अनुकूल) (पिछले वर्ष 24,271.25 लाख रुपए अनुकूल) है।

17. निदेशकों का पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन तथा भत्ते	**75.53**	44.33
अनुलब्धियां/प्रतिपूर्ति	**10.10**	15.18
सेवानिवृत्ति	**शून्य**	6.70
जोड़	**85.63**	**66.21**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार रुपए 780/- प्रति माह के मासिक प्रभार के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

ऋण तथा अग्रिमों के रूप में निगम के निदेशकों द्वारा देय 4.38 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10.66 लाख रुपए) है। वर्ष के दौरान इनसे अधिकतम बकाया राशि 10.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 14.17 लाख रुपए) थी।

18. विदेशी मुद्रा में व्ययः

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक परामर्श शुल्क	**70.58**	शून्य
ब्याज	**28.87**	161.66
वित्त प्रभार	**411.95**	79.03
अन्य प्रभार	**61.54**	53.22
जोड़	**572.94**	**293.91**

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग-2 के पैरा 4(ग) और पैरा 4(घ) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य सभी सूचना या तो शून्य है अथवा लागू नहीं है।

समेकित

19. निवेश में 1208.54 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,447.04 लाख रुपए) शामिल हैं जोकि केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित "स्मॉल इज ब्यूटीफुट फंड " (एसआईबी फंड) जोखिम पूंजीगत निधि की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि के योगदान	निवास का देश	स्वामित्व का अनुपात
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	1,208.54 लाख रुपए	भारत	9.74 %

और अंशदान की कोई वचनबद्धता नहीं है।

20. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत सब्सिडीः-

निगम द्वारा एक ब्याज सब्सिडी निधि खाता चलाया जा रहा है और यह निगम दिनांक 23.09.1997 के भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा.सं.32024/17/97-पीएफसी तथा दिनांक 07.03.2003 के का.ज्ञा.सं.32024/23/2001-पीएफसी के अनुसार निर्दिष्ट दरों पर गणना किए गए निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी, वास्तविक पुनर्भुगतान समयतालिका, ऋण स्थगन अवधि तथा चुकौती की अवधि कुछ भी हो, का दावा कर रहा है। निर्दिष्ट दर और आहरण के समय आकलित अवधि तथा वास्तविक के मध्य अंतर का पता संबंधित योजना के अंत में ही लगाया जा सकता है।

21. लेखांकन मानक-26 "अमूर्त परिसंपत्तियां" में यथा अपेक्षित परिसपंत्तियों के संबंध में प्रकटीकरणः-

क. परिशोधन दर — 20%
यदि परिसंपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए अथवा कम है तो 100%।

ख. परिशोधन विधि — सीधी रेखा।

मिलान विवरण (लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
i)	सकल कैरिंग राशि	**433.56**	4.86
ii)	संचित मूल्यह्रास	**39.16**	2.59
iii)	सकल कैरिंग राशि - प्रारंभिक शेष	**5.19**	3.54
iv)	घटाएं : संचित मूल्यह्रास	**2.63**	1.98
v)	कैरिंग राशि	**2.56**	1.56
vi)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**428.37**	1.31
vii)	घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधन	**36.53**	0.60
viii)	तुलन-पत्र की तिथि को कैरिंग राशि	**394.40**	2.27

22. निगम आय पर करों हेतु लेखांकन पर लेखांकन मानक संख्या 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान करता रहा है।

(क) 31.03.2010 को आस्थगित कर देयता (परिसंपत्तियों) के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)		
अर्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**623.54**	482.37
चिकित्सा अवकाश हेतु प्रावधान	**251.12**	198.29
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (वर्ष 2006-07 से पहले की अवधि से संबंधित कटौतियों का दावा नहीं किया गया है)	**263.28**	263.28
निवेशों में गिरावट पर प्रावधान	**8.21**	44.76
अन्यों हेतु प्रावधान	**0.00**	144.68
जोड़	**1146.15**	**1133.38**
आस्थगित कर देयताएं (-)		
मूल्यह्रास	**-410.16**	-345.15
आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(Viii) के अधीन आरक्षित निधि	-	-96456.74
जोड़	**-410.16**	**-96801.89**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**735.99**	**-95668.51**

(ख) कंपनी ने विशेष आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता का सृजन आरंभ कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2006-07 से आगे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। विशेष आरक्षित निधि के संबंध में आस्थगित कर देयता सामान्य आरक्षित निधि से रकम को अंतरित करके की गई है, जो वर्ष वित्त वर्ष 2005-06 से सृजित की गई थी और वित्त वर्ष 2006-07 में भी सृजित की गई थी।

कंपनी ने एक बोर्ड संकल्प पारित किया है कि वह उस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का इरादा नहीं रखती है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित है। अतः सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि को वापस नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 के अनुसार स्थायी अंतर बन जाता है। तदनुसार, यह कंपनी उपर्युक्त आरक्षित निधि के संबंध में कोई आस्थगित कर देयता का सृजन नहीं कर रही है।

अब, विभिन्न संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता सृजित न करने के इसी स्तर के अन्य संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली परिपाटी को भी ध्यान में रखते हुए, इस निगम का विचार है कि आईसीएआई के लेखांकन मानक-22 के अनुसार आस्थगित कर देयता की कोई जरूरत नहीं है। तदनुसार निगम ने आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 36(I)(viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि के कारण 15,564.67 लाख रुपए की आस्थगित कर देयता का 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में सृजन नहीं किया है और इस खाते में पिछले वर्षों में सृजित किए गए 96,456.74 लाख रुपए की आस्थगित कर देयता को भी वापस कर दिया है।

समेकित

आस्थगित कर देयता की वापसी वित्त वर्ष 2005-06 तक के लिए 63,879.87 लाख रुपए का सामान्य आरक्षित निधि में जमा करके और वित्त वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के लिए 32,576.87 लाख रुपए के लाभ एवं हानि विनियोजन के माध्यम से किया गया है।

यदि कंपनी ने पिछले वर्षों में भी यही लेखांकन तरीका अपनाया होता तो 31.03.2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ 186,660.67 लाख रुपए होता जबकि सूचित लाभ 202,225.34 लाख रुपए बताया गया है और आरक्षित और अधिशेष 8,99,658.26 लाख रुपए होता जबकि 31.03.2010 को आरक्षित और अधिशेष 10,11,679,67 लाख रुपए बताया गया है।

23. विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए अग्रिम फैसला सुनाने और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार निगम ने 5,690.16 लाख रुपए आयकर वापसी और उस पर देय ब्याज के रूप में गिने हैं। आयकर विभाग से इस वर्ष के दौरान उसमें से 2,562.12 लाख रुपए प्राप्त किए गए हैं।

24. पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन पर आरईसी की देयताओं के निपटान का मुद्दा एमपीएसईबी और सीएसईबी के बीच होने पर उनके मध्य देयताओं को बांटने के संबंध में एक कानूनी विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप सीएसईबी लगभग 16000 लाख रुपए + उपचित होने वाले ब्याज वापसी का दावा कर रहा है जो एमपीएसईबी द्वारा अदा किया जाएगा।

25. कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) की, जिन पर ऋण बकाया थे अथवा जिनकी ओर से राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी, की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्संरचना की गई और उनके स्थान पर नए निकायों का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप पूर्व एसईबी की देयताएं निगमों,नए निकायों और राज्य सरकारों के मध्य अंतरण समझौतों के निष्पादन पर नए निकायों को सौंपी गई हैं।

26. कारपोरेशन के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01 जनवरी, 2007 से किया जाना है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमानों (अनुलब्धियों सहित) के लंबित अंतिम के परिकलन के अनुसार वर्ष के दौरान संशोधित वेतन के बकायों के समक्ष, औसत वेतन के आधार पर 2,026.24 लाख रुपए का अनुमानित प्रावधान (गत वर्ष 463.16 लाख रुपए) किया गया है तथा तदनुसार अकार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए ऐसी कोई अधिसूचना उपलब्ध नहीं है किंतु उन्हें भी ऐसी अधिसूचना के अनुसार बकाया देने के लिए विचार किया गया है, सहित वेतन संशोधन हेतु वेतन के समक्ष 3,306.24 लाख रुपए (गत वर्ष 1,280 लाख रुपए) का संचयी प्रावधान किया गया है। अनुमानित संशोधित वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लाभ का बीमांकित मूल्यांकन कर लिया गया है।

27. 2006-07 तक आरजीजीवाई के कार्यान्वयन पर व्यय किए गए 643.98 लाख रुपए के खर्च उसके अनुदान से की गई जमा पर प्राप्त ब्याज से समायोजित किए गए थे और निगम ने समायोजन विनियोजित करने के लिए विद्युत मंत्रालय को सूचित किया है, जो अभी लंबित है। प्रबंधन मानता है कि यह राशि अभी भारत सरकार से प्राप्य है।

28. लेखांकन मानक-29 में यथापेक्षित प्रावधानों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
(क) अंतरिम लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**25759.80**	17173.20
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**25759.80**	17173.20
अंतशेष	-	-
(ख) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**21466.50**	25759.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**34566.07**	21466.50
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**21466.50**	25759.80
अंतशेष	**34566.07**	21466.50
(ग) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	**3648.23**	4377.88
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**10118.04**	6566.81
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	**8025.26**	7296.46
अंत शेष	**5741.01**	3648.23

29. निगम ने एएस-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" को अपनाया है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

क. भविष्य निधि

निगम पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक न्यास को देता है जो उस निधि का निवेश अनुमेय प्रतिभूतियों में करता है। इस न्यास द्वारा न्यास के सदस्यों के अंशदान पर एक न्यूनतम दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2010 को तत्संबंधी परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ सहित भविष्य निधि की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत देयता से अधिक है।

ख. उपदान

निगम की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम के उपबंध के अनुसार उपदान का पात्र है। इस योजना का वित्तपोषण निगम द्वारा और प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ग. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

निगम की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति या पत्नी सहित) को निगम के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है।

घ. यात्रा छुट्टी रियायत (एलटीसी)

कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को छुट्टी यात्रा रियायत उपलब्ध कराने के लिए निगम की एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

ड. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए निगम के पास कर्मचारी तथा आश्रितों हेतु एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में **परिभाषित विभिन्न लाभों की** सारांशीकृत स्थिति और उनके विश्लेषण की स्थिति निम्नानुसार है:

समेकित

लाभ तथा हानि खातों में मान्यकृत व्ययः

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)
(क) चालू सेवा लागत	**139.91**	116.14	**57.10**	46.79	**0.78**	0.72
(ख) ब्याज लागत	**198.00**	110.43	**168.36**	128.48	**1.31**	1.07
(ग) योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**(243.67)**	(135.04)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत बीमांकित (लाभ) हानि	**277.02**	(65.04)	**452.80**	385.24	**3.26**	3.26
(ड.) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	948.48	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(च) लाभ एवं हानि खातों में मान्यकृत व्यय	**371.26**	974.96	**678.25**	560.51	**5.36**	5.05

बीमांकन आंकड़ों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाने वाला व्यय	:	371.26 लाख रुपए
घटाएंः नए कर्मचारियों के संबंध में उपदान न्यास द्वारा अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान	:	8.17 लाख रुपए
जोड़ेंः अनुमान के आधार पर दिनांक 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के कारण स्वीकृत रकम	:	101.63 लाख रुपए
लाभ एवं हानि लेखे में मान्यकृत निवल व्यय	**:**	**464.72 लाख रुपए**

तुलन-पत्र में मान्यकृत रकम

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)
(क) वर्ष की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3142.92**	2640.04	**2742.05**	2244.78	**19.16**	17.48
(ख) वर्ष की समाप्ति पर योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2779.83**	1672.62	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ग) अंतर (ख - क)	**(363.09)**	(967.42)	**(2742.05)**	(2244.78)	**(19.16)**	(17.48)
(घ) निवल परिसंपत्तियां/देयता)* मान्यकृत (उपदान न्यास की)	**(363.09)**	(967.42) *	**(2742.05)**	(2244.78)	**(19.16)**	(17.48)

बीमांकन विशेषज्ञों के अनुसार तुलन-पत्र में स्वीकृत की जाने वाली देयता	:	363.09 लाख रुपए
जोड़ेंः अनुमान के आधार पर दिनांक 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा से हटे कर्मचारियों के कारण स्वीकृत रकम	:	101.63 लाख रुपए
तुलन-पत्र में मान्यकृत कुल देयता	**:**	**464.72 लाख रुपए**

परिभाषित लाभ/देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)
(क) अवधि के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2640.04**	1577.53*	**2244.78**	1835.43	**17.49**	15.29
(ख) ब्याज लागत	**198.00**	110.42	**168.36**	128.48	**1.31**	1.07
(ग) पूर्व सेवा लागत	**शून्य**	948.48	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) चालू सेवा लागत	**139.91**	116.14	**57.10**	46.79	**0.78**	0.72
(ड.) प्रदत्त लाभ	**(105.42)**	(41.29)	**(180.98)**	(151.17)	**(3.68)**	(2.86)
(च) निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	**270.39**	(71.24)	**452.80**	385.24	**3.27**	3.26
(छ) अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ/दायित्व का वर्तमान मूल्य* (उपदान न्यास का)	**3142.92**	2640.04*	**2742.05**	2244.77	**19.16**	17.48

समेकित

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

लाख रुपए में)

ब्यौरे	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)	(31.03.10)	(31.03.09)
(क) अवधि के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य* (उपदान न्यास का)	**2640.04**	1577.53*	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ख) योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**243.68**	135.03	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ग) कंपनी का वास्तविक अंशदान	**8.17**	7.54	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(घ) प्रदत्त लाभ	**(105.42)**	(41.29)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(ड.) योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**(6.63)**	(6.19)	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
(च) अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्य* (उपदान न्यास का)	**2779.84**	1672.62*	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

वर्ष के दौरान निगम ने उपदान ट्रस्ट में 464.72 लाख रुपए (गत वर्ष 974.69 लाख रुपए), पीआरएमएफ में 497.27 लाख रुपए (गत वर्ष 409.34 लाख रुपए) और ओडीआरबी में 1.67 लाख रुपए (गत वर्ष 2.19 लाख रुपए) की अंशदान देयता का प्रावधान किया ।

कर्मचारी के अन्य हितः

बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए 209.69 लाख रुपए (बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार 182.20 लाख रुपए और कर्मचारियों द्वारा 01.01.2007 से 31.03.2009 तक सेवा छोड़ने के संबंध में 27.49 लाख रुपए) (गत वर्ष 160.09 लाख रुपए) और चिकित्सा अवकाश के लिए 155.44 लाख रुपए (गत वर्ष 583.36 लाख रुपए) की राशि का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया।

'कर्मचारियों के हित' पर लेखांकन मानक-15 (परिशोधित 2005) के अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के आधार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत को शामिल किया गया है। तदनुसार वर्ष के लिए 19.77 लाख रुपए (गत वर्ष 21.22 लाख रुपए) का प्रावधान किया गया तथा लाभ एवं हानि खातों में प्रभारित किया गया।

पीआरएमएफ पर एक प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोतरी/कमी होने का प्रभावः

(रुपए लाख में)

ब्यौरे	1% (+)	1% (-)
क) सेवा एवं ब्याज लागत	24.71 (गत वर्ष 22.64)	(20.69) (गत वर्ष(19.10))
ख) पीबीओ (समापन)	369.61 (गत वर्ष 174.70)	(309.62) (गत वर्ष (152.05))

बीमांकन संबंधी पूर्व धारणाएं

ब्यौरे	उपदान	पीआरएमएफ	ओडीआरबी
क) प्रयुक्त पद्धति	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
ख) छूट दर	7.50 (गत वर्ष 7.00)	7.50 (गत वर्ष 7.00)	7.50 (गत वर्ष 7.00)
ग) परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	9.23 (गत वर्ष 8.56)	शून्य (गत वर्ष शून्य)	शून्य (गत वर्ष शून्य)
घ) भावी वेतन/लागत वृद्धि	5.50 (गत वर्ष 5.50)	5.50 (गत वर्ष 5.50)	5.50 (गत वर्ष 5.50)

(क) लेखाकरण अवधि के दौरान परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर, प्रतिलाभ की अभिगृहीत दर है।

(ख) प्रमुख पूर्वानुमान छूट पर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित हैं। छूट दर साधारणतः एक अवधि में लेखाकरण तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता हो, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

30. (क) भारत सरकार ने आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन हेतु आरईसी को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी योजनाओं के तहत प्राप्त निधियां विभिन्न एजेंसियों को संवितरण करने के लिए एक पृथक बैंक खाते में रखी गई हैं। असंवितरित निधियों तथा उनसे अर्जित ब्याज को वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान 880.73 लाख रुपए (गत वर्ष 2,933.95 लाख रुपए) के 154.34 लाख रुपए के टीडीएस सहित (गत वर्ष 658.95 लाख रुपए) अर्जित किए गए ब्याज को आरजीजीवीवाई के अनुदान लेखे में डाला गया है तथा आरईसी द्वारा ऐसे टीडीएस को अंततः सरकारी कोष में डाल दिया गया है।

(ग) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखाकरण नीति 2.1.ख के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर आरजीजीवीवाई स्कीम के संबंध में एजेंसी प्रभारों (अर्थात सेवा कर सहित) परियोजना लागत का एक प्रतिशत) की आय को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जबकि पहले यह नीति सब्सिडी/ऋण के संवितरण के आधार पर इसे मान्यताकृत करने की थी। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के परिणामतः चालू वर्ष के लाभ में 118.36 लाख रुपए (सेवा कर के बाद निवल) की कमी आई है।

31. वर्ष के दौरान निगम ने अपने अधिशेष फंडों का निवेश लिक्विड स्कीम तथा लिक्विड प्लस स्कीम के पब्लिक म्युच्युअल फंडों में किया। वर्ष के दौरान ही उसे विनिवेशित कर दिया गया।

32. कारपोरेशन ने वैकल्पिक बुक बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से प्रत्येक दस रुपए मूल्य के 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती पब्लिक ऑफर फरवरी, 2010 में जारी किया। इस इश्यू में 12,87,99,000 इक्विटी शेयर के नए शेयर भी शामिल हैं और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव दिया था। नए इक्विटी शेयर मार्च,

2010 में आबंटित किए गए। तदनुसार इश्यू की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी 85,866 लाख रुपए से बढ़कर 98,745.90 लाख रुपए हो गई है और 249,918.17 लाख रुपए की रकम (इश्यू के व्यय की निवल रकम 1,955.19 लाख रुपए) को प्रतिभूति प्रीमियम लेखे में शामिल कर लिया गया है। इक्विटी शेयरों के नए इश्यू की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए किया गया ।

33. ईआरपी प्रणाली पर खर्च किए गए 912.77 लाख रुपए को 24 अक्तूबर, 2009 से इस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है। सॉफ्टवेयर की मियाद 5 वर्ष मानी गई है । इसमें परिशोधन तेज प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखा गया है। इसका अवशिष्ट मूल्य शून्य समझा गया है।

34. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सेग्मेंट रिपोर्टिंग के लिए निगम के कार्यों को तीन कारोबार भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा विद्युत उत्पादन ऋण, पारेषण एवं वितरण ऋण और अन्य। निगम के कोई भौगोलिक खंड नहीं है। यह निगम घरेलू भौगोलिक खंडों में ही कार्य करता है। 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के संबंध में खंड रिपोर्ट इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
क.	**खंड राजस्व**		
	1. उत्पादन ऋण	**2,51,383.31**	1,50,698.45
	2. पारेषण और वितरण ऋण	**3,43,912.46**	2,72,254.16
	3. अन्य	**79,466.73**	70,702.28
	जोड़	**6,74,762.50**	**4,93,654.89**
ख.	**खंड परिणाम**		
	1. उत्पादन ऋण	**1,13,813.79**	49,575.77
	2. पारेषण और वितरण ऋण	**1,33,831.77**	1,17,806.92
	3. अन्य	**35,156.69**	36,253.56
	जोड़	**2,82,802.25**	**2,03,636.25**
ग.	अनाबंटित व्यय	**14,726.06**	11,400.12
घ	कर-पूर्व लाभ	**2,68,076.19**	**1,92,236.13**
ड.	कर के लिए प्रावधान	**65,850.85**	64,883.58
च.	कर-पश्चात लाभ	**2,02,225.34**	**1,27,352.55**
छ.	**खंड परिसंपत्तियां**		
	1. उत्पादन ऋण	**23,84,757.07**	18,59,147.42
	2. पारेषण और वितरण ऋण	**36,41,732.67**	28,39,523.12
	3. अन्य	**7,53,455.13**	6,27,749.60
	जोड़	**67,79,944.87**	**53,26,420.14**
ज.	**खंड देयताएं**		
	1. उत्पादन ऋण	**20,37,496.54**	16,53,888.88
	2. पारेषण और वितरण ऋण	**31,11,435.46**	25,26,026.53
	3. अन्य	**6,43,739.47**	5,58,443.12
	जोड़	**57,92,671.47**	**47,38,358.53**

35. निगम ने ईआरपी डेटा केंद्र के लिए कार्यालय स्थान ले लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 177.97 लाख रुपए की इस रकम के संबंध में पट्टे की अदायगी अनुसूची 15 में "प्रशासन व्यय" शीर्ष के अंदर दर्शाई गई है। इन पट्टा करारों के संबंध में भावी पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया अदायगी का परिपक्वता विवरण	ईआरपी के लिए डेटा केंद्र हेतु	स्थान के लिए
एक वर्ष से अनधिक के लिए	39.89	136.67
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से अनधिक के लिए	154.93	601.27
पांच वर्ष से अधिक के लिए	शून्य	376.66
जोड़	**194.82**	**1114.60**

36. प्रतिरक्षण रणनीति के भाग के रूप में कंपनी ने कुछ मामलों में निश्चित ब्याज दर की अदला बदली तय की है, जो घरेलू रुपए में है और जिसमें ब्याज दर की घट-बढ़ से लाभ उठाने की लागत कम करने का उद्देश्य रखा गया है। बकाया उधार का भारतीय रूपए में मूल्य 31.03.2010 को 125,000 लाख रुपए है ।

विदेशी मुद्रा में उधार लेने के संबंध में कंपनी ने क्रास करंसी स्वैप निष्पादित किया है ताकि विनिमय दर और ब्याज की घटती-बढ़ती दर के जोखिम को पूर्णतः सीमित किया जा सके। 31 मार्च, 2010 को ऐसे क्रॉस करेंसी स्वैप की बकाया स्थिति इस प्रकार है:

संविदाओं की संख्या	विदेशी मुद्रा में दिनांक 31.03.2010 को बाकी उधार	भारतीय रूपए के समतुल्य
3	जेपीवाई 40,319 मिलियन	165,865 लाख
1	यूरो 64,16 मिलियन	41,772 लाख

भारतीय रुपए में स्वैप किए गए विदेशी मुद्रा ऋण का भाग स्वैप लेन-देन में निर्धारित दर पर बताया गया है और इसे वर्ष के अंत की दर पर परिवर्तित नहीं किया गया है।

37. बांड की श्रृंखला और अन्य प्रतिभूत उधार को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान और भविष्य दोनों में प्राप्त होने वाले प्रभारों के द्वारा सुरक्षित बनाया गया है। यह प्रतिभूत 25 जनवरी, 2008 को संयुक्त आडमान करार पर किया गया है। लेकिन 4,30,509 लाख रुपए की कुछ विशिष्ट प्राप्त रकम को करार की शर्तों के अनुसार आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आडमान किया गया है। आईआईएफसीएल से उपलब्ध 87,000 लाख रुपए का पुनः वित्तपोषित ऋण भी इसी करार के अधीन आएगा, जिसमें प्रतिभूतियों की पूलिंग की जाएगी और आईआईएफसीएल को इन ट्रस्टियों से प्राप्त किए जा सकने योग्य प्रभारों पर पारि-पासु अधिकार होंगे।

38. 31 मार्च, 2010 को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड का पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात 16.05 प्रतिशत है (जो पिछले वर्ष 11.60 प्रतिशत था)।

39. चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऋण भुगतान की फिर से समय तालिका नहीं बनाई गई। पिछले वर्ष में पुनः अनुसूचित ऋण का संचलन इस प्रकार है:

समेकित

ब्यौरे	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या
आरंभिक शेष		9		11
मूलधन	2,28,029.89		2,33,649.93	
ब्याज	1,01,169.91		1,10,172.55	
वर्ष के दौरान परिवर्धन		0		
उपचित ब्याज	30,237.55		34,630.97	
वर्ष के दौरान प्राप्त*				
मूलधन	29,681.03		5,620.05	
ब्याज	55,150.67		43,633.61	
अंतशेष		8		9
मूलधन	1,98,348.86		2,28,029.88	
ब्याज	76,256.78		1,01,169.91	

*इसमें पूर्वतः प्रदत्त एक मामला भी शामिल है (पिछले वर्ष दो मामले थे)।

40. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अभी वाणिज्यिक संचालन आरंभ नहीं किया है।

41. सहायक कंपनियां अभी पूर्णतः नियंत्री कंपनी के स्वामित्व में हैं। इन कंपनियों के मुख्य प्रबंधन कार्मिक नियंत्री कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें अंशकालिक आधार पर इन कंपनियों में तैनात किया गया है।

ऐसे मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के विवरण इस प्रकार हैं:

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री पी उमा शंकर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.03.2008	जारी
2.	श्री रमा रमन	निदेशक	08.01.2007	जारी
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक	27.12.2008	जारी
4.	श्री प्रकाश जे.ठक्कर	निदेशक	08.01.2007	जारी

उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री प्रकाश जे.ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	30.12.2008	जारी
2.	सुश्री वल्ली नटराजन	निदेशक	23.04.2007	जारी
3.	सुश्री हरिंद्र कौर चानी	निदेशक	23.04.2007	जारी
4.	श्री टी.एस.सी. बोस	अपर निदेशक	09.09.2009	जारी
5.	श्री वी.के. सिंह	अपर निदेशक	09.09.2009	जारी

तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री प्रकाश जे.ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.05.2007	जारी
2.	सुश्री वल्ली नटराजन	निदेशक	01.05.2007	जारी
3.	सुश्री हरिंद्र कौर चानी	निदेशक	01.05.2007	जारी
4.	श्री टी.एस.सी. बोस	अपर निदेशक	09.09.2009	जारी
5.	श्री वी.के. सिंह	अपर निदेशक	09.09.2009	जारी

रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री प्रकाश जे.ठक्कर	अध्यक्ष एवं निदेशक	19.11.2009	जारी
2.	श्री सुबोध गर्ग	निदेशक	19.11.2009	जारी
3.	श्री सलिल कुमार	निदेशक	19.11.2009	जारी

समेकित

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अलग होने की तारीख
1.	श्री पी. उमा शंकर	अध्यक्ष एवं निदेशक	01.03.2008	जारी
2.	श्री रमा रमन	निदेशक	12.07.2007	जारी
3.	श्री संजीव गर्ग	निदेशक	10.08.2007	जारी
4.	श्री डी.एस. अहलूवालिया	निदेशक	04.04.2008	29.09.2009
5.	श्री राकेश के अरोड़ा	निदेशक	29.09.2009	जारी

42. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 15/2/2010-ट्रांस दिनांक 17 मार्च, 2010 द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार उत्तरी कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और तलचर-II ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड नामक आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की दो सहायक कंपनियां अगले वित्त वर्ष के दौरान सफल बोलीदाता मैसर्स रिलांयस पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित की जाएंगी। सफल बोलीदाता संबंधित कंपनियों की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित इन कंपनियों के इक्विटी शेयरों के 100 प्रतिशत का अधिग्रहण करेगा।

43. (क) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नामक सहायक कंपनी के मामले में 'राजस्व स्वीकृति' संबंधी लेखाकरण नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। तदनुसार, संचलन पेशगी को राजस्व की स्वीकृति से अलग कर दिया गया है। यह कार्य पूरा कर दिया गया है लेकिन इसके बिलों को हिसाब में नहीं लिया गया है। इसके परिणामतः आय के मान्यताकरण में 599.78 लाख रुपए की कमी आई है।

(ख) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड नामक सहायक कंपनी के मामले में लेखाकरण नीति में यह प्रावधान किया गया है कि टैरिफ आधारित बोली पर ट्रांसमिशन परियाजनाओं के चुने हुए बोलीदाता/विकासकर्ताओं में से प्रत्येक पर व्यावसायिक प्रभार लगाए जाएंगे और उन्हें परियोजना विशेष वाली सहायक कंपनी को अंतरित किए जाने के वर्ष में हिसाब में लिया जाएगा। ऐसे लेनदेनों की राजस्व की स्वीकृति का नियंत्रक बिंदु वह समय होता है जब यह सुनिश्चित करना उचित हो कि अंतिम व्यावसायिक प्रभारों की वसूली की जाएगी, उक्त लेखाकरण नीति में उस वर्ष के दौरान संशोधन कर दिया गया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त होने योग्य 3,000 लाख रुपए के व्यावसायिक प्रभारों को हिसाब में ले लिया गया है।

44. आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित (राउंड आफ) किया गया है।

45. अनुसूची 1 से 17 तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खातों के एक अभिन्न भाग हैं और उन्हें अधिप्रमाणित किया गया है।

इन अनुसूचियों पर किए गए हस्ताक्षर तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि तथा उपयुक्त टिप्पणी के भाग होंगे।

बी.आर.रघुनंदन	**एच.डी.खुंटेटा**	**पी. उमा शंकर**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते बंसल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता संख्या 83030
फर्म का पंजीकरण सं.001113एन

कृते के.जी.सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(बी. महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 88155
फर्म का पंजीकरण सं.006591एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

समेकित

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1. समेकन के सिद्धांत

ये समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) और इसकी सहायक कंपनियों से संबंधित हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधारों पर तैयार किए गए हैं:

इस कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को यथावत मिला दिया गया है और इसमें परिसंपत्तियों की मदों, देयताओं, आय एवं व्यय के खाता मूल्य को जोड़ा गया है। इस प्रकार की कार्रवाई लेखाकरण मानक (ए एस) 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार अंतर-समूह संतुलन और अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतः हटाने के बाद की गई है।

जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान परिस्थितियों में किए गए लेनदेनों और अन्य घटनाओं जैसी एकसमान लेखाकरण नीति का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए हैं और इन्हें कारपोरेशन के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इस प्रकार की नीतियां "महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति" नामक शीर्षक के अधीन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों तथा साथी सहायक कंपनियों के स्थायी वित्तीय विवरणों में दिए गए हैं।

समेकित

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

ब्यौरे	31.03.2010 को समाप्त वर्ष		31.03.2009 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर-पूर्व निवल लाभ	**2,68,076.18**		1,92,233.49	
निम्नलिखित हेतु समायोजनः				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**-1.67**		-1.03	
2. मूल्यह्रास	**217.75**		137.07	
3. निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**-**		105.34	
4. अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	**22.18**		237.05	
5. अधिक प्रावधान - बट्टेखाते डाला गया	**-107.51**		-0.37	
6. 'स्माल इज ब्यूटीफुल फंड' की यूनिटों में निवेश की बिक्री/आय पर लाभ	**-67.11**		-11.02	
7. विनिमय दर अंतर में लाभ	**-**		-1,142.17	
8. अनुषंगी कंपनी - आरईसी-पीडीसीएल से लाभांश	**-5.00**		-	
9. प्रावधान से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**0.90**		-	
10. बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक व्यय	**0.13**		11.68	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व प्रचालन लाभः	**2,68,135.85**		1,91,570.04	
बढ़ोतरी/कमीः				
1. ऋण	**-15,07,138.98**		-12,06,730.45	
2. विविध देनदार	**-4,356.78**		-110.71	
3. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	**-12,090.02**		4,072.68	
4. अन्य ऋण और पेशगियां	**1,72,022.06**		-4,480.45	
5. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	**-1,18,146.39**		64,336.37	
प्रचालनों से नकदी बाह्य प्रवाह	**-12,01,574.26**		-9,51,342.52	
1. आयकर की अग्रिम अदायगी	**-68,544.87**		-48,211.25	
2. आयकर की वापसी	**2,049.58**			
3. प्रदत्त धनकर	**-36.65**		-2.15	
4. प्रदत्त अनुषंगी लाभ कर	**-**		-132.62	
प्रचालन क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**-12,68,106.20**		-9,99,688.54
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**9.10**		13.40	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	**-1,368.74**		-664.46	
3. मध्य प्रदेश सरकार के आठ प्रतिशत पावर बांड ॥ का विमोचन	**9,432.00**		14,148.00	
4. 'स्माल इस ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों में निवेश	**238.50**		-	
5. 'स्माल इस ब्यूटीफुल' फंड की यूनिटों में निवेश पर आय	**67.11**		11.02	
6. ईईएसएल के शेयरों में निवेश	**-62.50**		-	
7. प्रारंभिक व्यय	**-0.41**		-	
8. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लाभांश	**5.00**		-	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**8,320.06**		13,507.96
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम	**16,59,115.39**		13,80,733.12	
2. बांडों का विमोचन	**-8,36,162.65**		-5,26,546.00	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधिक ऋण/एसटीएल जुटाना(निवल)	**1,06,037.86**		38,825.00	
4. विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना	**58,269.18**		45,665.12	
5. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	**5,01,976.13**		5,44,621.74	
6. अनुदानों का संवितरण	**-6,00,367.03**		-5,11,410.03	
7. सरकारी ऋणों की चुकौती	**-1,532.64**		-1,718.00	
8. प्रदत्त अंतिम लाभांश	**-21,467.27**		-25,759.80	
9. अंतिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-3,648.36**		-4,377.88	
10. शेयरों का निर्गम	**12,879.90**		-	
11. शेयरों के निर्गम पर प्रतिभूतियों का प्रीमियम	**2,49,918.17**			
12. कमर्शियल पेपरों का निर्गम	**3,15,000.00**		1,29,500.00	
13. कमर्शियल पेपरों की चुकौती	**-1,99,500.00**			
14. प्रदत्त अंतरिम लाभांश	**-25,759.80**		-17,173.20	
15. अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	**-4,377.03**		-2,918.58	
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी अंतःप्रवाह		**12,10,381.85**		10,49,441.49
नकदी तथा नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/कमी		**-49,404.29**		63,260.91
1 अप्रैल, 2009 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**1,88,827.09**		1,25,566.18
31 मार्च, 2010 को नकदी तथा नकदी समकक्ष		**1,39,422.80**		1,88,827.09
नकदी तथा नकदी समकक्ष तुल्य में निवल बढ़ोतरी/कमी		**-49,404.29**		63,260.91

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवयक हो, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः समूहबद्ध किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के.जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भुवनेश महेश्वरी
भागीदार
सदस्यता सं.88155
फर्म पंजीकरण : सं.006591एन

कृते बंसल एंड कं.
सनदी लेखाकार

डी.एस. रावत
भागीदार
सदस्यता सं.83030
फर्म पंजीकरण : सं.001113एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2010

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

पी. उमा शंकर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में निदेशक मंडल को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों** के 31 मार्च, 2010 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन वर्ग का है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखापरीक्षा में आश्वस्त हों कि वित्तीय विवरण में गलतबयानी न हो। लेखापरीक्षा में परख के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा साथ ही, समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारे मत का एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है।

3. हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के प्रबंधक वर्ग ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक (एएस 21) 'समेकित वित्तीय विवरणों की अपेक्षाओं के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण' तैयार किए हैं।

4. हमने कंपनी की सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन कंपनियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई। इन कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2010 को 54.10 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.96 करोड़ रुपए) का कुल राजस्व दर्शाया गया है और उस तारीख तक समाप्त वर्ष में कुल 40.02 करोड़ रुपए का राजस्व (पिछले वर्ष 5.27 करोड़) दर्शाया गया है। जहां तक इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल की गई रकम का संबंध है, हमारी राय इन सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतः आधारित है।

5. हमारी टिप्पणियों के अनुसार, और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों के समेकन के अनुसार और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि आस्थगित कर देयता के बारे में लेखा टिप्पणी की अनुसूची 17 की टिप्पणी 22 (ख) के साथ पठित आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों के संलग्न वित्तीय विवरण, और विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दी गई राय पर विचार करते हुए और विशेष आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन न करने वाले इसी प्रकार के अन्य संस्थानों द्वारा भी अपनाई जाने वाली परिपाटी और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन बनाए रखी गई परिपाटी के आधार पर कंपनी की राय है कि आईसीएआई के लेखाकरण मानक 22 के अनुसार डीटीएल की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार कंपनी ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन सृजित और रखे जाने वाले विशेष आरक्षित निधि के कारण 155.65 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन नहीं किया है और टिप्पणी संख्या 22(ख) की लेखा टिप्पणी के अनुसार इस लेखे के संबंध में पिछले वर्षों में सृजित 964.57 करोड़ रुपए के डीटीएल को वापस भी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 तक के लिए 638.80 करोड़ रूपए का सामान्य आरक्षित निधि का सृजन करके और वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए 325.77 करोड़ रुपए का लाभ एवं हानि विनियोजन के माध्यम से डीटीएल की वापसी की गई है। यदि कंपनी ने पिछले वर्षों की भांति डीटीएल के सृजन के बारे में इसी प्रकार के लेखाकरण का तरीका अपनाया होता तो दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष का कर-पश्चात लाभ 1866.60 करोड़ रुपए होता, जबकि रिपोर्ट में 2022.25 करोड़ रुपए का लाभ बताया गया है और आरक्षित और अधिशेष 8996.58 करोड़ रुपए होता, जबकि रिपोर्ट में दिनांक 31.03.2010 को 10116.80 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित एवं अधिशेष बताई गई है। इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित अन्य टिप्पणी और उसकी लेखाकरण नीतियों में अपेक्षित तरीके से दी गई है और उसमें भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित का सही और स्पष्ट उल्लेख किया गया है:

   (क) आरईसी और इसकी सहायक कंपनियों की 31 मार्च, 2010 के अनुसार अद्यतन स्थिति के समेकित तुलन-पत्र के मामले में;

   (ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों के लाभ के समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में; और

   (ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आरईसी और उसकी सहायक कंपनियों के रोकड़ प्रवाह के समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते **बंसल एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.001113एन

(डी.एस. रावत)
भागीदार
सदस्यता सं.83030

कृते **के.जी. सोमानी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.006591एन

(भुवनेश महेश्वरी)
भागीदार
सदस्यता सं.88155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2010

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में संपूर्ण सूचना/विवरण

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) द्वारा अनुमोदन सूचित करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सुझाव पत्र सं.47/350/2010-सीएल-II दिनांक 18 मई, 2010 के अनुसार)

क्रम सं.	विवरण	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लि.	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसमिशन कंपनी लि.	तालचेर-2 ट्रांसमिशन कंपनी लि.	रायचूर-शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
(क)	पूंजी	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(ख)	आरक्षित	1,980.10	411.98	-	-	-
(ग)	कुल परिसंपत्तियां	5,248.95	1,379.04	232.49	189.20	31.66
(घ)	कुल देयताएं	5,248.95	1,379.04	232.49	189.20	31.66
(ड़)	निवेश का विवरण (अनुषंगी कंपनियों में निवेश मामले को छोड़कर)	-	-	-	-	-
(च)	टर्न-ओवर	3,000.35	1,001.87	-	-	-
(छ)	कराधान पूर्व लाभ	2,999.70	157.05	-	-	-
(ज)	कराधान के लिए प्रावधान	1,019.60	53.40	-	-	-
(झ)	कराधान पश्चात लाभ	1,980.10	103.65	-	-	-
(ण)	प्रस्तावित लाभांश	-	5.00	-	-	-

प्रबंधन दल

श्री राजेश वर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री विनोद बिहारी
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री बी.पी. यादव
कार्यकारी निदेशक
(आई.टी/सीसी/एस्टेट)

श्री कमल दयानी
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई/सीपी/विधि/प्रशा.)

श्री वी.के.अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(वित्त)

श्री पी.जे. ठक्कर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई/पा.एवं वि.)

श्री बी.आर. रघुनंदन
कार्यकारी निदेशक
एवं कंपनी सचिव

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री अशोक अवस्थी
महाप्रबंधक
(आईसी एंड डी/प्रशा./डीडीजी)

श्री संजीव गर्ग
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री एस.एन.गायकवाड़
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री आर.के.मित्तल
महाप्रबंधक
(विधि)

श्री एस.के.गुप्ता
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री डी.एस.आहलूवालिया
महाप्रबंधक
(पश्चिमी अंचल)

श्री जी.एस.भाटी
आंचलिक प्रबंधक
(उत्तरी अंचल)

श्री एस.घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्वी अंचल)

श्री के.डी. चौधरी
आंचलिक प्रबंधक
(पूर्व मध्य अंचल)

श्री रमेश कोडे
आंचलिक प्रबंधक
(दक्षिणी अंचल)

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
	कारपोरेट आफिस	कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	41020101	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालय			
क्र. सं.	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय/राज्य एवं संघशासित क्षेत्र का अंचल/स्थान	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
1.	**दक्षिणी अंचल** **हैदराबाद** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पॉडिचेरी एवं तमिलनाडु	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	**पूर्वी अंचल** **कोलकाता** पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और उड़ीसा	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2 सीआईटी स्कीम-VIII(एम) उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3.	**पूर्व मध्य अंचल** **पटना** बिहार, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल और झारखंड	मौर्य लोक कांप्लेक्स, ब्लॉक-सी, चतुर्थ तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in : popatna@recl.nic.in
4.	**पश्चिमी अंचल** **मुंबई** महाराष्ट्र, गुजरात, दादर व नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं दिव	51.बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
5.	**उत्तरी अंचल पंचकुला** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	सं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in : zmpanchkula@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24014034 24016023 24018587	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in
2.	असम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश	"श्रद्धा" एम.जी. रोड-जी.एस. रोड क्रासिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट) क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	2450485	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : cpmpog@sify.com : poguwahati@recl.nic.in

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
3.	बिहार	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक-सी, चतुर्थ तल, नया डाक बंगला रोड, पटना-800001	2221131 2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : recpatna@yahoo.co.in : popatna@recl.nic.in
4.	झारखंड	ए-101 एवं डी-104, ओम श्री एन्क्लेव, लोयोला स्कूल के पास, एयरपोर्ट रोड, हीनू, रांची-834002	2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com : poranchi@recl.nic.in
5.	गुजरात, दादर व नगर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के सामने, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने, आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	2386760 2397487 2252473 (नि.)	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recbaroda@gmail.com : recvadodara@gmail.com : povadodara@recl.nic.in
6.	हरियाणा, दिल्ली और चंड़ीगढ़ एवं पंजाब	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	2563864 2563863 2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in : zmpanchkula@recl.nic.in
7.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेस-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	2653411 2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
8.	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे जम्मू-180004	2450868 2566701 (नि.)	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in
9.	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलूरु-560042	25598243 25550240	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in : ruralblr_cpm@dataone.in
10.	केरल एवं लक्षद्वीप	'ओ' चतुर्थ तल, ''सफालियम'' कमर्शियल कांप्लेक्स, ट्रिडा बिल्डिंग, पलायम, तिरुवनंतपुरम-695034	2328662 2328579	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : tvmrec@dataone.in : recpotvm@dataone.in : potrivandrum@recl.nic.in
11.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	ई-3/15, अरेरा कालोनी, भोपाल	2460006 2460061	फैक्स : 0755-2460008 ई-मेल : zmjabalpur@recl.nic.in : reccempralzone@yahoo.com
12.	महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव	51.बी, मित्तल टावर, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13.	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोबाई रोड, लाचुमियर, शिलांग-793001	2210190 2225687 2536860(नि.)	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in

क्र. सं.	आरईसी कार्यालय	पता	टेलीफोन नं.	फैक्स/ई-मेल
14.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवा तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	2536649 2393206	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : recpobbsr@yahoo.co.in : pobhubaneswar@recl.nic.in
15.	राजस्थान	जे.4-ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	2706986 2707840	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in
16.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर), माइलापोर, चेन्नै-600004	24672376 24987960	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in
17.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2717376 2716446	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in : zmlucknow@recl.nic.in
18.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आईसीएमएआरडी बिल्डिंग, 7वां तल, ब्लॉक 14/2, सीआईटी स्कीम-VIII (एम), उल्टाडंगा, कोलकाता-700067	23566989 23567017 23567018	फैक्स : 033-23566991 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप कार्यालय			
1.	छत्तीसगढ़	केएच सं.185/17, शांति विहार कालोनी, (विवेकानंद स्कूल के सामने)डुआगनिया, रायपुर-492013		
2.	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कालेज के सामने, देहरादून-248001	2650766 2650799	फैक्स : 0135-2650799
	प्रशिक्षण केंद्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24018583 24015901	फैक्स : 040-24015896 ई-मेल : cire@recl.nic.in

टिप्पणी

टिप्पणी

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003, दूरभाष : 24365161
फैक्स : 24360644, ई–मेल : reccorp@recl.nic.in वेबसाइट : www.recindia.nic.in

Printed at Thomson Press